


विनियोग लेखे

वर्ष 2012-13

उत्तराखण्ड सरकार



## विषय सूची

	पृष्ठ सं०
विषय सूची	i
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	xv
अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	
01. विधान सभा	1
02. राज्यपाल	4
03. मंत्रिपरिषद्	7
04. न्याय प्रशासन	10
05. निर्वाचन	15
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	17
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	27
08. आबकारी	51
09. लोक सेवा आयोग	52
10. पुलिस एवं जेल	54
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	62
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	90
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	109
14. सूचना	117
15. कल्याण योजनायें	121
16. श्रम और रोजगार	132
17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	137
18. सहकारिता	143
19. ग्राम्य विकास	146
20. सिंचाई एवं बाढ़	153
21. ऊर्जा	163
22. लोक निर्माण कार्य	167
23. उद्योग	176
24. परिवहन	183
25. खाद्य	188
26. पर्यटन	192
27. वन	196
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य	202
29. औद्योगिक विकास	207
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण	211
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	230

## परिशिष्ट

(1) परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2012-2013 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।	249
(2) परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	250
(3) परिशिष्ट III	उचन्त लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	252
(4) परिशिष्ट IV	उचन्त लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग।	253
(5) परिशिष्ट V	उचन्त लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	254

## प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2012-2013 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुये 31 मार्च 2013 को समाप्त हुये वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं।

इस लेखे में :-

'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है।

'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।

'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय तिरछांकित किये गये हैं।

## विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत
1	2	3	4	5
				( ₹ हजार में )
01. विधान सभा				
दत्तमत	19,05,97	24,60,00	16,97,37	2,60,00
भारित	79,71	--	58,08	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	5,39,30	--	4,75,36	--
03. मंत्रिपरिषद्				
दत्तमत	33,47,31	--	32,79,19	--
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	1,35,32,68	21,00,00	84,42,90	17,24,17
भारित	28,46,98	--	22,59,93	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	24,01,54	--	19,44,16	--
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	4,33,40,13	51,03,55	3,68,99,88	41,91,63
भारित	2,33,24	1,00,00	1,98,15	47,54
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें				
दत्तमत	26,42,36,21	70,51,94	20,93,17,87	49,91,73
भारित	22,81,07,88	22,97,13,00	22,39,63,65	14,87,37,06
08. आबकारी				
दत्तमत	9,43,81	--	8,41,62	--
भारित	--	--	--	--



अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		विनियोग लेखे व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1	2	3	4	5
( ₹ हजार में )				
09.	लोक सेवा आयोग			
	दत्तमत	--	--	--
	भारित	9,58,77	10,00,01	8,54,22
10.	पुलिस एवं जेल			
	दत्तमत	8,48,30,29	76,17,76	32,41,84
	भारित	--	--	--
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति			
	दत्तमत	41,97,59,45	3,59,49,59	2,37,46,19
	भारित	--	--	--
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण			
	दत्तमत	9,00,12,48	3,65,82,94	1,34,86,13
	भारित	--	--	--
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास			
	दत्तमत	6,22,89,21	5,59,50,00	2,51,50,98
	भारित	--	--	--
14.	सूचना			
	दत्तमत	43,13,81	1,00,00	1,37,60
	भारित	--	--	--
15.	कल्याण योजनायें			
	दत्तमत	7,08,88,22	26,35,52	22,81,53
	भारित	--	--	--
16.	श्रम और रोजगार			
	दत्तमत	1,12,98,14	6,80,00	6,37,10
	भारित	--	--	--





अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1	2	3	4	5
				( ₹ हजार में )
17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान				
दत्तमत	4,16,25,70	1,78,30,32	2,84,42,94	1,91,57,53
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत	38,32,17	4,80,00	32,29,16	4,80,00
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत	3,89,51,67	3,12,36,01	2,56,51,69	1,79,81,42
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत	3,46,88,55	6,94,28,21	3,15,43,44	4,38,01,46
भारित	--	--	--	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत	12,28,76	9,51,12,02	12,54,64	5,82,72,00
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत	5,36,79,38	9,13,20,00	4,79,94,53	9,19,54,65
भारित	3,88,00	--	2,85,91	--
23. उद्योग				
दत्तमत	71,39,02	40,55,00	60,06,72	16,86,00
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन				
दत्तमत	32,90,28	1,65,20,04	27,00,00	1,21,24,74
भारित	--	--	--	--



## विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1	2	3	4	5
				( ₹ हजार में )
25. खाद्य दत्तमत	3,83,21,27	32,00,00	1,52,37,63	18,42,5895
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन दत्तमत	72,74,70	74,34,21	42,69,51	19,02,71
भारित	--	--	--	--
27. वन दत्तमत	3,72,89,78	57,75,82	3,45,80,07	41,43,48
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य दत्तमत	1,33,31,57	6,92,83	1,24,27,44	6,16,50
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास दत्तमत	1,08,90,78	--	1,01,72,28	4,50,00
भारित	53,93	--	50,76	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण दत्तमत	5,07,17,37	3,61,59,89	3,92,78,56	1,57,89,06
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण दत्तमत	1,53,53,68	94,78,11	1,16,85,39	40,50,26
भारित	--	--	--	--
<b>कुल योग</b>				
दत्तमत	1,43,07,13,93	54,49,53,76	1,16,86,24,15	53,65,17,66
भारित	23,32,07,81	23,08,13,01	22,80,58,10	14,96,38,82
<b>कुल योग</b>	<b>1,66,39,21,74</b>	<b>77,57,66,77</b>	<b>1,39,66,82,25</b>	<b>68,61,56,48</b>

का सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय  
आधिक्य

बचत/आधिक्य का प्रतिशत

बचत		आधिक्य		2012-13		2011-12	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
6	7	8	9	10	11		
			(₹ हजार में)				
2,30,83,64	--	--	18,10,58,95	(-)60.24	(+)5658.09	(-)37.69	(+)34942.24
--	--	--	(18,10,58,94,551)	--	--	--	--
30,05,19	55,31,50	--	--	(-)41.31	(-)74.41	(-)52.16	(-)40.60
--	--	--	--	--	--	--	--
27,09,71	16,32,34	--	--	(-)7.27	(-)28.26	(-)6.14	(-)34.58
--	--	--	--	--	--	--	--
9,04,13	76,33	--	--	(-)6.78	(-)11.02	(-)4.19	(-)25.79
--	--	--	--	--	--	--	--
7,18,50	--	--	4,50,00	(-)6.60	(+)100.00	(-)13.12	(+)100.00
3,17	--	--	(4,49,99,652)	(-)5.88	--	(-)9.94	--
1,14,38,81	2,03,70,83	--	--	(-)22.55	(-)56.34	(-)33.86	(-)51.68
--	--	--	--	--	--	--	--
36,68,29	54,27,85	--	--	(-)23.89	(-)57.27	(-)31.54	(-)54.50
--	--	--	--	--	--	--	--
26,21,15,66	19,19,44,51	25.88	18,35,08,41	(-)18.32	(-)1.55	(-)16.85	(-)1.17
51,49,81	8,11,74,19	10	--	(-)2.21	(-)35.17	(-)11.44	(+)17.35
26,72,65,47	27,31,18,70	25,98	18,35,08,41	(-)16.06	(-)11.55	(-)16.13	(+)4.34

## विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

### पूँजीगत प्रभाग

- (i) 14-सूचना
- (ii) 17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान
- (iii) 22-लोक निर्माण कार्य
- (iv) 25-खाद्य
- (v) 29-औद्योगिक विकास

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत भी व्ययाधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है-

### राजस्व अनुभाग

12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत ₹ 25.88 लाख के व्ययाधिक्य है। यह आधिक्य वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 33.00 लाख के कारण परिलक्षित हुए है।

इसके अतिरिक्त राजस्व प्रभाग के व्ययों के अन्तर्गत पिछले वर्षों के ₹ 3,67,28 हजार के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन सम्मिलित है। आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन को अनुदानों के उपशीर्षों जिससे यह सम्बन्धित हैं के अन्तर्गत भी पूर्ण ₹ में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 32,06,73 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2012-13 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यारे परिशिष्ट-I में दिये गये हैं।


चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियाँ (व्यौरेवार परिशिष्ट -II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

## विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2012-2013 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत् हैं।

भारित		दत्तमत	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
		( ₹ हजार में )	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय			
22,80,58,10	14,96,38,82	1,16,86,24,15	53,65,17,66
घटाइये-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ			
--	--	6,60,17	15,59,53,73
वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय			
22,80,58,10	14,96,38,82	1,16,79,63,98	38,05,63,93

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।






## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखों सहित वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के तैयार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वाह प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतन्त्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतन्त्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबन्धन ढांचा है।




यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार की गई थी। इन मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि हम समुचित आश्वासन प्राप्त करने, कि लेखे सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त है, के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा किए गए प्रकटनों से संगत साक्ष्य की नमूना आधार पर जाँच शामिल है।


मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तराखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक: 04 अक्टूबर 2013  
स्थान: नई दिल्ली



(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



अनुदान सं० 01 विधान सभा

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान/ विनियोग वास्तविक व्यय आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )

राजस्व:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

दत्तमत-

मूल	18,83,97			
		19,05,97	16,97,37	(-),2,08,60
पूरक	22,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

प्रभारित-

मूल	79,71			
		79,71	58,08	(-),21,63
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	22,60,00			
		24,60,00	2,60,00	(-),22,00,00
पूरक	2,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,08.60 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 2,08.60 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 22.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	11,35.72	9,33.86	2,01.86
2008-09	11,85.50	10,44.60	1,40.90
2009-10	13,97.21	12,33.16	1,64.05
2010-11	20,10.96	16,48.35	3,62.61
2011-12	17,29.13	16,62.31	1,67.12

( ₹ लाख में )

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
	02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
	101 विधान सभा			
	03 विधान सभा			
	मूल	9,86.77	9,86.77	8,05.59
				(-)1,81.18
(2)	103 विधान मण्डल सचिवालय			
	03 विधान सभा सचिवालय			
	मूल	8,97.20		
			9,19.20	8,91.78
				(-)27.42
	पूरक	22.00		

माह दिसम्बर 2012 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 22.00 लाख की प्रावधान में वृद्धि का कारण विधान सभा के माननीय अध्यक्ष हेतु सरकारी आवास तथा विधान सभा परिसर के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता का होना सूचित किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचतों के निम्न कारण सूचित किए गए—

- यात्रा भत्तों के उपभोग का न होना
- मा० सदस्यों का विधान सभा सचिव के रूप में प्रोत्साहित का होना
- विद्युत विभाग से विद्युत देयकों का प्राप्त न होना
- टेलीफोन व्ययों में बचत तथा मा० अध्यक्ष के कार्यालय की साज-सज्जा में बचत
- अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन होना
- पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं फर्नीचर का क्रय नहीं किया जाना तथा
- कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग न किया जाना।

प्रभारित—

(v) ₹ 21.63 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) प्रभारित प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (₹ लाख में)
2007-08	77.88	31.08	46.80
2008-09	75.81	69.27	6.54
2009-10	79.81	59.89	19.92
2010-11	87.35	50.21	37.14
2011-12	78.54	48.10	30.44

(vii) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
02	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
101	विधान सभा			
03	विधान सभा			
	मूल	79.71	79.71	58.08 (-)21.63

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत:  
दत्तमत—

(viii) ₹ 22,00.00 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय			
80	सामान्य			
800	अन्य व्यय			
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	22,00.00	22,00.00	0.00 (-)22,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण विधान सभा के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण न होना सूचित किया गया।

## अनुदान सं० 02 राज्यपाल

मुख्य लेखाशीर्ष कुल विनियोग वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ हजार में)

राजस्व :

2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

प्रभारित-

मूल	5,34,50			
		5,39,30	4,75,36	(-)63,94
पूरक	4,80			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

प्रभारित-

- (i) ₹ 63.94 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(ii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम लेखाशीर्ष कुल विनियोग वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ लाख में)

(1)	2012	राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
	03	राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
	090	सचिवालय			
	03	अधिष्ठान व्यय			
		मूल	2,72.70		
		पूरक	1.50	2,68.90	2,39.79
		पुनर्वि०	(-)5.30		(-)29.11

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को वृद्धि अधिष्ठान व्ययों के निम्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई-

- मजदूरी ₹ 0.40 लाख
- लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई ₹ 0.60 लाख
- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय ₹ 0.50 लाख।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2013 को ₹ 5.30 लाख की कमी वेतन मद में बजट के अधिक आवंटन के कारण की गई।

(2)	103	पारिवारिक स्थापना			
	03	कर्मचारीवर्ग			
		मूल	1,23.86		
		पूरक	0.80	1,25.36	1,08.35
		पुनर्वि०	0.70		(-)17.01

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.80 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।



प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2013 को ₹ 1.00 लाख की कमी "कार्यालय व्यय" में बचत के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 28 फरवरी 2013 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.70 लाख की वृद्धि की गई जो कि यात्रा व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अवकाश यात्रा रियायत में निधि की आवश्यकता का होना सूचित किया गया।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(3)	105 चिकित्सा सुविधायें 03 चिकित्सा सम्बन्धी व्यय मूल	41.93	42.73	33.65	(-).9.08
	पुनर्वि०	0.80			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2013 को ₹ 0.80 लाख की वृद्धि चिकित्सा दावों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(4)	107 संविदा भत्ते से व्यय 03 संविदा भत्ते से व्यय मूल	8.20	5.20	5.19	(-).0.01
	पुनर्वि०	(-).3.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2013 को ₹ 3.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में बचत के कारण की गई।

(5)	800 अन्य व्यय 03 राज्यपाल के लिए कार का क्रय मूल	15.00	15.00	9.12	(-).5.88
(6)	04 राज्य भवन की स्वच्छता मूल	14.11	14.11	12.59	(-).1.52
(7)	05 सजावट के सामान के अनुरक्षण और नवीनीकरण के लिए अनुदान मूल	2.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-).2.00			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत का कारण मा० राज्यपाल सचिवालय के रिक्त पदों के न भरे जाने तथा मा० राज्यपाल के यहां तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान उत्तराखण्ड शासन, सूचना विभाग तथा न्याय विभाग द्वारा इरला बैंक के माध्यम से किए जाने के कारण होना सूचित किया गया।

(iii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2012 राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-----------	-------------	---------------	--------------------------------------

106	मनोरंजन खर्च			
03	मनोरंजन/सम्मान सत्कार तथा आतिथ्य व्यय			
	मूल	3.50		
	पूरक	1.00	11.70	11.17 (-)0.53
	पुनर्वि०	7.20		

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि आतिथ्य व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2013 एवं दिनांक 21 मार्च 2013 को ₹ 7.20 लाख की वृद्धि उपरोक्त शीर्ष में और अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	108 दौरा खर्च			
	03 दौरा खर्च			
	मूल	8.00		
	पूरक	1.50	11.60	10.96 (-)0.64
	पुनर्वि०	2.10		

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि यात्रा व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2013 तथा 28 फरवरी 2013 को ₹ 2.10 लाख की वृद्धि यात्रा व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद्

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
राजस्व :			
2013 मंत्रिपरिषद्			
दत्तमत-			
मूल	28,31,81		
पूरक	5,15,50	33,47,31	32,79,19 (-)68,12
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			1,16,34

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,00,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

### टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत हुई अन्तिम बचत ₹ 68.12 लाख के सापेक्ष वर्ष के दौरान ₹ 1,16.34 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (ii) ₹ 68.12 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 5,15.50 लाख अत्यधिक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	( ₹ लाख में ) बचत
2007-08	57,28.31	43,34.24	13,94.07
2008-09	30,04.59	18,99.90	11,04.69
2009-10	34,79.40	32,89.61	1,89.79
2010-11	25,88.54	25,69.61	18.93
2011-12	62,76.44	61,45.51	1,30.93

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ लाख में )
(1)	2013 मंत्रि परिषद्			
	00			
	101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन			
	03 मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्ते			
	मूल	1,86.00		
	पुनर्वि०	(-)58.66	1,27.34	1,27.33 (-)0.01

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 58.66 लाख की कमी का कारण वेतन एवं अन्य भत्ते में हुई बचत का होना सूचित किया गया।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी मूल	8.80	2.07	0.00
	पुनर्वि०	(-)6.73		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6.73 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में बचत के कारण थे।			
(3)	104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते 03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च मूल	70.00	79.89	0.00
	पूरक	15.00	79.89	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.11		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि आतिथ्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5.11 लाख के अभ्यर्पण मनोरंजन एवं आतिथ्य व्यय में बचत के कारण किए गए।

(4)	108 दौरा खर्च 03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का यात्रा व्यय मूल	70.01	52.69	(+)8.09
	पुनर्वि०	(-)17.32		

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 17.32 लाख की कमी यात्रा व्यय एवं मानदेय में बचत के कारण किए गए।

(5)	800 अन्य व्यय 03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय मूल	4,97.00	4,69.00	(-)2.06
	पूरक	0.50	4,66.94	(-)2.06
	पुनर्वि०	(-)28.50		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.50 लाख की वृद्धि कार्यालय व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 28.50 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम संख्या (4) के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य एवं क्रम संख्या (5) शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2013	मंत्रि परिषद्			
00				
105	मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
03	मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
	मूल	20,00.00		
	पूरक	5,00.00	24,99.98	25,42.18
	पुर्नो	(-).02		(+).42.20

व्ययाधिक्य का कारण वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के ₹ 42,20,000 है।

**अनुदान सं० ०४ न्याय प्रशासन**

मुख्य लेखाशीर्षक कुल अनुदान/ वास्तविक व्यय अधिव्यय (+)  
विनियोग बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

2014 न्याय प्रशासन

दत्तमत-

मूल	1,29,16,58	1,35,32,68	84,42,90	(-)50,89,78
पूरक	6,16,10			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				52,68,17

प्रभारित-

मूल	23,94,50	28,46,98	22,59,93	(-)5,87,05
पूरक	4,52,48			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				5,88,99

पूंजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	20,00,00	21,00,00	17,24,17	(-)3,75,83
पूरक	1,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				24,35

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 50,89.78 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 52,68.17 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- ₹ 50,89.78 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 6,16.10 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत ( ₹ लाख में )
2007-08	48,07.17	29,38.30	18,68.87
2008-09	56,36.87	40,07.56	16,29.31
2009-10	77,40.21	48,83.69	28,56.52
2010-11	98,78.89	68,87.42	29,91.47
2011-12	1,04,45.45	76,40.13	28,05.32

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (₹ लाख में)
(1)	2014 न्याय प्रशासन 00			
	105 सिविल और सेशन न्यायालय			
	03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश			
	मूल	67,80.60		
	पूरक	1,90.50	48,54.77	48,90.16
	पुनर्वि०	(-)21,16.33		(+)35.39
(2)	04 पारिवारिक न्यायालय			
	मूल	4,07.85		
	पूरक	4.10	83.90	2,38.52
	पुनर्वि०	(-)3,28.05		(+)1,54.62
(3)	05 न्यायिक भवनों का प्रतिकर			
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-)50.00	0.00	0.00
(4)	06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय			
	मूल	29.17		
	पुनर्वि०	(-)4.25	24.92	24.92
				0.00
(5)	108 दण्ड न्यायालय			
	03 नियमित अधिष्ठान			
	मूल	10,31.65		
	पूरक	17.80	7,21.30	7,29.59
	पुनर्वि०	(-)3,28.15		(+)8.29
(6)	114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)			
	03 महाधिवक्ता			
	मूल	7,74.97		
	पुनर्वि०	(-)3,40.45	4,34.52	4,35.18
				(+)0.66
(7)	04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता			
	मूल	4,80.00		
	पूरक	4,00.00	8,02.36	7,51.16
	पुनर्वि०	(-)77.64		(-)51.20

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	20,44.40		
	पुनर्वि०	(-)14,03.95	6,40.45	6,97.31 (+)56.86
(9)	04 लोक सेवा अधिकरण मूल	2,62.61		
	पुनर्वि०	(-)56.46	2,06.15	2,18.25 (+)12.10
(10)	05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मूल	67.60		
	पुनर्वि०	(-)14.16	53.44	53.47 (+)0.03
(11)	06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मूल	84.33		
	पुनर्वि०	(-)17.32	67.01	69.76 (+)2.75
(12)	07 महाप्रशासक कार्यालय, नैनीताल मूल	18.12		
	पुनर्वि०	(-)6.35	11.77	11.77 0.00
(13)	08 अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण मूल	20.00		
	पुनर्वि०	(-)4.16	15.84	15.40 (-)0.44
(14)	09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी मूल	1,68.46		
	पूरक	3.70	1,53.59	1,53.57 (-)0.02
	पुनर्वि०	(-)18.57		
(15)	10 लोक अदालत मूल	46.22		
	पुनर्वि०	(-)46.22	0.00	0.00 0.00



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	14 फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना			
	मूल	6,49.60		
	पुर्नो	(-4,54.67)	1,94.93	1,53.35 (-)41.58

प्रावधान में राजस्व दत्तमत के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6,16.10 लाख की वृद्धि मा० उच्च न्यायालय, जिला तथा सेशन न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, दण्ड न्यायालय एवं उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों के अन्तर्गत हुई बचत के कारण की गई।

उपरोक्त क्रम सं० (7) एवं (16) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत एवं क्रम सं० (1), (2), (5), (8), (9) एवं (11) शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

#### प्रभारित—

- (v) ₹ 5,87.05 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 5,88.99 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (vi) ₹ 5,87.05 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को अनुपूरक विनियोग द्वारा प्राप्त ₹ 4,52.48 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (vii) विनियोग के राजस्व प्रभारित अनुभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में) बचत
2007-08	12,79.42	6,83.33	5,96.09
2008-09	16,20.81	9,95.37	6,25.44
2009-10	23,78.51	11,49.50	12,29.01
2010-11	28,75.02	15,26.32	13,48.70
2011-12	30,59.01	16,72.10	13,86.91

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2014	न्याय प्रशासन			
00				
102	उच्च न्यायालय			
03	उच्च न्यायालय			
	मूल	23,94.50		
	पूरक	4,52.48	22,57.99	22,59.93 (+)1.94
	पुनर्वि०	(-5,88.99)		

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,52.48 लाख की वृद्धि मा0 उच्च न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5,88.99 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत, जलकर, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, स्टॉफ कार/मोटर गाड़ियों का कय, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद, मशीन और सज्जा/उपकरण और सयन्त्र तथा अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई।

पूजीगत:  
दत्तमत-

- (ix) ₹ 3,75.83 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 24.35 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(x) ₹ 3,75.83 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 1,00.00 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।  
(xi) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (₹ लाख में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण

मूल 20,00.00

पूरक 1,00.00 20,75.65 17,24.17 (-)3,51.48

पुनर्वि० (-)24.35

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि न्याय विभाग हेतु भवनों के निर्माण एवं भूमि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 24.35 लाख के अभ्यर्पण के कोई निश्चित कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 05 निर्वाचन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
राजस्व :			
2015 निर्वाचन			
दत्तमत-			
मूल	14,78,34		
पूरक	9,23,20		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			
	24,01,54	19,44,16	(-)4,57,38
			4,62,52

### टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 4,57.38 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 4,62.52 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (ii) ₹ 4,57.38 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 9,23.20 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत ( ₹ लाख में )
2007-08	14,47.10	10,65.45	3,81.65
2008-09	17,33.72	13,66.13	3,67.59
2009-10	27,86.57	24,21.12	3,65.45
2010-11	10,67.24	9,63.91	1,03.33
2011-12	33,21.73	28,51.15	4,70.58

- (iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई-

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) ( ₹ लाख में )
(1)	2015 निर्वाचन			
	00			
	103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,50.00		
		5,15.82	4,55.82	(-)60.00
	पुर्नि0	(-)34.18		

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 34.18 लाख की कमी फोटो पहचान पत्र योजना (50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) में बचत होने के कारण सूचित की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	03 विधान सभा एवं संसद			
	मूल	49.00		
			28.27	
	पुर्नि०	(-)20.73		0.00
(3)	05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50 प्रतिशत के०पो०)			
	मूल	4,15.31		
	पूरक	44.00	3,28.88	(+)29.79
	पुर्नि०	(-)1,30.43		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 44.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
	04 उप-निर्वाचन			
	मूल	72.00		
	पूरक	6,00.20	5,11.74	(-)20.65
	पुर्नि०	(-)1,60.46		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6,00.20 लाख की वृद्धि निम्न मदों में निधि की आवश्यकता के कारण की गई—			
	➤ ₹ 1.46.00 लाख यात्रा व्यय हेतु			
	➤ ₹ 4.35.00 लाख कार्यालय व्ययों हेतु			
	➤ ₹ 17.20 लाख लेखन सामाग्री एवं फार्मों की छपाई हेतु तथा			
	➤ ₹ 2.00 लाख कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबन्धी स्टेशनरी के क्रय हेतु।			
(5)	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
	03 सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा			
	मूल	3,26.00		
	पूरक	2,79.00	5,21.66	+56.84
	पुर्नि०	(-)83.34		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,79.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्ययों, कार्यालय व्ययों एवं कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबन्धी स्टेशनरी का क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(6)	05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा			
	मूल	66.00		
			32.65	
	पुर्नि०	(-)33.35		(-)0.84
	प्रावधान में दिनांक 31 मार्च 2013 को उपरोक्त क्रम सं० (2) से (6) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण द्वारा कमी का कारण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में बचत का होना सूचित किया गया।			

उपरोक्त क्रम सं० (1), (4) एवं (6) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा क्रम सं० (3) एवं (5) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं0 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान/  
विनियोग वास्तविक व्यय अधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

- 2029 भू-राजस्व
- 2053 जिला प्रशासन
- 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2075 विविध सामान्य सेवाएं
- 2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

दत्तमत-

मूल	4,21,16,14			
पूरक	12,23,99	4,33,40,13	3,68,99,88	(-) 64,40,25
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				2,20,46

प्रभारित-

मूल	2,30,44			
पूरक	2,80	2,33,24	1,98,15	(-) 35,09
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				25,69

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 20 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत:

### 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	22,30,00			
पूरक	28,73,55	51,03,55	41,91,63	(-) 9,11,92
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				10,38,82

प्रभारित-

मूल	00			
पूरक	1,00,00	1,00,00	47,54	(-) 52,46
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

## टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 64,40.25 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,20.46 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(ii) ₹ 64,40.25 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 12,23.99 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।  
(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	2,83,75.55	2,53,23.68	30,51.87
2008-09	2,98,37.41	2,30,80.15	67,57.26
2009-10	3,86,30.45	3,29,56.14	56,74.31
2010-11	3,96,87.97	3,67,36.07	29,51.90
2011-12	8,87,25.60	8,43,31.89	43,93.71

- (iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (₹ लाख में)
(1)	2029 भू-राजस्व 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय मूल	4,08.40	4,08.40	3,32.52 (-)75.88
(2)	04 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान मूल पूरक	1,91.56 6.00	1,97.56	1,66.54 (-)31.02
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6.00 लाख की वृद्धि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के क्रय किए जाने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(3)	05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण मूल पूरक	17.50 1.00	18.50	11.32 (-)7.18
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि गाडियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(4)	101 संग्रहण प्रभार 03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार मूल पूरक	27,14.13 1,95.00	29,09.13	27,35.78 (-)1,73.35

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के 1,414 सम्मिलित है।  
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,95.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	103 भू-अभिलेख 03 जिला अधिष्ठान मूल	81,84.07	82,04.07	79,15.81 (-)2,88.26
	पूरक	20.00		
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,889 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(6)	04 कृषि गणना (100 प्रतिशत के०स०) मूल	2,13.00	2,13.00	25.60 (-)1,87.40
(7)	800 अन्य व्यय 03 खेतों की चकबन्दी मूल	6,03.01	6,04.51	5,74.69 (-)29.82
	पूरक	1.50		
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(8)	2053 जिला प्रशासन 00 093 जिला स्थापनायें 03 कलक्टरी स्थापना मूल	73,78.01	76,68.01	69,70.86 (-)6,97.15
	पूरक	2,90.00		
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के 2,384 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,90.00 लाख की वृद्धि कलक्टरी स्थापना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(9)	094 अन्य स्थापनायें 03 राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र मूल	48.61	48.61	42.64 (-)5.97
(10)	101 आयुक्त 03 मुख्य कार्यालय मूल	2,61.81	2,74.81	2,68.49 (-)6.32
	पूरक	13.00		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 13.00 लाख की वृद्धि आयुक्त अधिष्ठान के  
मुख्य कार्यालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

(11)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 00 003 प्रशिक्षण 03 राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल मूल	4,54.61	4,69.61	4,02.66	(-)66.95
	पूरक	15.00			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के विद्युत व्यय, गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल आदि की खरीद तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(12)	104 सतर्कता 06 सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूल एवं जनसेवा विभाग पूरक	5.00	3.49	3.49	0.00
	पुर्नो	(-)1.51			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1.51 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि की आवश्यकता न होना सूचित किया गया।

(13)	105 विशेष जांच आयोग 03 राज्य आयोग और समितियां मूल	40.12	45.83	29.80	(-)16.03
	पूरक	5.71			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5.71 लाख की वृद्धि एकल सदस्यीय (के० आर० भाटी) जांच आयोग के वेतन, यात्रा व्ययों एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(14)	106 सिविल रक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना पूरक	41.20	41.20	6.61	(-)34.59
------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------	----------

(15)	03 स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित) मूल	66.26	67.01	48.47	(-)18.54
	पूरक	0.75			

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.75 लाख के प्रावधान का कारण मजदूरी के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता का होना सूचित किया गया।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(16)	107 होमगार्डस 03 सामान्य अधिष्ठान मूल	26,08.35	26,09.25	22,61.47	(-),3,47.78
	पूरक	0.90			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.90 लाख की वृद्धि यात्रा व्ययों एवं गोपनीय सेवाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(17)	04 भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किए जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) मूल	5,98.80	6,07.30	3,68.89	(-),2,38.41
	पूरक	8.50			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8.50 लाख की वृद्धि विद्युत देय, गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल आदि की खरीद तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(18)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्र आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	0.08	2,61.55	1,42.29	(-),1,19.26
	पूरक	2,61.47			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,61.47 लाख की वृद्धि होमगार्डस बल हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष उन्नयन योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(19)	17 सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण मूल	5.00	5.00	0.24	(-),4.76
(20)	2075 विविध सामान्य सेवायें 00 800 अन्य व्यय 10 अशोक चक्र/वीर चक्र/जीवन रक्षा मेडल से विभूषित व्यक्तियों को एकमुश्त पुरस्कार मूल	2,00.00	2,00.00	1,37.03	(-),62.97
(21)	2245 प्राकृतिक विपतियों के कारण राहत 05 राज्य आपदा मोचन निधि (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित) 101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,65,66.72	1,65,66.72	1,29,72.00	(-),35,94.72

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(22)	800 अन्य व्यय 13 आपदा राहत निधि से व्यय मूल	1,65,66.72	1,65,66.72	1,34,35.83	(-31,30.89
(23)	80 सामान्य 102 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	50.00	13.72	13.72	0.00
	पुर्नितो	(-36.28			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 36.28 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का अप्रयुक्त रहना सूचित किया गया।				
(24)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	4,00.00	4,00.00	3,52.54	(-47.46
(25)	03 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मूल	50.00	0.00	0.00	0.00
	पुर्नितो	(-50.00			
(26)	06 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन मूल	1,00.00	75.08	70.98	(-4.10
	पुर्नितो	(-24.92			
(27)	08 जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मूल	92.22	28.66	32.76	(+4.10
	पुनर्वितो	(-63.56			

उपरोक्त क्रम सं० (25), (26) एवं (27) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण रिक्त पदों का न भरा जाना सूचित किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1) 2029 भू-राजस्व  
00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	103 भू-अभिलेख			
	05 राष्ट्रीय भूमि संसाधन प्रबन्धन कार्य			
	मूल	1.01		
			2,01.01	0.00
	पूरक	2,00.00		(-2,01.01)

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	15 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पैनल का गठन			
	मूल	5.00	5.00	0.00
				(-5.00)

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3)	16 सेना भर्ती रैली एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन			
	मूल	6.00	6.00	0.00
				(-6.00)

(4)	2245 प्रकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	04 मुख्यमंत्री (आपदा प्रबन्धन) राहत कोष			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(5)	05 दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास			
	मूल	50.00		
			13.00	0.00
	पुर्नो	(-37.00)		(-13.00)

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	13 सूचना आयोग की स्थापना			
	मूल	1,95.61		
			2,96.57	3,04.72
	पूरक	1,00.96		(+8.15)

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.96 लाख की वृद्धि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण तथा प्रशिक्षण व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	2075 विविध सामान्य सेवाएं			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	09 अन्य प्रकीर्ण प्रतिकर (पिथौरागढ़ में लेप्स पी.एल.ए.)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1,15.65 (+)
	पुनर्वि०	0.00		

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

राजस्व:  
प्रभारित—

- (vii) ₹ 35.09 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 25.69 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 35.90 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2.80 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के राजस्व विनियोग प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (₹ लाख में)
2007-08	97.16	76.79	20.37
2008-09	1,07.11	1,03.02	4.09
2009-10	1,24.91	1,24.17	0.74
2010-11	1,68.76	1,49.18	19.58
2011-12	1,71.88	1,34.06	37.82

(x) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	104 सतर्कता			
	05 लोक आयुक्त संगठन			
	मूल	2,30.44		
	पूरक	2.80	2,07.55	1,98.15
	पुनर्वि०	(-)25.69		(-)9.40

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2.80 लाख की वृद्धि लोकायुक्त संगठन के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 25.69 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

- (xi) ₹ 9,11.92 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 10,38.82 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (xii) ₹ 9,11.92 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 28,73.55 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (xiii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में) बचत
2007-08	54,03.40	50,98.13	3,05.27
2008-09	66,24.06	49,55.61	16,68.45
2009-10	36,22.38	10,06.93	26,15.45
2010-11	82,65.96	38,72.60	43,93.36
2011-12	52,00.02	27,39.94	24,60.08

(xiv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (₹ लाख में)	
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60 अन्य भवन 051 निर्माण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	40.00	1,86.00	1,46.00	(-)40.00
	पूरक	1,46.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,46.00 लाख की वृद्धि केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (होमगार्ड्स) के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(2)	07 कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण मूल	2,50.00	7,50.00	6,92.56	(-)57.44
	पूरक	5,00.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि कलेक्ट्रेट हेतु भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(3)	09 पटवारी चौकी का निर्माण मूल	40.00	40.00	18.07	(-)21.93
(4)	11 लोकायुक्त कार्यालय भवन का निर्माण पूरक	1,00.00	1,00.00	47.54	(-)52.46

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	15,00.00		
	पूरक	15,00.00	19,61.18	0.00
	पुर्नो	(-10,38.82		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि वरूणावत पर्वत, उत्तरकाशी के उचार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10,38.82 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का उपयोग न हो पाना सूचित किया गया। यह कार्य माह जनवरी 2012 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु भारत सरकार के टॉस्क फोर्स के निर्णय के अनुसार यह कार्य की पूर्णता की अवधि माह दिसम्बर 2013 तक बढ़ा दी गई।

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (4) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xv) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
60	अन्य भवन			
051	निर्माण			
03	तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	3,00.00		
			8,00.00	10,46.27
	पूरक	5,00.00		+2,46.27

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि तहसीलों हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
<b>राजस्व :</b>			
2030	स्टाम्प पंजीकरण		
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवायें		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ		
3451	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं		
3454	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन		
<b>दत्तमत-</b>			
	मूल	26,29,00,34	
			26,42,36,21
			20,93,17,87
			(-)5,49,18,34
	पूरक	13,33,87	
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)		5,79,30
<b>प्रभारित-</b>			
	मूल	21,86,99,88	
			22,81,07,88
			22,39,63,65
			(-)41,44,23
	पूरक	94,08,00	
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)		00
<b>पूँजीगत:</b>			
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय		
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
6075	विविध सामान्य सेवायें हेतु कर्ज		
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज		
7615	विविध उधार		

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
दत्तमत-			
मूल	55,44,04		
पूरक	15,07,90	70,51,94	49,91,73
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			(-)20,60,21
			8,55,62
प्रभारित-			
मूल	22,97,13,00		
पूरक	00	22,97,13,00	14,87,37,06
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			(-)8,09,75,94
			00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें  
राजस्व:  
दत्तमत-

- (i) ₹ 5,49,18.34 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 5,79.30 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 5,49,18.34 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 13,35.87 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	12,13,64.62	11,07,48.78	1,06,15.84
2008-09	16,75,68.48	12,81,35.29	3,94,33.19
2009-10	19,67,13.73	15,48,16.85	4,18,96.88
2010-11	18,73,21.72	17,66,87.31	1,06,34.41
2011-12	22,99,67.64	17,19,58.01	5,80,09.63

- (iv) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (₹ लाख में)
(1)	2030 स्टाम्प पंजीकरण			
	01 स्टाम्प न्यायिक			
	102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
	03 न्यायिक स्टाम्प			
	मूल	1,00.00	1,00.00	11.00
				(-)89.00



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (₹ लाख में)	
(2)	02 स्टाम्प न्यायिकेतर 101 स्टाम्पों की लागत 03 गैर अदालती स्टाम्प मूल	10,00.00	10,00.00	7,51.50	(-),2,48.50
(3)	102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय 03 गैर अदालती स्टाम्प मूल	5,00.00	5,00.00	4,55.62	(-),44.38
(4)	03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय मूल	77.49	81.99	68.33	(-),13.66
	पूरक	4.50			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4.50 लाख की वृद्धि अन्य भत्ते एवं व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(5)	04 जिला व्यय मूल	4,52.77	5,00.77	4,42.96	(-),57.81
	पूरक	48.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 48.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(6)	05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति मूल	5,00.00	5,00.00	4,54.56	(-),45.44
(7)	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर 00 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,50.00	3,50.00	2,49.00	(-),1,01.00
(8)	03 अधिष्ठान मूल	5,84.34	5,84.34	3,59.49	(-),2,24.85
(9)	05 वाणिज्य कर सलाहकार समिति का अधिष्ठान मूल	15.90	15.90	0.72	(-),15.18
(10)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना मूल	40.00	40.00	34.01	(-),5.99

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	101 संग्रहण प्रभार 03 वाणिज्य कर अधिष्ठान मूल	46,20.32	46,20.32	35,74.60 (-)10,45.72
(12)	800 अन्य व्यय 05 वैट के अन्तर्गत वापसी मूल	8,00.00	8,00.00	3,90.13 (-)4,09.87
(13)	<b>2045</b> वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 00 101 संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर 03 मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान मूल	5,01.07	7,01.07	5,75.59 (-)1,25.48
	पूरक	2,00.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(14)	103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क 03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय मूल	1,05.60	1,06.65	91.23 (-)15.42
	पूरक	1.05		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.05 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(15)	<b>2047</b> अन्य राजकोषीय सेवायें 00 103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि 03 राज्य अल्प बचत संगठन मूल	4,20.03	4,20.03	2,97.62 (-)1,22.41
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन 97,117 भी सम्मिलित है। उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत का कारण लगभग 30 प्रतिशत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों में बचत का होना सूचित किया गया।			
(16)	800 अन्य व्यय 03 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल	1,06.58	1,06.58	81.19 (-)25.39

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें 00 090 सचिवालय 03 सचिवालय अधिष्ठान			
	मूल	61,40.61		
	पूरक	1,05.50	61,35.64	61,38.53
	पुनर्वि०	(-),1,10.47		(+),2.89
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,05.50 लाख की वृद्धि सचिवालय स्थापना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,10.47 लाख के अभ्यर्पण का कारण अधिष्ठान व्ययों में बचत का होना सूचित किया गया।			
(18)	04 सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार			
	मूल	4.00		
			1.92	1.92
	पुनर्वि०	(-),2.08		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.08 लाख के अभ्यर्पण कार्यालय व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(19)	05 रेसिडेन्ट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान			
	मूल	1,14.98		
			1,33.98	1,06.99
	पूरक	19.00		(-),26.99
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन के 79,200 भी सम्मिलित है। अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 19.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान यात्रा व्यय, किराया उपकर एवं कर के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण प्राप्त किए गए।			
(20)	06 पुनर्गठन आयुक्त-लखनऊ			
	मूल	24.61	24.61	15.86
				(-),8.75
(21)	08 राष्ट्रीय उत्सव एवं राजकीय भोज पर व्यय			
	मूल	20.00		
			13.44	13.44
	पुनर्वि०	(-),6.56		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6.56 लाख के अभ्यर्पण का कारण अन्य व्यय में बचत का होना सूचित किया गया।			
(22)	11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान			
	मूल	38.14		
			8.83	8.83
	पुनर्वि०	(-),29.31		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 29.31 लाख के अभ्यर्पण का कारण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में बचत का होना सूचित किया गया।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(23)	12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	31.15	31.15	24.83	(-)6.32
(24)	13 सभा सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय मूल	26.00	8.96	8.96	0.00
	पुनर्वि०	(-)17.04			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 17.04 लाख के अभ्यर्पण मानदेय में बचत के कारण किए गए।				
(25)	15 राज्य विधि आयोग मूल	65.36	65.37	43.60	(-)21.77
	पूरक	0.01			
(26)	091 संलग्न कार्यालय 03 राज्य सम्पति विभाग मूल	18,88.50	20,68.63	20,68.63	0.00
	पूरक	2,58.00			
	पुनर्वि०	(-)77.87			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,58.00 लाख की वृद्धि राज्य संपति विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 77.87 लाख के अभ्यर्पण का कारण अधिष्ठान के विभिन्न मदों में बचत का होना सूचित किया गया।				
(27)	04 बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय मूल	63.67	63.70	35.65	(-)28.05
	पूरक	0.03			
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.03 लाख का टोकन प्रावधान बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(28)	05 जनप्रदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक स्टॉफ हेतु एकमुश्त व्यवस्था मूल	3,05.10	3,05.10	58.24	(-)2,46.86
(29)	07 कार्यालय निरीक्षणालय मूल	37.55	37.55	29.21	(-)8.34
(30)	09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	11.32	22.89	21.04	(-)1.85
	पूरक	11.57			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 11.57 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(31)	10 वित्त आयोग निदेशालय मूल	59.67	59.67	31.85	(-)27.82
(32)	11 तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ मूल	11.00	11.00	5.20	(-)5.80
(33)	12 वित्त आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	46.51	46.52	17.44	(-)29.08
	पूरक	0.01			
(34)	13 कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ मूल	8.12	8.12	3.76	(-)4.36
(35)	800 अन्य व्यय 04 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान मूल	2,00.00	2,00.00	76.97	(-)1,23.03
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन 30,000 भी सम्मिलित है।				
(36)	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 00 095 लेखा तथा खजाना निदेशालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	7,37.72	7,37.72	18.23	(-)7,19.49
(37)	03 कोषागार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान मूल	2,39.55	2,39.55	1,91.39	(-)48.16
(38)	05 लेखा एवं हकदारी अधिष्ठान मूल	2,43.02	2,43.05	1,78.48	(-)64.57
	पूरक	0.03			
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को टोकन प्रावधान वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(39)	097 खजाना स्थापना 03 कोषागार अधिष्ठान मूल	35,47.43	35,54.93	29,60.71	(-)5,94.22
	पूरक	7.50			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन 57,343 भी सम्मिलित है।				

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 7.50 लाख की वृद्धि कोषागार अधिष्ठान के किराया, उपकर एवं करों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(40)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय मूल	43.21	43.21	22.29	(-)20.92
(41)	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा 03 स्थानीय निधि सम्प्रेक्षा मूल	3,58.49	3,58.49	2,69.15	(-)89.34
(42)	04 सहकारी एवं पंचायतों लेखा परीक्षा मूल	6,41.33	6,41.33	5,01.35	(-)1,39.98
(43)	05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन मूल	2,03.79	2,03.79	89.50	(-)1,14.29
(44)	<b>2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ</b> 01 सिविल 102 पेंशन का सांराशीकृत मूल्य 03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्युटेड वैल्यु ऑफ पेंशन) मूल	2,50,00.01	2,50,00.01	1,46,23.25	(-)1,03,76.76
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 66,30.00 लाख की कमी के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।				
(45)	104 उपादान 03 उपादान मूल	3,10,00.01	3,10,00.01	1,88,18.20	(-)1,21,81.81
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,21,00.00 लाख की कमी के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।				
(46)	105 परिवार पेंशन 03 परिवार पेंशन मूल	1,50,00.01	1,50,00.01	1,08,47.01	(-)41,53.00
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41,53.00 लाख की कमी के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।				
(47)	109 राज्य में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सेवा नैवृतिक सुविधाएं मूल	40,00.00	40,00.00	8,39.54	(-)31,60.46
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,00.00 लाख की कमी के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(48)	115 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ 03 सेवा निवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ			
	मूल	1,25,30.03	1,25,30.03	1,10,13.70
				(-)15,16.33
(49)	3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं 00 092 अन्य कार्यालय 03 नियोजन अधिष्ठान			
	मूल	3,29.50		
			2,52.78	2,48.53
	पुनर्वि०	(-)76.72		(-)4.25
(50)	04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन मूल	2,00.00		
			28.42	28.42
	पुनर्वि०	(-)1,71.58		0.00
उपरोक्त क्रम सं० (49) एवं (50) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(51)	05 सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना मूल	10.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10.00		0.00
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण देयों के भुगतानोपरान्त हुई बचत सूचित किया गया।				
(52)	07 परियोजना विकास निधि का गठन मूल	50.00	50.00	38.00
				(-)12.00
(53)	09 पुस्तकालय सुदृढीकरण योजना मूल	5.00		
			1.08	0.77
	पुनर्वि०	(-)3.92		(-)0.31
उपरोक्त क्रम सं० (51) एवं (53) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
(54)	3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 01 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,91.54		
			6,62.27	21.52
	पूरक	4,70.73		(-)6,40.75

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,70.73 लाख की वृद्धि जनगणना 2011 के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(55)	02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	2,65.01	2,65.01	1,94.59 (-)70.42
(56)	03 अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान मूल	12,36.83	12,36.83	9,35.80 (-)3,01.03
(57)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल	68.09	68.09	46.10 (-)21.99
(58)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,45.84	3,54.21	3,30.93 (-)23.28
	पूरक	8.37		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8.37 लाख की वृद्धि बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर लोकल एरिया डेवलपमेन्ट के मानदेय, प्रकाशन एवं प्रशिक्षण व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(59)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय 191 नगर निगम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	13,43.31	13,43.31	43.69 (-)12,99.62
(60)	192 नगर पालिका/नगर निकाय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	22,76.57	22,76.57	67.42 (-)22,09.15
(61)	193 नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5,65.61	5,65.61	16.91 (-)5,48.70
(62)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	56,39.00	56,39.00	49,93.90 (-)6,45.10
(63)	02 पंचायती राज संस्थाएं 196 जिला पंचायतें/परिषदें 01 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	25,84.91	25,84.91	62.98 (-)25,21.93



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(64)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल 6,63.00	6,63.00	1,11.04	(-)5,51.96
(65)	197 विकास खण्ड स्तरीय पंचायत 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 38,77.37	38,77.37	1,03.07	(-)37,74.30
(66)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल 90,47.15	90,47.15	46,39.90	(-)44,07.25
(67)	198 ग्राम पंचायतें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 64,62.29	64,62.29	1,71.79	(-)62,90.50
(68)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल 1,93,13.16	1,93,13.16	63,49.90	(-)1,29,63.26

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2030 स्टांप पंजीकरण 01 स्टांप न्यायिकेतर 800 अन्य व्यय 03 निवेश प्रमाण-पत्र पर देय स्टांप शुल्क का अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण मूल 1.00	1.00	1.00	0.00	(-)1.00
(2)	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर 00 800 अन्य व्यय 04 गन्ना के क्रय कर के सापेक्ष शक्कर निधि को अन्तरण मूल 2,50.00	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(3)	2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 00 103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क 04 ऊर्जा संरक्षण निधि हेतु अनुदान मूल 2,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें 00 800 अन्य व्यय 03 वेतन पुनरीक्षण एवं महंगाई भत्ते आदि की वृद्धियों के लिए एक मुश्त प्रावधान	50,00.00	50,00.00	0.00 (-)50,00.00
	वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(5)	2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ 01 सिविल 101 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते 06 अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(6)	102 पेंशन का सांराशीकृत मूल्य 06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(7)	104 उपादान 06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(8)	105 परिवार पेंशन 06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(9)	200 अन्य पेंशन 06 नई पेंशन योजना हेतु सीआरए को भुगतान	3,00.01	3,00.01	0.00 (-)3,00.01
	वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(10)	800 अन्य व्यय 05 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	1,20.00	1,20.00	0.00 (-)1,20.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(11)	08 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार सहायता मूल 10.00	10.00	10.00	0.00	(-10.00)
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(12)	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवायें 00 092 अन्य कार्यालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 1,30.00	1,30.00	1,30.00	0.00	(-1,30.00)
(13)	06 भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना मूल 2,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	(-2,00.00)
	वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(14)	08 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण योजना मूल 10.00	10.00	10.00	0.00	(-10.00)
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(15)	99 पी०पी०पी० प्रकोष्ठ का गठन मूल 20.00	20.00	20.00	0.00	(-20.00)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2030 स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 101 स्टाम्पों की लागत 03 न्यायिक स्टाम्प मूल 50.00	50.00	50.00	1,10.97	(+60.97)
(2)	2040 बिक्री व्यापार आदि पर कर 00 001 निदेशन एवं प्रशासन 04 वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान मूल 1,67.41	1,67.41	93.66	1,75.41	(+81.75)
	पुनर्वि०	(-73.75)			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 73.75 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ 01 सिविल			
	101 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	03 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	मूल	4,30,00.02	4,30,00.02	4,66,64.48 (+)36,64.46
(4)	106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार 03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान			
	मूल	70.01	70.01	5,96.50 (+)5,26.49
(5)	109 राज्य में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन 03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं			
	मूल	40,00.01	40,00.01	1,01,55.86 (+)61,55.85
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 60,00.00 लाख की वृद्धि के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।			
(6)	05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन			
	मूल	30,00.00	30,00.00	47,37.45 (+)17,37.45
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।			
(7)	06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ			
	मूल	50,00.00	50,00.00	1,59,08.18 (+)1,09,08.18
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।			
(8)	111 विधायकों को पेंशन—राज्य विधान मण्डल के सदस्य 03 विधायकों को पेंशन—राज्य विधान मण्डल के सदस्य			
	मूल	1,00.01	1,00.01	1,86.60 (+)86.59
(9)	800 अन्य व्यय 04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता			
	मूल	5,00.00	5,00.00	21,77.73 (+)16,77.73
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।			
(10)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय			
	191 नगर निगम			
	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समानुदेशन			
	मूल	63,49.87	63,49.87	64,23.87 (+)74.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	193 नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि			
	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन			
	मूल	38,09.92	38,09.92	38,42.01 (+)32.09
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			

राजस्व:  
प्रभारित-

- (vii) ₹ 41,44.23 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 41,44.23 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 94,08.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	12,99,42.48	11,90,63.43	1,08,79.05
2008-09	13,47,83.12	12,42,96.79	1,04,86.33
2009-10	15,34,90.90	13,89,85.44	1,45,05.46
2010-11	17,46,40.05	16,05,65.17	1,40,74.88
2011-12	20,12,98.93	17,95,03.78	2,17,95.15

- (x) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2049 ब्याज अदायगियां			
	01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
	13 राज्य विकास ऋण, जो 2002-2003 में प्राप्त हुआ			
	मूल	62,62.20	62,62.20	60,44.75 (-)2,17.45
(2)	16 राज्य विकास ऋण, जो 2005-06 में प्राप्त हुआ			
	मूल	43,86.47	43,86.47	45,13.13 (+)1,26.66
(3)	17 राज्य विकास ऋण, जो 2006-07 में प्राप्त हुआ			
	मूल	30,38.97	30,38.97	21,43.44 (-)8,95.53
(4)	18 राज्य विकास ऋण, जो 2007-08 में प्राप्त हुआ			
	मूल	67,89.40	67,89.40	64,42.34 (-)3,47.06
(5)	22 राज्य विकास ऋण, जो 2011-12 में प्राप्त हुआ			
	मूल	1,21,58.00	1,21,58.00	1,01,44.37 (-)20,13.63

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 01 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज मूल	5,00.00	5,00.00	0.58 (-)4,99.42
(7)	123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज मूल	7,30,00.00	7,30,00.00	6,27,28.14 (-)1,02,71.86
(8)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	4,00.00	4,00.00	1,49.42 (-)2,50.58
(9)	07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज मूल	1,25,00.00	1,25,00.00	83,07.62 (-)41,92.38
(10)	12 आर०ई०सी० से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	10,00.00	10,00.00	8,41.46 (-)1,58.54
(11)	305 ऋण प्रबन्ध 03 ऋण प्रबन्ध पर व्यय मूल	5,00.00	5,00.00	1,95.48 (-)3,04.52
(12)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज मूल	4,00.00	4,00.00	1,75.09 (-)2,24.91
(13)	04 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिमों पर ब्याज 101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज 03 उ०प्र० पुर्नगठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के ऋणों तथा उसके बाद के ऋण पर समानुपातिक ब्याज मूल	50,00.00	50,00.00	39,10.12 (-)10,89.88
(14)	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज 101 जमाओं पर ब्याज 03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी.एल.ए. में) अवशेष मूल	70,00.00	1,64,08.00	1,42,08.76 (-)21,99.24
	पूरक	94,08.00		

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(15)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें 00			
	800 अन्य व्यय			
	06 मा० न्यायालयों द्वारा की गई डिक्ली से सम्बन्धित धनराशि			
	मूल	2,00.00	2,00.00	90.40
				(-)1,09.60

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) दृष्टांत जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन 00				
	797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण				
	04 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की संहत ऋण शोधन निधि का अन्तरण				
	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2)	2049 ब्याज अदायगियां				
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज				
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज				
	05 अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज				
	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3)	06 अंशदायी भविष्य पेंशन निधि पर ब्याज				
	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00

वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(4)	108 बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज				
	03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज				
	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(5)	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज				
	701 विविध				
	03 मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति अनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज				
	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(6)	06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।					
(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:					
(1)	2049 ब्याज अदायगियां 01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 101 बाजार कर्जों पर ब्याज 07 राज्य विकास ऋण मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	23,52.77	(+)23,52.77
	पुनर्वि०	0.00			
(2)	09 राज्य विकास ऋण 2009 मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	23,57.75	(+)23,57.75
	पुनर्वि०	0.00			
(3)	10 राज्य विकास ऋण 2010 मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	64,15.68	(+)64,15.68
	पुनर्वि०	0.00			
(4)	11 राज्य विकास ऋण, 2011 मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	22,05.90	(+)22,05.90
	पुनर्वि०	0.00			
(5)	12 राज्य विकास ऋण 2001-02 मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	28.96	(+)28.96
	पुनर्वि०	0.00			
(6)	14 राज्य विकास ऋण 2003-04 मूल	84,46.46	84,46.46	87,41.94	(+)2,95.48
(7)	15 राज्य विकास ऋण 2004-05 मूल	19,04.03	19,04.03	32,50.49	(+)13,46.46



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	20 राज्य विकास ऋण, जो 2009-10 में प्राप्त हुआ मूल	46,72.00	46,72.00	65,46.09 (+)18,74.09
(9)	21 राज्य विकास ऋण, जो 2010-11 में प्राप्त हुआ मूल	84,08.60	84,08.60	88,08.35 (+)3,99.75
(10)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 11 उत्तर प्रदेश राज्य वि०प० के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त ऋण दायित्वों पर ब्याज (पावर बांड) मूल	19,00.00	19,00.00	20,66.35 (+)1,66.35
(11)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 03 भविष्य निधि मूल	3,60,00.00	3,60,00.00	3,99,86.28 (+)39,86.28

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

#### पूजीगत:

#### दत्तमत-

- (xiii) ₹ 20,60.21 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 8,55.62 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (xiv) ₹ 20,60.21 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 15,07.90 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (xv) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	1,52,60.01	1,28,54.32	24,05.69
2008-09	1,56,21.75	1,11,09.86	45,11.89
2009-10	1,50,50.21	99,26.68	51,23.53
2010-11	67,09.70	58,31.75	8,77.95
2011-12	1,50,56.96	78,14.40	72,42.56

- (xvi) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य भवन 07 राज्य योजना आयोग/योजना निदेशालय के भवनों का निर्माण मूल	20,00.00	20,00.00	10,69.48 (-)9,30.52

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	09 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण मूल 2,50.01 पूरक 5,50.00	8,00.01	6,94.30	(-1,05.71)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5,50.00 लाख की वृद्धि वाणिज्य विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	11 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवनों का निर्माण मूल 50.00	50.00	1.06	(-48.94)
(4)	13 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मूल 1,50.00	1,50.00	18.62	(-1,31.38)
(5)	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय 02 शहरी आवास 800 अन्य भवन 03 राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण मूल 3,00.00 पूरक 1,00.00 पुनर्वि० (-)19.92	3,80.08	3,80.08	0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(6)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली का विस्तार, जीर्णोद्धार आदि मूल 50.00 पूरक 50.00 पुनर्वि० (-)1.01	98.99	98.99	0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली का विस्तार/पुनरोद्धार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7)	11 मसूरी में राज्य अतिथि गृह हेतु राधा भवन इस्टेट का अधिग्रहण मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-)1,00.00	0.00	0.00	0.00
(8)	12 मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम की स्थापना मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-)14.58	85.42	85.42	0.00
(9)	13 प्रमुख सचिवों के आवासीय भवनों का निर्माण मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-)1,00.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	14 उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन भवन का निर्माण मूल	1,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1,00.00		0.00
(11)	15 राज्य अतिथि गृह नैनीताल का जीर्णोद्धार मूल	50.00	17.22	17.22
	पुनर्वि०	(-32.78		0.00
(12)	16 रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण पूरक	5,00.00	12.67	12.67
	पुनर्वि०	(-4,87.33		0.00

उपरोक्त क्रम सं० (5) से (12) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।

(13)	7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज 00			
	201 भवन निर्माण अग्रिम			
	03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत के लिए अग्रिम मूल	50.00	50.00	2.50
				(-47.50
(14)	04 राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अग्रिम मूल	1,00.00	1,00.00	98.49
				(-1.51
(15)	202 मोटर वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम			
	03 मोटर वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम मूल	10.00	10.00	1.80
				(-8.20
(16)	7615 विविध उधार 00			
	200 अन्य कर्ज			
	01 विधायकों को आवास हेतु ऋण मूल	50.00	50.00	44.00
				(-6.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां पर परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xvii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य भवन 03 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य) मूल 50.00	50.00	0.00	(-)50.00
(2)	7615 विविध उधार 00 200 अन्य कर्ज 02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण मूल 10.00	10.00	0.00	(-)10.00

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xviii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य भवन 05 वाणिज्य कर/कम्पोजिट चौकी का निर्माण मूल 1,00.00	1,00.00	1,41.59	(+)41.59
(2)	06 कोषागार/उपकोषागार के निर्माण मूल 24.00	24.00	1,17.61	(+)93.61

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूंजीगत:  
प्रभारित-

(xix) ₹ 8,09,75.94 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(xx) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 00			
	101 बाजार कर्ज			
	03 ब्याजू बाजार कर्ज का भुगतान			
	मूल	9,60,00.00	9,60,00.00	9,49,87.33 (-)10,12.67
(2)	105 नाबार्ड से कर्ज			
	03 नाबार्ड को ऋण वापसी			
	मूल	1,80,00.00	1,80,00.00	1,71,35.42 (-)8,64.58
(3)	108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज			
	04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान			
	मूल	14,00.00	14,00.00	3,74.51 (-)10,25.49
(4)	110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम			
	03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान			
	मूल	8,00,00.00	8,00,00.00	45,83.78 (-)7,54,16.22
(5)	111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्पबचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति			
	03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान			
	मूल	2,50,00.00	2,50,00.00	2,34,10.20 (-)15,89.80
(6)	6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
	01 आयोजनेतर कर्ज			
	800 अन्य कर्ज			
	03 पूर्वोत्तर उ०प्र० के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी			
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,29.81 (-)70.19

(xxi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 00			
	101 बाजार कर्ज			
	04 गैर ब्याजू बाजार कर्ज का भुगतान			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(2)	109 अन्य संस्थाओं से कर्ज			
	01 अन्य संस्थाओं से कर्ज			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(3)	800 अन्य कर्ज 03 अन्य ऋण मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(4)	6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 04 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए 800 अन्य कर्ज 04 भूमि तथा जल संरक्षण मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00
(5)	06 सड़कें तथा पुल मूल	2.00	2.00	0.00	(-)2.00
(6)	09 फसल कृषि कर्म मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(7)	10 अन्य मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(8)	07 1984-85 पूर्व के कर्ज 800 अन्य कर्ज 03 अन्य कर्ज मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xxii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज 101 एक मुश्त कर्ज तथा अग्रिम 03 एक मुश्त उधार मूल	25,00.00	25,00.00	25,33.42	(+)33.42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 08 आबकारी

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

### 2039 राज्य उत्पाद शुल्क

दत्तमत-

मूल	9,12,81			
पूरक	31,00	9,43,81	8,41,62	(-1,02,19
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,02.19 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,02.19 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 31.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ लाख में )
----------	-----------	------------	---------------	----------------------------------------

(1) 2039 राज्य उत्पाद शुल्क

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 अधिष्ठान

मूल	1,90.97			
पूरक	31.00	2,18.97	1,87.44	(-31.53
पुनर्वि०	(-3.00)			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 31.00 लाख की वृद्धि आबकारी विभाग के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2013 को ₹ 3.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में बचत के कारण की गई।

(2) 04 भट्टियां

मूल	7,21.84			
पुनर्वि०	3.00	7,24.84	6,54.18	(-70.66

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2013 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल इत्यादि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं0 09 लोक सेवा आयोग

मुख्य लेखाशीर्ष कुल विनियोग वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व:

### 2051 लोक सेवा आयोग

प्रभारित—

मूल	9,32,77			
		9,58,77	7,66,16	(-)1,92,61
पूरक	26,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

पूँजीगत :

### 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

प्रभारित—

मूल	1,50,01			
		10,00,01	8,54,22	(-)1,45,79
पूरक	8,50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

प्रभारित—

- (i) ₹ 1,92.61 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,92.61 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 26.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं0	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ लाख में )
----------	-----------	-------------	---------------	----------------------------------------

### 2051 लोक सेवा आयोग

00

102 राज्य लोक सेवा आयोग

03 राज्य लोक सेवा आयोग

मूल	9,32.77			
		9,58.77	7,66.16	(-)1,92.61
पूरक	26.00			



प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 26.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचतों का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत :  
प्रभारित—

- (iv) ₹ 1,45.79 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (v) ₹ 1,45.79 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक विनियोग ₹ 8,50.00 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (vi) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
60	अन्य भवन			
051	निर्माण			
03	लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण			
	मूल	1,50.01		
	पूरक	8,50.00		
		10,00.01	8,54.22	(-)1,45.79

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8,50.00 लाख की वृद्धि लोक सेवा आयोग के लिए हरिद्वार में भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल

मुख्य लेखाशीर्षक कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ हजार में)

राजस्व :

2055 पुलिस  
2056 जेलें  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

दत्तमत—

मूल	7,33,45,96			
		8,48,30,29	8,16,13,45	(-)32,16,84
पूरक	1,14,84,33			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

पूँजीगत :

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय  
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	41,00,01			
		76,17,76	32,41,84	(-)43,75,92
पूरक	35,17,75			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- ₹ 32,16.84 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 32,16.84 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 1,14,84.33 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में) बचत
2007-08	3,53,93.08	3,08,35.51	45,57.57
2008-09	4,83,76.51	4,32,65.70	51,10.81
2009-10	5,78,22.78	5,54,07.02	24,15.76
2010-11	6,29,83.96	6,20,59.13	9,24.83
2011-12	7,11,00.00	6,60,48.16	50,51.84

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2055 पुलिस			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 मुख्यालय			
	मूल	19,82.81		
	पूरक	8,27.60	28,18.41	26,59.15
	पुनर्वि०	8.00		(-),59.26
वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के 50,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(2)	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
	04 सुरक्षा व्यवस्था			
	मूल	10,52.71		
	पूरक	98.00	11,50.71	11,15.87
				(-),34.84
(3)	06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र का सुदृढीकरण			
	मूल	1,12.80		
	पूरक	14.00	1,26.80	1,19.06
				(-),7.74
(4)	104 विशेष पुलिस			
	03 राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य			
	मूल	1,06,71.55		
	पूरक	10,16.13	1,16,87.68	1,10,96.33
				(-),5,91.35
(5)	04 इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना			
	मूल	42,95.57		
	पूरक	7,50.50	50,46.07	44,07.35
				(-),6,38.72
(6)	109 जिला पुलिस			
	03 जिला पुलिस (मुख्य)			
	मूल	3,74,60.51		
	पूरक	46,92.75	4,21,53.26	4,14,57.26
				(-),6,96.00

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 38,685 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	04 रेडियो अधिष्ठान				
	मूल	28,69.51			
	पूरक	6,92.20	35,53.71	34,06.64	(-1,47.07)
	पुनर्वि०	(-8.00)			
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 8.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में बचत के कारण की गई।					
(8)	05 मोटर परिवहन अधिष्ठान				
	मूल	20,35.27			
	पूरक	3,60.57	23,95.84	23,39.57	(-56.27)
(9)	110 ग्राम पुलिस				
	03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान				
	मूल	2,30.50	2,30.50	2,18.09	(-12.41)
(10)	111 रेलवे पुलिस				
	03 मुख्य				
	मूल	2,13.12			
	पूरक	19.38	2,32.50	2,27.20	(-5.30)
(11)	113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण				
	04 चिकित्सालय व्यय				
	मूल	1,89.38			
	पूरक	7.90	1,97.28	1,81.09	(-16.19)
(12)	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं (50 प्रतिशत)				
	मूल	5,50.00			
	पूरक	8,05.39	13,55.39	6,21.07	(-7,34.32)
(13)	116 न्यायालयिक विज्ञान				
	03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला				
	मूल	1,08.31			
	पूरक	14.70	1,23.01	1,15.85	(-7.16)
(14)	800 अन्य व्यय				
	03 अभियोजन अधिष्ठान				
	मूल	3,84.76	3,84.76	3,26.69	(-58.07)
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,31,902 भी सम्मिलित है।					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(15)	04 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण अधिष्ठान मूल	29,17.30		
	पूरक	4,80.00	33,97.30	33,24.26 (-)73.04
(16)	11 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद् मूल	18.86	18.86	6.64 (-)12.22
(17)	16 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान मूल	1,13.00		
	पूरक	11.90	1,24.90	43.40 (-)81.50
(18)	18 राज्य पुलिस सुधार आयोग पूरक	9.30	9.30	4.04 (-)5.26
(19)	19 राज्य मानव अधिकार आयोग पूरक	41.40	41.40	17.20 (-)24.20
(20)	2056 जेलें 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 कारागार अधिष्ठान मूल	23,12.75		
	पूरक	1,16.50	24,29.25	20,70.42 (-)3,58.83
(21)	04 कारागार मुख्यालय मूल	61.98		
	पूरक	22.00	83.98	64.04 (-)19.94
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचतों का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	2055 पुलिस 00 800 अन्य व्यय 05 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा सांहसिक कार्य हेतु पुलिस बल को सहायता/पुरस्कार मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

(2)	15 राज्य सुरक्षा आयोग			
	मूल	5.00	5.00	0.00
	पूरक			(-)5.00

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2055 पुलिस			
	00			
	003 शिक्षा और प्रशिक्षण			
	04 शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य			
	मूल	6,33.71		
	पूरक	8,72.10		
			15,05.81	19,03.38
				(+)3,97.57
(2)	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
	03 अभिसूचना अधिष्ठान			
	मूल	38,24.78		
	पूरक	1,93.00		
			40,17.78	41,20.91
				(+)1,03.13
(3)	05 आपराधिक अन्वेषण			
	मूल	4,24.81		
	पूरक	1,48.40		
			5,73.21	5,83.64
				(+)10.43
(4)	109 जिला पुलिस			
	07 घुड़सवार पुलिस इकाई			
	मूल	1,68.35		
	पूरक	12.85		
			1,81.20	1,90.62
				(+)9.42
(5)	11 श्वान दल			
	मूल	5.50		
	पूरक	1.50		
			7.00	10.33
				(+)3.33

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	800 अन्य व्यय			
	17 एस०टी०एफ० मूल	1,01.62		
			1,48.88	
	पूरक	47.26	1,59.09	(+)10.21

माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,14,84.33 लाख के अनुपूरक अनुदान पुलिस के निम्न विभागों के अधिष्ठान की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण प्राप्त किए गए—

- पुलिस मुख्यालय
- शिक्षा एवं प्रशिक्षण
- अधिसूचना अधिष्ठान
- सुरक्षा व्यवस्था
- अपराधिक अन्वेषण
- भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तन्त्र का सुदृढीकरण
- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी
- इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना
- जिला पुलिस (मुख्य)
- रेडियो अधिष्ठान
- मोटर परिवहन अधिष्ठान
- घुड़सवार पुलिस इकाई
- श्वान दल
- रेलवे पुलिस (मुख्य)
- खेलकूद निधि तथा खेलकूद समारोहों एवं टूर्नामेन्ट के संबन्ध में व्यय
- पुलिस कल्याण के लिए विशिष्ट अनुदान
- पुलिस बल का आधुनिकीकरण
- अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के सुदृढीकरण
- अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण अधिष्ठान
- राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान
- एस०टी०एफ० स्थापना
- राज्य मानव अधिकार आयोग
- राज्य पुलिस सुधार आयोग
- कारागार अधिष्ठान
- कारागार मुख्यालय

पूजीगत :  
दत्तमत—

- (vii) ₹ 43,75.92 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 43,75.92 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 35,17.75 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(लाख ₹ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	57,76.00	41,05.48	16,70.52
2008-09	46,17.79	40,46.22	5,71.57
2009-10	31,00.02	11,54.54	19,45.48
2010-11	20,15.02	16,03.52	4,11.50
2011-12	59,40.01	14,79.57	44,60.44

(x) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

(1)	4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 31,00.00 पूरक 21,00.00	52,00.00	19,94.95	(-)32,05.05
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------------

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 21,00.00 लाख की वृद्धि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पुलिस थाना/चौकी के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	09 अग्निशमन एवं आपात सेवा पूरक 3,67.75	3,67.75	3,54.56	(-)13.19
-----	-------------------------------------------	---------	---------	----------

(3)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 04 जेलों का निर्माण/भूमि क्रय मूल 5,00.00 पूरक 10,00.00	15,00.00	3,92.33	(-)11,07.67
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	-------------

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि जेलों के निर्माण एवं भूमि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचतों का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।



(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4055 00	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
211	पुलिस आवास			
07	पुलिस प्रशिक्षण कालेज की स्थापना			
	पूरक	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

- 2202 सामान्य शिक्षा
- 2203 तकनीकी शिक्षा
- 2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें
- 2205 कला एवं संस्कृति

दत्तमत—

मूल	39,85,03,44			
		41,97,59,45	36,29,99,72	(-),5,67,59,73
पूरक	2,12,56,01			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				2,44,30,90

पूंजीगत:

- 4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	2,52,18,03			
		3,59,49,59	2,37,46,19	(-),1,22,03,40
पूरक	1,07,31,56			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				35,77,15

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 5,67,59.73 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,44,30.90 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 5,67,59.73 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 2,12,56.01 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	( ₹ लाख में ) बचत
2007-08	17,18,92.19	15,50,90.95	1,68,01.24
2008-09	19,54,25.41	17,94,57.95	1,59,67.46
2009-10	30,98,81.61	29,03,98.22	1,94,83.39
2010-11	32,38,48.73	30,62,46.92	1,76,01.81
2011-12	36,50,32.93	33,66,95.25	2,83,37.68

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2202 सामान्य शिक्षा			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	2,14.95		
	पूरक	1.70	1,08.30	1,07.08
	पुनर्वि०	(-),08.35		(-),1.22
(2)	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
	04 बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण			
	मूल	12,90,35.02		
	पूरक	13,48.75	12,02,74.47	11,65,82.09
	पुनर्वि०	(-),01,09.30		(-),36,92.38
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के आपत्तिगत बही उच्चत समायोजन के ₹ 74,16,685 भी सम्मिलित है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(3)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	5,90.00		
			2,12.51	2,12.51
	पुनर्वि०	(-),3,77.49		0.00
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,77.49 लाख की कमी केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण की गई।			
(4)	14 सहायता प्राप्त उ.मा. विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान			
	मूल	4,50.00		
			4,31.94	4,30.19
	पुनर्वि०	(-),18.06		(-),1.75
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 18.06 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(5)	18 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान			
	मूल	48,00.00		
			46,84.24	45,59.83
	पुनर्वि०	(-),1,15.76		(-),1,24.41
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उच्चत समायोजन के ₹ 4,20,000 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,15.76 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(6)	20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मूल	4,50.00	3,56.66	3,56.66	0.00
	पुनर्वि०	(-)93.34			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 93.34 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।				
(7)	104 निरीक्षण 03 क्षेत्रीय निरीक्षण मूल	7,47.51	4,96.16	65.50	(-)4,30.66
	पुनर्वि०	(-)2,51.35			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 3,185 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,51.35 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के विलम्ब से भरे जाने के कारण किए गए।				
(8)	05 विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना मूल	5,22.02	96.24	61.90	(-)34.34
	पुनर्वि०	(-)4,25.78			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4,25.78 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के विलम्ब से भरे जाने के कारण किए गए।				
(9)	109 छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन 04 प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को ₹ 15 प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति मूल	10.00	7.76	7.52	(-)0.24
	पुनर्वि०	(-)2.24			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.24 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(10)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,88,34.82	1,10,53.61	1,10,53.61	0.00
	पुनर्वि०	(-)77,81.21			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 77,81.21 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(11)	99 प्राथमिक विद्यालयों का पी०पी०पी० मोड में अंग्रेजी माध्यम से संचालन मूल	10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10.00			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10.00 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने तथा निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कार्यालय मूल 63.93	63.93	25.44	(-)38.49
(13)	004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 03 सीमेट की स्थापना मूल 1,06.11 पूरक 4.00	1,10.11	99.86	(-)10.25
(14)	101 निरीक्षण 03 क्षेत्रीय निरीक्षण मूल 12,59.52 पूरक 7,70.94	20,30.46	17,44.65	(-)2,85.81
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,000 भी सम्मिलित है।				
(15)	04 बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण मूल 12,42.54 पूरक 10,20.02	22,62.56	22,06.30	(-)56.26
(16)	107 छात्रवृत्तियां 05 देश के चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने के लिए प्रतिभावान बालक एवं बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तिया देना मूल 2.60	2.60	0.55	(-)2.05
(17)	07 अवर उच्चविद्यालय (कक्षा 7-8) पर अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था मूल 1.80	1.80	0.20	(-)1.60
(18)	09 प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त हाई स्कूल छात्रवृत्ति की व्यवस्था मूल 13.00	13.00	9.04	(-)3.96
(19)	15 खेल छात्रवृत्ति मूल 4.00	4.00	1.75	(-)2.25
(20)	17 प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे उत्तराखण्ड मूल के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति मूल 3.00	3.00	0.68	(-)2.32

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(21)	108 परीक्षाएं 04 माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अधिष्ठान मूल 6,12.00 पूरक 73.01	6,85.01	6,60.41	(-)24.60
(22)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 03 बालक एवं बालिका मूल 14,58,10.00 पूरक 11,30.00	14,69,40.00	12,92,13.74	(-)1,77,26.26
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,732 भी सम्मिलित है।				
(23)	05 नए राजकीय हाईस्कूल की स्थापना तथा राजकीय जू०हा० स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर कर्मोनयन मूल 5,65.51 पूरक 1,29.00	6,94.51	6,77.60	(-)16.91
(24)	07 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना मूल 9,12.50 पूरक 3,56.50	12,69.00	12,64.62	(-)4.38
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,54,876 भी सम्मिलित है।				
(25)	08 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीकरण मूल 19,96.51 पूरक 1,37.00	21,33.51	19,24.50	(-)2,09.01
(26)	11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों की स्थापना मूल 2,00.01	2,00.01	1,74.91	(-)25.10
(27)	12 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का इण्टर स्तर तक विस्तारीकरण मूल 1,50.00	1,50.00	75.00	(-)75.00
(28)	110 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता मूल 2,87.20 पूरक 90.00	3,77.20	3,56.12	(-)21.08

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(29)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	50,47.50		
	पूरक	48,54.92		
		99,02.42	19,94.89	(-)79,07.53
(30)	07 जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन			
	मूल	10.00		
	पूरक	1.90	10.20	(-)1.70
(31)	09 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान			
	मूल	2,75.00	2,67.17	(-)7.83
(32)	12 ब्लाक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना			
	मूल	45.00	39.66	(-)5.34
(33)	14 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार			
	मूल	45.00	27.25	(-)17.75
(34)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 उच्च शिक्षा निदेशालय			
	मूल	3,57.60		
	पूरक	9.60	2,61.25	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,05.95		
(35)	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
	03 कुमाऊं विश्वविद्यालय			
	मूल	36,00.01		
	पुनर्वि०	(-)3,08.91	32,91.10	0.00
(36)	05 दून विश्वविद्यालय			
	मूल	7,00.01		
	पुनर्वि०	(-)83.34	6,16.67	0.00
(37)	07 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय			
	मूल	2,10.01		
	पुनर्वि०	(-)10.01	2,00.00	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(38)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 03 राजकीय उपाधि महाविद्यालय			
	मूल	80,47.28		
	पूरक	12.00	70,23.12	68,32.32
	पुनर्वि०	(-)10,36.16		(-)1,90.80
वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,498 भी सम्मिलित है।				
(39)	04 वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नए संकायों एवं विषयों का समावेश			
	मूल	10,52.81		
	पूरक	50.00	9,39.30	8,84.29
	पुनर्वि०	(-)1,63.51		(-)55.01
(40)	08 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना			
	मूल	15,57.01		
	पुनर्वि०	(-)65.78	14,91.23	13,76.49
				(-)1,14.74
(41)	104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता 05 वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अधिष्ठान व्यय में वृद्धि			
	मूल	1,59.98		
	पुनर्वि०	(-)1.50	1,58.48	1,58.48
				0.00
(42)	800 अन्य व्यय 08 एम.बी.ए. आदि पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति के सदस्यों को मानदेय आदि का भुगतान			
	मूल	3.00		
	पुनर्वि०	(-)3.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (34) से (42) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।				
(43)	05 भाषा विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	74.27	74.27	34.78
				(-)39.49



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(44)	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन 04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान मूल 78.94	10.00	10.00	0.00
	पुनर्वि० (-)68.94			
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 68.94 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।				
(45)	06 कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन मूल 20.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00			
(46)	07 संस्थान की शोध पत्रिका का प्रकाशन मूल 10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10.00			
(47)	09 उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान मूल 2.50	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2.50			
(48)	10 साहित्यकारों का सम्मान मूल 10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10.00			
(49)	11 राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय भाषा सम्मेलन मूल 25.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25.00			
(50)	12 पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तकों का क्रय मूल 15.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15.00			

उपरोक्त क्रम सं० (45) से (50) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण निधि के विलम्ब से अवमुक्त होने के कारण किए गए। अवमुक्त राशि जो कि वैयक्तिक लेखा खाता में जमा थी, वित्त विभाग द्वारा विलम्ब से स्वीकृत हुई जिस कारण बचत हुई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(51)	13 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी का अधिष्ठान मूल	54.31		
	पुनर्वि०	(-)41.12	13.19	13.19
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 41.12 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृत पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।			0.00
(52)	14 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी की कार्य योजनाएं मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-)10.00	40.00	40.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10.00 लाख के अभ्यर्पण निधि के विलम्ब से अवमुक्त होने के कारण किए गए। अवमुक्त राशि जो कि वैयक्तिक लेखा खाता में जमा थी, वित्त विभाग द्वारा विलम्ब से स्वीकृत हुई जिस कारण बचत हुई।			0.00
(53)	103 संस्कृत शिक्षा 03 राजकीय संस्कृत पाठशाला मूल	97.95		
	पूरक	12.00	1,09.95	99.15
				(-)10.80
(54)	04 संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान मूल	11,40.00		
	पूरक	1,00.00	12,40.00	12,36.05
				(-)3.95
(55)	06 जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण मूल	56.20	56.20	15.32
				(-)40.88
(56)	08 उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन मूल	1,14.40	1,14.40	16.58
				(-)97.82
(57)	80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 एन०सी०सी० निदेशालय अधिष्ठान मूल	41.66	41.66	38.86
				(-)2.80
(58)	003 प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना मूल	18,85.17		
	पूरक	1,59.00	20,44.17	18,64.60
				(-)1,79.57

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(59)	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक)(पुरुष) मूल	1,82.05	1,82.05	1,26.03	(-)56.02
(60)	800 अन्य व्यय 04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल मूल	10,40.71	10,40.71	8,61.50	(-)1,79.21
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उच्चत समायोजन के ₹ 13,349 भी सम्मिलित हैं।					
(61)	07 एयर स्क्वार्डन एन०सी०सी० की स्थापना मूल	24.40	24.40	22.83	(-)1.57
(62)	2203 तकनीकी शिक्षा 00 104 अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता 04 मान्यता प्राप्त प्राविधिक निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान मूल	30.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)30.00			
(63)	105 बहु शिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	14,76.00	7,43.50	7,43.50	0.00
	पुनर्वि०	(-)7,32.50			
(64)	03 सामान्य पॉलीटेक्निक मूल पूरक पुनर्वि०	38,51.69 87.00 (-)6,88.78	32,49.91	32,94.50	(+)44.59
(65)	112 इन्जीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 03 पंत कालेज ऑफ टेक्नोलोजी, पंतनगर को सहायक अनुदान मूल पूरक पुनर्वि०	5,80.00 7,80.00 (-)1,01.59	12,58.41	11,78.41	(-)80.00
उपरोक्त क्रम सं० (62) से (65) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण निधि का उपभोग न होने के कारण किए गए।					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(66)	800 अन्य व्यय 03 प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् मूल 2,27.00			
	पुनर्वि० (-)44.58	1,82.42	1,82.42	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 44.58 लाख के अर्भण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(67)	97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल 15,00.00			
	पुनर्वि० (-)13,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 13,00.00 लाख के अभ्यर्षण निधि का उपभोग न हो पाने के कारण किए गए।			
(68)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना मूल 3,74.11			
	पुनर्वि० (-)1,11.48	2,62.63	2,62.85	(+)0.22
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2013 एवं 29 मार्च 2013 को ₹ 49.59 लाख तथा अभ्यर्षण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 61.89 लाख की कमी निम्न कारणों से की गई—			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ नियमित कर्मियों की नियुक्ति का न होना</li> <li>➤ निधि की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार</li> <li>➤ कड़े आर्थिक उपायों के कारण</li> <li>➤ कर्मियों का स्थानान्तरण न होना एवं</li> <li>➤ मानदेय स्वीकृत न होना।</li> </ul>			
(69)	03 खेलकूद निदेशालय मूल 3,95.11			
	पूरक 36.30	4,31.41	3,52.06	(-)79.35
(70)	05 युवा कल्याण परिषद को अनुदान मूल 80.00			
	पुनर्वि० (-)43.33	36.67	36.67	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2013 को ₹ 40.00 लाख एवं अभ्यर्षण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.33 लाख की कमी आशुलिपिक का पद न भरे जाने तथा निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(71)	09 युवा दलों को आर्थिक सहायता मूल	20.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)20.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2013 को ₹ 20.00 लाख की कमी के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(72)	104 खेलकूद 03 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता मूल	10.00	1.00	(-)0.88
	पुनर्वि०	(-)9.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 9.00 लाख की कमी मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(73)	10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार मूल	25.00	25.00	(-)1.53
(74)	12 प्रादेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान मूल	40.00	45.00	(-)20.00
	पूरक	5.00		
(75)	13 स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान मूल	2,70.00	3,30.00	(-)24.65
	पूरक	60.00		
(76)	16 स्थाई क्रीड़ा उपकरणों का क्रय मूल	15.00	20.00	(-)1.00
	पूरक	5.00		
(77)	2205 कला एवं संस्कृति 00			
	101 ललित कला शिक्षा			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	03 भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय मूल	1,74.41	1,36.68	1,39.39	(+)2.71
	पुनर्वि०	(-)37.73			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 37.73 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—				
	➤ रिक्त पदों का न भरा जाना				
	➤ कड़े आर्थिक उपायों के कारण				
	➤ स्टॉफ का स्थानान्तरण न होना				
	➤ कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का उपभोग न किया जाना।				
(78)	102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	12.75	0.06	0.06	0.00
	पुनर्वि०	(-)12.69			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 12.69 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—				
	➤ केन्द्रांश के स्वीकृत न होने के कारण राज्यांश में बचत हुई				
	➤ निर्धन कलाकार एवं उनके आश्रितों को सहायता योजना के अन्तर्गत निर्धन कलाकारों को राज्यांश का मात्र 25 प्रतिशत भुगतान किया जाना।				
(79)	04 स्व० गोविन्द बल्लभ पन्त लोक कला संस्थान मूल	13.08	8.34	8.81	(+)0.47
	पुनर्वि०	(-)4.74			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4.74 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—				
	➤ रिक्त पदों का न भरा जाना				
	➤ कड़े आर्थिक उपायों के कारण				
	➤ स्टॉफ का स्थानान्तरण न होना				
	➤ लोक कला संस्थान कार्यालय राजकीय संग्रहालय भवन में चले जाने से विद्युत व्यय में बचत।				
(80)	10 महान विभूतियों की मूर्ति स्थापना मूल	60.00	58.00	58.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.00 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।				
(81)	12 शहीद स्मारक मूल	40.00	40.00	9.20	(-)30.80

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(82)	33 लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता मूल	15.00	15.00	10.00	(-)5.00
(83)	34 धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता मूल	7.00	7.00	2.50	(-)4.50
(84)	36 संस्कृति के विभिन्न आयामों का अडियों एवं वीडियो अभिलेखीकरण मूल	10.00			
	पुनर्वि०	(-)4.50	5.50	5.50	0.00

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(85)	103 पुरातत्व विज्ञान 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	6.43			
	पूरक	1.00	4.24	4.24	0.00
	पुनर्वि०	(-)3.19			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.19 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—

- रिक्त पदों का न भरा जाना
- कड़े आर्थिक उपायों के कारण
- टेलीफोन व्यय में बचत।

(86)	03 पुरातत्व अधिष्ठान मूल	83.86			
	पूरक	4.50	67.87	84.66	(+)16.79
	पुनर्वि०	(-)20.49			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 20.49 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—

- रिक्त पदों का न भरा जाना
- कड़े आर्थिक उपायों के कारण
- टेलीफोन व्यय में बचत
- कर्मियों का स्थानान्तरण न होना।

(87)	104 अभिलेखागार 03 राज्य अभिलेख मूल	94.68			
			78.23	78.18	(-)0.05
	पुनर्वि०	(-)16.45			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 16.45 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(88)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 03 केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय मूल	1,29.92	1,29.92	1,21.04	(-)8.88
(89)	107 संग्रहालय 03 अधिष्ठान व्यय मूल	93.99	65.47	68.89	(+)3.42
	पुनर्वि०	(-)28.52			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 28.52 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हों, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 800 अन्य व्यय 06 सैनिक स्कूल, घोड़ा खाल नैनीताल को जल सम्पूर्ति हेतु अनुदान मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
(2)	17 माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को प्रोत्साहन अनुदान मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(3)	18 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना पूरक	16,95.44	16,95.44	0.00	(-)16,95.44
(4)	03 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा 107 छात्रवृत्तियां 05 इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि के अध्ययन हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना मूल	5.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.00			
वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(5)	800 अन्य व्यय 04 प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों, सेमिनारों में भाग लेने के लिए अनुदान मूल	6.00	5.00	0.00	(-)5.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(6)	05 भाषा विकास 103 संस्कृत शिक्षा 07 संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(7)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवार्ये 00 104 खेलकूद 07 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार मूल	43.00	43.00	0.00	(-)43.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(8)	2205 कला एवं संस्कृति 00 102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 06 साहित्यिक कला परिषद् की स्थापना मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(9)	19 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का कय मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00
	वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(10)	25 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00
	वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(11)	32 देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2202 सामान्य शिक्षा</b>			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
	03 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	0.00		
			1.38	(+)1.38
(2)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
	07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं केजी/नर्सरी विद्यालयों को सहायता			
	मूल	65,00.00		
	पूरक	8,00.00	72,95.98	
	पुनर्वि०	(-)4.02		
			73,56.72	(+)60.74
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4.02 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।			
(3)	02 माध्यमिक शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान			
	मूल	4,30.79		
			4,92.24	
			4,98.28	(+)6.04
	पूरक	61.45		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 5,148 भी सम्मिलित है।			
(4)	108 परीक्षाएं			
	03 माध्यमिक शिक्षा परिषद्			
	मूल	4,96.50		
			4,98.50	
			5,12.85	(+)14.35
	पूरक	2.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,754 तथा ₹ 3,157 भी सम्मिलित है।			
(5)	110 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
	03 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान			
	मूल	2,00,20.00		
			2,10,20.00	
			2,23,52.97	(+)13,32.97
	पूरक	10,00.00		
(6)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

03 गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान  
मूल 39,15.01

39,13.37 42,48.37 (+)3,35.00

पुनर्वि० (-)1.64

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1.64 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।

(7) 2203 तकनीकी शिक्षा

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय

मूल 86.02

पूरक 0.50

76.49

97.08

(+)20.59

पुनर्वि० (-)10.03

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10.03 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

(8) 2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण

मूल 4,59.90

पूरक 36.00

5,39.44

5,32.22

(-)7.22

पुनर्वि० 43.54

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 35,228 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2013 को ₹ 70.37 लाख की वृद्धि मजदूरी मद में निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 26.83 लाख अभ्यर्पित किए गए। अभ्यर्पण के निम्न कारण सूचित किए गए—

- रिक्त पदों का न भरा जाना
- स्वयं सेवकों की नियुक्ति लक्ष्य के अनुसार न होना
- कर्मियों का स्थानान्तरण न होने से स्थानान्तरण यात्रा भत्ता में बचत तथा
- कड़े आर्थिक उपाय।

(9) 10 विभिन्न निर्वाचनों में तैनात पी०आर०डी०स्वयं सेवक

मूल 0.03

1.46

13.24

(+)11.78

पुनर्वि० 1.43

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2012 को ₹ 1.93 लाख की वृद्धि "मजदूरी" एवं "यात्रा भत्ता" में निधि की आवश्यकता होने के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 0.50 लाख अभ्यर्पित किए गए। स्वयं सेवकों की नियुक्ति लक्ष्य के अनुसार न होना बचत/अभ्यर्पण का कारण सूचित किया गया।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	91 जिला योजना मूल	7,00.00		
			7,30.81	
	पुनर्वि०	30.81		(+)8.93
			7,39.74	

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2013 को ₹ 37.29 लाख की वृद्धि "अन्य व्ययों" हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6.48 लाख के अभ्यर्पण उक्त शीर्ष में बचत के कारण किए गए।

(11)	104 खेलकूद 11 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था मूल	40.00		
	पूरक	5.00	54.00	53.96
	पुनर्वि०	9.00		(-)0.04

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 9.00 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई।

(12)	21 अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं मूल	10.00	10.00	29.85	(+)19.85
------	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

(13)	2205 कला एवं संस्कृति 00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय मूल	2,73.20			
			2,64.74	3,92.74	(+)1,28.00
	पुनर्वि०	(-)8.46			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 4.50 लाख की वृद्धि "अन्य व्यय" मद में निधि की आवश्यकता होने के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 12.96 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—

- रिक्त पदों का न भरा जाना
- कर्मियों का स्थानान्तरण न होने के कारण
- कर्मियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग न किए जाने के कारण।
- कड़े आर्थिक उपायों के कारण।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां भी परिलक्षित हुए हैं, के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।

(vii) दृष्टांत जहां व्यय अपात्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

2202 सामान्य शिक्षा	
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800	अन्य व्यय			
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	10.61
	पुनर्वि०	0.00		(+)10.61

वास्तविक व्यय वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 10,60,899 के कारण है।

अनुदान के (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,12,56.01 लाख प्राप्त किए गए। अनुपूरक अनुदान जिन योजनाओं हेतु आवंटित थे, निम्न हैं-

#### प्रारम्भिक शिक्षा

माह दिसम्बर 2012 को प्रारम्भिक शिक्षा के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 79,09.83 लाख के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए-

- निदेशालय अधिष्ठान के व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान
- विद्यालयों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु
- बेसिक शिक्षा परिषद् का प्रान्तीयकरण एवं
- सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं के०जी०/नर्सरी विद्यालयों को सहायता।

#### माध्यमिक शिक्षा

माह दिसम्बर 2012 को माध्यमिक शिक्षा के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 1,18,26.18 लाख के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए-

- शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन
- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आई०सी०टी० योजना का क्रियान्वयन
- जिला मण्डल एवं राज्य स्तर प्रदर्शनियों का आयोजन तथा
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना।

#### विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा

माह दिसम्बर 2012 को विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 71.60 लाख के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए-

- राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान तथा
- वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नए संकायों एवं विषयों का समावेश।

#### भाषा विकास

माह दिसम्बर 2012 को भाषा विकास के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 1,14.08 लाख के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए-

- भारतीय भाषा केन्द्र देहरादून के कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान तथा
- राजकीय संस्कृत पाठशाला के कर्मियों को वेतन इत्यादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान।

### तकनीकी शिक्षा

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8,67.52 लाख का प्रावधान प्राविधिक शिक्षा की निम्न योजनाओं के लिए किए गए—

- तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत मजदूरी
- पॉलीटेक्निक कालेजों के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान
- पन्त कालेज ऑफ टेक्नोलाजी, पन्त नगर को सहायक अनुदान एवं
- इंजीनियरिंग कालेज, गोपेश्वर को सहायक अनुदान।

### सामान्य

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,59.00 लाख का प्रावधान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (100 प्रतिशत के0पो0) के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

### खेलकूद एवं युवा कल्याण

माह दिसम्बर 2012 को खेलकूद एवं युवा सेवाएं के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 3,02.30 लाख के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए—

- खेलकूद निदेशालय, प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण के कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान
- क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय
- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था
- प्रादेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि की प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय
- स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून को अनुदान
- स्थाई क्रीड़ा उपकरणों का क्रय
- सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता
- खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन।

### कला एवं संस्कृति

माह दिसम्बर 2012 को कला एवं संस्कृति के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 5.50 लाख के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए—

- पुरातत्व अधिष्ठान के कर्मियों के वेतन इत्यादि के भुगतान
- पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (50 प्रतिशत के0स0)।

### पूँजीगत : दत्तमत—

- (viii) ₹ 1,22,03.40 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 35,77.15 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ix) ₹ 1,22,03.40 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 1,07,31.56 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(x) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (लाख ₹ में)
2007-08	1,65,54.02	1,48,57.27	16,96.75
2008-09	1,49,52.28	1,34,95.13	14,57.15
2009-10	57,48.35	49,68.53	7,79.82
2010-11	1,59,60.11	99,40.12	60,19.99
2011-12	2,87,26.66	1,20,95.41	1,66,31.25

(xi) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 सामान्य शिक्षा			
	201 प्रारम्भिक शिक्षा			
	03 प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण			
	मूल	0.01		
	पूरक	22,26.35	22,05.03	7,78.68
	पुनर्वि०	(-21.33)		(-14,26.35)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 22,26.35 लाख की वृद्धि प्रारम्भिक विद्यालयों के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 21.33 लाख के अभ्यर्पण निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।			
(2)	04 सर्वशिक्षा अभियान			
	मूल	28,75.94	28,75.94	9,81.36
				(-18,94.58)
(3)	202 माध्यमिक शिक्षा			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,04,02.00		
			94,20.64	56,56.98
	पुनर्वि०	(-9,81.36)		(-37,63.66)
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 9,81.36 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(4)	11 राजकीय हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवन हीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण			
	मूल	5,00.00		
			23,51.81	10,02.57
	पूरक	18,51.81		(-13,49.24)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 18,51.81 लाख की वृद्धि राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के पुराने भवनों के निर्माण/पुनरोद्धार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	16 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण			
	मूल	7,00.00		
	पुनर्वि०		15,00.00	14,92.92
	पूरक	8,00.00		(-)7.08
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8,00.00 लाख की वृद्धि राजीव गान्धी नवोदय विद्यालय के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(6)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
	04 राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन क्रय			
	मूल	1,00.00		
			15,00.00	14,40.00
	पूरक	14,00.00		(-)60.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 14,00.00 लाख की वृद्धि भूमि/भवनों के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7)	07 राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कक्ष/पुस्तकालय आदि के भवन निर्माण			
	मूल	20.00		
	पूरक	15.00	20.00	20.00
	पुनर्वि०	(-)15.00		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि राजकीय उपाधि विद्यालयों में शिक्षण कक्ष/पुस्तकालय के निर्माण हेतु निधि में आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	11 आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना			
	मूल	50.00		
			22.58	22.58
	पुनर्वि०	(-)27.42		0.00
	उपरोक्त क्रम सं० (7) व (8) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(9)	14 कुमाऊ विश्व विद्यालय			
	मूल	6,00.00	6,00.00	85.94
				(-)5,14.06
(10)	17 मुक्त विश्व विद्यालय			
	मूल	4,00.00	4,00.00	2,86.49
				(-)1,13.51
(11)	02 तकनीकी शिक्षा			
	104 बहुशिल्प			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
	मूल	16,00.01		
			4,00.00	4,00.00
	पुनर्वि०	(-)12,00.01		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 ₹ 12,00.01 लाख के अभ्यर्पण निधि का उपभोग न होने के कारण किए गए।			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन का निर्माण/सुदृढीकरण मूल 1,00.00 पूरक 4,00.00	5,00.00	78.65	(-)4,21.35
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के निर्माण/सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(13)	16 पालिटेक्निकों हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल 1,00.00 पूरक 56.00	1,56.00	1,00.00	(-)56.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 56.00 लाख की वृद्धि राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं हेतु भवनों के निर्माण/भूमि के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(14)	105 इजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 06 पंत कालेज ऑफ टेक्नोलाजी पन्तनगर मूल 3,00.00 पुनर्वि० (-)1,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00
(15)	07 तकनीकी विश्व विद्यालय मूल 5,00.00 पुनर्वि० (-)5,00.00	0.00	0.00	0.00
(16)	09 इंजीनियरिंग कालेज, गोपेश्वर (चमोली) पूरक 5,00.00 पुनर्वि० (-)5,00.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान इंजीनियरिंग कालेज, गोपेश्वर हेतु स्थाई संपत्तियों के सृजन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए। उपरोक्त क्रम सं० (14) से (16) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण निधि का उपभोग न हो पाने के कारण किए गए।			
(17)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 13 देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज भवन का निर्माण मूल 60.00 पूरक 12,00.00 पुनर्वि० (-)1,76.41	10,83.59	8,60.00	(-)2,23.59
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 12,00.00 लाख की वृद्धि स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 मार्च 2013 को ₹ 1,76.41 लाख की कमी निधि का उपभोग न हो पाने के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(18)	14 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कालेज भवन का निर्माण मूल	1,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00		
	पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान में कमी के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(19)	16 आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण पूरक	3,00.00	2,97.21	0.00
	पुनर्वि०	(-)2.79		
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान आउट डोर फील्ड, इन्डोर हॉल एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.79 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(20)	04 कला और संस्कृति 106 संग्रहालय 03 संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण मूल	80.00		
	पूरक	2,00.00	1,18.60	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)1,61.40		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि संग्रहालय के लिए भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,61.40 लाख के अभ्यर्पण पर्याप्त निधि के स्वीकृत न होने के कारण किए गए।			
(21)	04 महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारक का निर्माण मूल	30.00	26.57	0.00
	पुनर्वि०	(-)3.43		
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.43 लाख की कमी महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारकों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण की गई।			
(22)	800 अन्य व्यय 03 सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण मूल	1,00.00		
	पूरक	1,50.00	2,34.36	0.00
	पुनर्वि०	(-)15.64		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि सांस्कृतिक परिषद्/कला केन्द्र/प्रेक्षा गृह के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 15.64 लाख के अभ्यर्पण पर्याप्त निधि के स्वीकृत न होने के कारण किए गए।			

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (6), (9), (10), (12), (13) एवं (17) के शीर्षों के अन्तर्गत किए गए अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित है, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण मूल 50.00 पूरक 2,73.00	3,23.00	0.00	(-3,23.00)
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(2)	24 दून लाईब्रेरी एण्ड रिसर्च सेंटर की स्थापना मूल 30.00	30.00	0.00	(-30.00)
(3)	205 भाषा विकास 03 संस्कृत विद्यालयों में पेयजल टैंक एवं शौचालयों का निर्माण मूल 5.00	5.00	0.00	(-5.00)
वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(4)	05 उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हेतु अनावसीय भवन निर्माण मूल 60.00	60.00	0.00	(-60.00)
(5)	800 अन्य व्यय 30 एन.सी.सी निदेशालय का भवन निर्माण मूल 50.00	50.00	0.00	(-50.00)
(6)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल 10,80.00 पुनर्वि० (-)80.00	10,00.00	0.00	(-10,00.00)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xiii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

- (1) 4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय  
01 सामान्य शिक्षा

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	202 माध्यमिक शिक्षा			
	17 शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण			
	मूल	50.00		
	पूरक	1,25.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,25.00 लाख की वृद्धि शिक्षा निदेशालय के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	1,75.00	3,09.85	(+)1,34.85
(2)	20 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर तक विस्तारीकरण			
	पूरक	8,00.00	8,00.00	22,26.35
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8,00.00 लाख का प्रावधान कस्तूरबा गान्धी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			(+)14,26.35
(3)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
	03 कतिपय राजकीय महा विद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना			
	मूल	3,00.00	3,00.00	8,14.06
				(+)5,14.06
(4)	05 उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी का भवन निर्माण			
	मूल	40.00	40.00	3,00.00
				(+)2,60.00
(5)	18 एफीलेटिंग विश्व विद्यालय			
	मूल	0.01		
	पुनर्वि०	(-)0.01	0.00	1,13.51
				(+)1,13.51
(6)	03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम			
	102 खेलकूद स्टेडियम			
	04 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (नए कार्य)			
	मूल	80.00		
	पुनर्वि०	2,73.81	3,53.81	3,53.81
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 मार्च 2013 को ₹ 2,73.81 लाख की वृद्धि खेलकूद स्टेडियम के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			0.00
(7)	05 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)			
	मूल	80.00		
	पुनर्वि०	2.60	82.60	82.60
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 2.60 लाख की वृद्धि उक्त योजना के पूर्ण किए जाने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(8)	06 सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना मूल	80.00	4,55.00	6,78.39	(+)2,23.39
	पूरक	3,75.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 3,75.00 लाख की वृद्धि सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(9)	15 ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम मूल	25.00	56.26	56.26	0.00
	पुनर्वि०	31.26			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 मार्च 2013 को ₹ 31.26 लाख की वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (5) तथा (8) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
2211 परिवार कल्याण

दत्तमत-

मूल	8,64,80,02			
		9,00,12,48	7,66,71,28	(-),1,33,41,20
पूरक	35,32,46			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				67,51,32

प्रभारित-

मूल	00			
		00	10	(+),10
पूरक	00			

पूँजीगत:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय  
4211 परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,88,37,57			
		3,65,82,94	1,34,86,13	(-),2,30,96,81
पूरक	1,77,45,37			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				1,35,21

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,33,41.20 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 67,51.32 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,33,41.20 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 35,32.46 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
( ₹ लाख में )

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	3,86,62.97	3,00,30.11	86,32.86
2008-09	5,26,87.02	4,04,80.91	1,22,06.11
2009-10	5,61,42.32	4,69,54.21	91,88.11
2010-11	7,16,12.49	5,91,73.24	1,24,39.25
2011-12	8,20,10.77	6,66,12.00	1,53,98.77

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—पश्चात्य चिकित्सा पद्धति 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय अधिष्ठान			
	मूल	9,25.82		
	पूरक	5.00	7,49.40	7,54.96 (+)5.56
	पुनर्वि०	(-1,81.42)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि "19-विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन" मदों के लिए निधि की आवश्यकता होने के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 31 मार्च 2013 ₹ 2,01.42 लाख के अभ्यर्पण किए गए। अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत अभ्यर्पण का कारण थे।			
(2)	05 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्मार्ट कार्ड योजना का प्रबन्धन			
	मूल	3,50.00		
			1,10.58	1,10.78 (+)0.20
	पुनर्वि०	(-2,39.42)		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,39.42 लाख के अभ्यर्पण चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति एवं अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(3)	110 अस्पताल तथा औषधालय 05 क्षय रोग रुजालय (क्लीनिक)			
	मूल	7,42.96		
			6,29.00	5,34.08 (-)94.92
	पुनर्वि०	(-1,13.96)		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 1,07,680 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,13.96 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना			
	मूल	54.67		
			38.18	37.58 (-)0.60
	पुनर्वि०	(-16.49)		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 16.49 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान एवं मशीन एवं उपकरणों में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	11 ब्लड बैंक की स्थापना			
	मूल	1,16.66		
	पुनर्वि०	(-)30.83		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 5,78,626 भी सम्मिलित है।	85.83	91.61	(+)5.78
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 30.83 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(6)	14 विधान सभा में रा०एलो० औषधालय की स्थापना			
	मूल	30.16		
	पुनर्वि०	(-)1.87		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1.87 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन एवं महंगाई भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए।	28.29	28.29	0.00
(7)	18 मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिष्ठान			
	मूल	9,17.00		
	पूरक	7.50	8,90.15	8,93.82
	पुनर्वि०	(-)34.35		(+)3.67
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 87,024 तथा ₹ 2,80,221 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 39.35 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए।			
(8)	19 केन्द्रीय औषधि भण्डार की स्थापना			
	मूल	13.95		
	पुनर्वि०	(-)2.37		
			11.58	11.59
				(+)0.01
(9)	20 महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था			
	मूल	12.70		
	पुनर्वि०	(-)9.73		
			2.97	2.97
				0.00
(10)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	1,27.27		
	पुनर्वि०	(-)25.24		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 56,248 भी सम्मिलित है।	1,02.03	1,02.58	(+)0.55



उपरोक्त क्रम सं० (8) से (10) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	03 प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम मूल	2,95.60		
	पुनर्वि०	(-82.70)	2,12.90	2,13.43
				(+)0.53
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उच्चत का समायोजन के ₹ 54,138 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 81.70 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(12)	05 मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण मूल	20.57		
	पुनर्वि०	(-4.35)	16.22	16.21
				(-)0.01
(13)	06 टेली मेडिसन की व्यवस्था मूल	25.00		
	पुनर्वि०	(-25.00)	0.00	0.00
				0.00
	उपरोक्त शीर्ष में दिनांक 20 मार्च 2013 को पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान में कमी का कारण निधि का उपभोग न हो पाना था।			
(14)	07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना मूल	1,02.92		
	पुनर्वि०	(-33.21)	69.71	69.71
				0.00
(15)	800 अन्य व्यय 07 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-30.00)	20.00	20.00
				0.00
(16)	09 विभिन्न मेलों में स्वच्छता एवं चिकित्सा व्यवस्था मूल	25.00		
	पुनर्वि०	(-1.46)	23.54	23.54
				0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	11 नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के रोगियों के परिचरों हेतु विश्राम गृह मूल पुनर्वि०	11.00  (-)1.65	9.35  9.35	0.00  0.00
(18)	13 मुख्य राजकीय चिकित्सालयों के आस-पास रोगियों के परिचरों के ठहरने हेतु विश्राम गृह मूल पुनर्वि०	10.00  (-)10.00	0.00  0.00	0.00  0.00
(19)	02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुर्वेद 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल पूरक	0.07  86.34	86.41  43.86	(-)42.55  (-)42.55
(20)	03 निदेशन तथा प्रशासन मूल	6,16.50	6,16.50	5,63.14 (-)53.36
(21)	04 विभागीय औषधीय विनिर्माण मूल	2,19.83	2,19.83	1,82.90 (-)36.93
(22)	08 आयुर्वेदिक मूल पूरक	69,70.34  32.50	70,02.84  65,67.23	(-)4,35.61  (-)4,35.61
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 7,59,777 एवं ₹ 18,750 भी सम्मिलित है।				
उपरोक्त क्रम सं० (20) से (22) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के निम्न कारण सूचित किए गए—				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण वेतन एवं भत्तों में बचत</li> <li>➤ कर्मियों के स्थानान्तरण न होने के कारण यात्रा व्यय में बचत</li> <li>➤ जनपद कार्यालयों द्वारा मांग न किए जाने के कारण तथा</li> <li>➤ रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण।</li> </ul>				
(23)	102 होम्योपैथी 03 निदेशन तथा प्राशासन मूल पूरक	82.02  1.75	83.77  53.19	(-)30.58  (-)30.58
उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(24)	04 अस्पताल तथा औषधालय मूल	3,73.49	3,92.10	3,44.93	(-47.17)
	पूरक	18.61			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 72,068 एवं ₹ 75,420 भी सम्मिलित है। उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।				
(25)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्य-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र 03 सुदूर क्षेत्र के उपकेन्द्रों में फार्मासिस्ट की व्यवस्था मूल	23,14.39	20,70.81	20,70.41	(-0.40)
	पुनर्वि०	(-2,43.58)			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 67,362 भी सम्मिलित है।				
(26)	04 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (राज्य पोषित) मूल	16.50	8.31	8.31	0.00
	पुनर्वि०	(-8.19)			
(27)	05 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढीकरण योजना मूल	20.01	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-20.01)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 10.00 लाख की कमी मशीन एवं उपकरणों में हुई बचत के कारण किए गए। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10.01 लाख के अभ्यर्पण प्रशिक्षण व्यय एवं मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए।				
(28)	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	37,44.08	33,52.40	33,47.79	(-4.61)
	पुनर्वि०	(-3,91.68)			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के क्रमशः ₹ 20,26,755 एवं ₹ 2,15,978 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 3.50 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,95.18 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(29)	91 जिला योजना मूल	2,13.00	3,60.13	3,61.30	(+1.17)
	पूरक	1,53.45			
	पुनर्वि०	(-6.32)			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 43,657 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(30)	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	46,19.18		
	पूरक	2,25.99	42,43.37	43,30.77
	पुनर्वि०	(-)6,01.80		(+)87.40

वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 50,203 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 15.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5,86.80 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।

(31)	91 जिला योजना			
	मूल	1,80.00		
	पूरक	1,76.75	3,55.11	3,55.11
	पुनर्वि०	(-)1.64		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2013 को ₹ 1.25 लाख की वृद्धि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.89 लाख के अभ्यर्पण-निम्न योजनाओं में बचत के कारण किए गए—

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत/जल व्यवस्था में ₹ 0.70 लाख
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फर्नीचर एवं उपकरणों में ₹ 0.80 लाख
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभागीय लघु निर्माण कार्यों में ₹ 1.39 लाख।

(32)	110 अस्पताल तथा औषधालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	20,00.00		
	पूरक	26,10.00	43,22.00	43,22.00
	पुनर्वि०	(-)2,88.00		0.00

(33)	06 क्षय रोग रूजालय			
	मूल	10,63.50	10,63.50	9,20.85
				(-)1,42.65

(34)	09 एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय			
	मूल	39,49.20		
	पूरक	19.99	39,16.78	39,38.71
	पुनर्वि०	(-)52.41		(+)21.93

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1,72.00 लाख की वृद्धि एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों के कर्मियों को वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,24.41 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(35)	10 टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्रों हेतु वैकल्पिक चिकित्सा सुविधा मूल	75.86	47.49	47.49	0.00
	पुनर्वि०	(-)28.37			
(36)	17 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना मूल	49,89.00	42,52.12	42,71.24	(+)19.12
	पुनर्वि०	(-)7,36.88			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 20,87,575 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1,32.00 लाख की कमी महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6,04.88 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(37)	18 ग्रामीण महिला चिकित्सालयों की स्थापना मूल	2,98.00	2,36.69	2,37.53	(+)0.84
	पुनर्वि०	(-)61.31			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 84,737 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 7.00 लाख की कमी महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 54.31 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(38)	23 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहाकार परिषद् का अधिष्ठान मूल	19.02	13.52	2.01	(-)11.51
	पुनर्वि०	(-)5.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 5.50 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।				
(39)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	69.40	53.03	53.23	(+)0.20
	पुनर्वि०	(-)16.37			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 20,652 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(40)	03 प्रदेश में अंधेपन की रोकथाम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास मूल	2,12.05	1,66.33	1,66.46	(+)0.13
	पुनर्वि०	(-)45.72			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 14,140 भी सम्मिलित है।				
(41)	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें				
	102 होम्योपैथी				
	03 अस्पताल और औषधालय मूल	8,80.86	8,86.86	7,76.22	(-)1,10.64
	पूरक	6.00			
(42)	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान				
	101 आयुर्वेद				
	06 अन्य व्यय मूल	15,03.30	15,03.30	13,25.58	(-)1,77.72
(43)	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति				
	03 शिक्षा मूल	1,60.00	1,60.00	1,00.24	(-)59.76
(44)	04 मेडिकल कालेज मूल	1,31,31.05	1,31,31.05	94,91.57	(-)36,39.48
(45)	05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा मूल	17,53.16	17,53.16	1,66.67	(-)15,86.49
(46)	08 चिकित्सा शिक्षा इकाई मूल	1,63.81	1,63.81	52.95	(-)1,10.86
(47)	06 लोक स्वास्थ्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	03 अधिष्ठान व्यय मूल	86.70	59.82	59.82	0.00
	पुनर्वि०	(-)26.88			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(48)	003 प्रशिक्षण 03 सम्मार्गीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र मूल पुनर्वि०	2,24.36 (-)56.56	1,67.80	1,67.81 (+)0.01
(49)	04 राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र मूल पुनर्वि०	20.36 (-)1.49	18.87	18.86 (-)0.01
(50)	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल पुनर्वि०	2,62.43 (-)21.03	2,41.40	2,41.70 (+)0.30
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 28,792 भी सम्मिलित है।				
(51)	03 लोक स्वास्थ्य मूल पुनर्वि०	15,49.16 (-)3,07.76	12,41.40	12,43.95 (+)2.55
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के क्रमशः ₹ 8,205 एवं ₹ 2,28,842 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 3.50 लाख की कमी मजदूरी में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,04.26 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(52)	04 महामारी निरोधक क्रियायें मूल पुनर्वि०	5,23.90 (-)2,07.81	3,16.09	3,18.25 (+)2.16
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 2,16,930 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1,15.00 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 92.81 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(53)	05 मातृ एवं शिशु कल्याण मूल	30,34.55	25,96.62	25,99.80	(+)3.18
	पुनर्वि०	(-)4,37.93			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,17,802 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 40.00 लाख की कमी अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,97.93 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(54)	06 कुष्ठ रोगियों की सहायता मूल	5,35.25	4,29.21	4,34.87	(+)5.66
	पुनर्वि०	(-)1,06.04			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के क्रमशः ₹ 3,82,591 एवं ₹ 1,82,096 भी सम्मिलित है।				
(55)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन मूल	36,00.00	31,51.92	31,51.92	0.00
	पुनर्वि०	(-)4,48.08			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1,50.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,98.08 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।				
(56)	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण 03 सरकारी जन विश्लेषक प्रयोगशाला मूल	2,76.21	2,06.48	2,06.85	(+)0.37
	पुनर्वि०	(-)69.73			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 55,084 भी सम्मिलित है।				
(57)	104 औषधि नियंत्रण 03 ड्रग कन्ट्रोल मूल	1,14.89	90.44	90.44	0.00
	पुनर्वि०	(-)24.45			
(58)	107 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें 03 प्रभाग के मुख्य स्थानों पर प्रयोगशालायें मूल	37.13	24.02	24.02	0.00
	पुनर्वि०	(-)13.11			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(59)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	3,32.05		
	पुनर्वि०	(-)1,46.34	1,85.71	1,85.71
				0.00
(60)	04 जन्म-मरण सम्बन्धी आंकड़ों के पंजीयन और संग्रहण व्यवस्था			
	मूल	20.32		
	पुनर्वि०	(-)12.07	8.25	8.24
				(-)0.01
(61)	06 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित भवनों के मरम्मत अनुरक्षण निर्माण कार्य			
	मूल	35.00		
	पुनर्वि०	(-)3.08	31.92	31.92
				0.00
(62)	09 दैवी आपदा व दुर्घटनाओं में उपचार हेतु चिकित्सा आपदा निधि			
	मूल	5.00		
	पुनर्वि०	(-)5.00	0.00	0.00
				0.00
(63)	11 पार्ट टाइम दार्इयों को अतिरिक्त मानदेय			
	मूल	60.00		
	पुनर्वि०	(-)6.60	53.40	53.40
				0.00
(64)	2211 परिवार कल्याण			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	6,76.31		
	पुनर्वि०	(-)1,87.06	4,89.25	4,89.24
				(-)0.01
(65)	003 प्रशिक्षण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	2,16.60		
	पुनर्वि०	(-)49.69	1,66.91	1,66.91
				0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(66)	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	75,39.39	64,96.12	65,01.55 (+)5.43
	पुनर्वि०	(-)10,43.27		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के क्रमशः ₹ 1,81,276 एवं ₹ 3,38,345 भी सम्मिलित है।

(67)	102 शहरी परिवार कल्याण सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	3,91.67	3,13.45	3,15.31 (+)1.86
	पुनर्वि०	(-)78.22		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,09,278 भी सम्मिलित है। उपरोक्त क्रम सं० (8), (9), (12), (14 से 18), (25), (26), (29), (32), (35), (39), (40), (47 से 49), (53) एवं (55 से 66) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए। यद्यपि, सभी उपशीर्षों जिनके प्रावधानों में अभ्यर्पण या पुनर्विनियोजन द्वारा कमी की गई है, में कमी के कारण समान है, परन्तु उन उपशीर्षों जिनमें प्रावधानों में कमी पुनर्विनियोजन द्वारा की गई है उनके कारणों को संबन्धित उपशीर्ष के साथ दर्शाया गया है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/अधिक्य क्रम सं० (20) से (24) एवं (42) के शीर्षों को छोड़कर जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुर्वेद 06 गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायक अनुदान (आयुर्वेद) मूल	2.00	2.00	0.00	(-)2.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(2)	102 होम्योपैथी 05 अन्य व्यय मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(3)	91 जिला योजना मूल	8.00	8.00	0.00	(-)8.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त क्रम सं० (2) एवं (3) के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अप्रयुक्त रहने का कारण शासन से निधि का अवमुक्त न होना सूचित किया गया।					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	22 चिकित्सा स्वास्थ्य सलाहकार का अधिष्ठान			
	मूल	14.92		
			0.42	
	पुनर्वि०	(-14.50)		(-0.42)

(5)	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,23.56	2,23.56	0.00
				(-)2,23.56

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रम सं० (2) एवं (3) को छोड़कर के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	03 एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय			
	मूल	93,68.83		
	पूरक	20.03	91,35.99	91,84.33
	पुनर्वि०	(-)2,52.87		(+)48.34

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के क्रमशः ₹ 21,43,427 एवं ₹ 17,71,621 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1,67.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4,19.87 लाख के अभ्यर्पण किए गए जो कि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण थे।

(2)	15 राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान			
	मूल	21,50.00		
			22,83.00	22,83.00
	पुनर्वि०	1,33.00		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि सहायता प्राप्त चिकित्सालयों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 17.00 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	07 उपचारिका सेवायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2.13
	पुनर्वि०	0.00		(+)2.13

उपरोक्त क्रम सं० (3) के शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2012 को ₹ 35,32.46 लाख के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए। योजनाएं जिनके लिए अनुपूरक अनुदान आवंटित किए गए निम्न है-

- मुख्यालय अधिष्ठान
- एलोपैथिक एकीकृत चिकित्सालय एवं औषधालय
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिष्ठान
- एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना (100 प्रतिशत के०स०)
- आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का अधिष्ठान
- होमियोपैथिक निदेशालय का अधिष्ठान
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बिजली/पानी की व्यवस्था एवं लघु निर्माण कार्य
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अनुदान सहायता (35,32.46 लाख) (15 प्रतिशत राज्यांश)
- एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान
- राजकीय चिकित्सालयों में मशीन एवं उपकरणों की व्यवस्था
- राजकीय चिकित्सालयों में विभागीय लघु निर्माण कार्य तथा
- होमियोपैथिक चिकित्सालयों का अधिष्ठान।

पूँजीगत :  
दत्तमत-

- (vii) ₹ 2,30,96.81 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,35.21 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 2,30,96.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 1,77,45.37 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	2,20,93.13	1,53,93.26	66,99.87
2008-09	1,54,69.09	76,85.62	77,83.47
2009-10	57,93.78	39,03.69	18,90.09
2010-11	1,29,40.42	66,88.88	62,51.54
2011-12	1,28,60.20	89,59.65	39,00.55

(x) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	04 ब्लैड बैंक स्थापना/निर्माण कार्य			
	मूल	20.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-20.00)		
(2)	14 आवासीय भवनों की व्यवस्था			
	मूल	2,00.00		
			1,79.20	0.00
	पुनर्वि०	(-20.80)		
(3)	17 अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण			
	मूल	2,50.00		
	पूरक	40.00	2,77.89	0.00
	पुनर्वि०	(-12.11)		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 40.00 लाख की वृद्धि अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण, विस्तारीकरण तथा निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	21 सी०एम०ओ० कार्यालय भवन का निर्माण			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-50.00)		
(5)	22 बी०डी० पाण्डे चिकित्सालय नैनीताल का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1,00.00)		
(6)	23 बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1,00.00)		

उपरोक्त क्रम सं० (5) एवं (6) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 22 मार्च 2013 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र			
	91 जिला योजना			
	मूल	3,50.00		
	पूरक	98.86	4,35.86	4,35.86
	पुनर्वि०	(-13.00)		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 98.86 लाख की वृद्धि नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	09 ब्लड बैंक की स्थापना/निर्माण कार्य			
	मूल	10.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-10.00)		0.00
(9)	91 जिला योजना			
	मूल	4,00.00		
	पूरक	6,57.49	10,50.89	10,50.90
	पुनर्वि०	(-6.60)		(+)0.01
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6,57.49 लाख की वृद्धि नए राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(10)	800 अन्य व्यय			
	03 राज्य सेक्टर			
	मूल	2,10.01	2,10.01	1,99.65
				(-10.36)
(11)	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 एलोपैथी			
	03 श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना			
	मूल	51,00.00	51,00.00	12,36.87
				(-38,63.13)
(12)	07 एम्स की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकार की सहायता			
	मूल	6,00.00	6,00.00	2,08.56
				(-3,91.44)
(13)	08 दून मेडिकल कालेज की स्थापना			
	मूल	8,00.00		
			83,00.00	40,00.00
	पूरक	75,00.00		(-43,00.00)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 75,00.00 लाख की वृद्धि दून मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(14)	11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना मूल	80.00	10,80.00	6,80.85	(-3,99.15)
	पूरक	10,00.00			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि नर्सिंग स्कूल की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(15)	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 00				
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा				
	91 उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना)				
	मूल	2,00.00			
	पूरक	2,00.00	3,98.75	3,98.75	0.00
	पुनर्वि०	(-)1.25			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि जिला योजना के अन्तर्गत उप-केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
उपरोक्त क्रम सं० (1), (2), (4), (7), (8), (9) एवं (15) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को किए गए अभ्यर्पण के कोई अपेक्षित कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।					
उपरोक्त क्रम सं० (10 से 14) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।					
(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें				
	110 अस्पताल तथा औषधालय				
	08 शव विच्छेदन गृह का निर्माण				
	मूल	20.00	14.41	0.00	(-)14.41
	पुनर्वि०	(-)5.59			
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(2)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें				
	मूल	15.01	15.01	0.00	(-)15.01
(3)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 105 एलौपैथी				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें				
	मूल	69,32.50	69,32.50	0.00	(-)69,32.50

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	10 नसिंग कालेजों की स्थापना मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
(5)	12 अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना पूरक	75,00.00	75,00.00	0.00	(-)75,00.00
(6)	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 00				
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा				
	03 उप-केन्द्रों के भवन का निर्माण मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें				
	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	4,00.00	4,00.00	4,64.41	(+)64.41
(2)	110 अस्पताल तथा औषधालय 05 तहसील स्तरीय विशिष्ट चिकित्सा सेवा सुविधा निर्माण (चालू अंश) मूल	2,00.00			
			4,04.41	4,04.41	0.00
	पुनर्वि०	2,04.41			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 मार्च 2013 को ₹ 2,04.41 लाख की वृद्धि तहसील स्तर पर चिकित्सा सेवाओं हेतु वृहत् निर्माण कार्यों के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलौपैथी				
	06 अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना तथा बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण मूल	5,00.00	5,00.00	11,00.00	(+)6,00.00

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (3) शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)



## अनुदान सं० 13

## जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

2217 शहरी विकास

दत्तमत—

मूल 5,37,29,77

6,22,89,21

4,69,67,23

(-)1,53,21,98

पूरक 85,59,44

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

32,71,63

पूँजीगत:

4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल 4,92,50,00

5,59,50,00

2,51,50,98

(-)3,07,99,02

पूरक 67,00,00

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

91

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,53,21.98 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 32,71.63 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,53,21.98 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 85,59.44 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
( ₹ लाख में )

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	4,72,86.05	4,04,40.69	68,45.36
2008-09	7,04,82.17	6,16,13.60	88,68.57
2009-10	8,81,86.35	8,34,11.61	47,74.74
2010-11	8,47,77.60	4,74,98.08	3,72,79.52
2011-12	6,49,00.76	4,13,24.43	2,35,76.33

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2215 जल पूर्ति तथा सफाई</b>			
	01 जलपूर्ति			
	101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
	06 चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराना			
	मूल	50.00	50.00	45.99
	पुनर्वि०			(-)4.01
(2)	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
	07 केन्द्रीय पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान			
	मूल	10,00.00	10,00.00	8,93.76
	पुनर्वि०			(-)1,06.24
(3)	09 रीवर बैंक फिल्ट्रेशन तकनीक पर विभिन्न निष्क्रिय स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान			
	पूरक	1,00.00		
	पुनर्वि०	(-)10.34	89.66	89.66
				0.00
(4)	97 बाह्य/विश्व बैंक सहायतित			
	मूल	1,80,00.00		
	पुनर्वि०	(-)5,43.00	1,74,57.00	1,50,00.00
				(-)24,57.00
(5)	800 अन्य व्यय			
	03 पेयजल सलाहकार समिति			
	मूल	25.00	25.00	3.65
	पुनर्वि०			(-)21.35
(6)	04 कन्सलटेंसी, रिमोट सेंसिंग एवं मास्टर प्लान			
	मूल	35.00		
	पुनर्वि०	(-)13.90	21.10	4.40
				(-)16.70
(7)	05 रेन वाटर हार्वेस्ट हेतु अनुदान			
	पूरक	10.00		
	पुनर्वि०	(-)10.00	0.00	0.00
				0.00
(8)	02 मल निकासी एवं सफाई			
	105 सफाई सेवाएं			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	55,83.74		
	पुनर्वि०	(-)26,38.06	29,45.68	29,45.68
				0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9)	2217 शहरी विकास			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	06 नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान			
	मूल	3,40.95		
	पूरक	10.70	3,51.65	2,84.31 (-)67.34
(10)	07 विहित अधिकारियों का अधिष्ठान			
	मूल	1,51.46		
	पूरक	7.50	1,58.96	1,44.78 (-)14.18
(11)	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	32,19.25	32,19.25	16,26.95 (-)15,92.30
(12)	03 नगरों का समेकित विकास			
	मूल	4,40.03		
	पूरक	10,00.00	14,40.03	10,09.12 (-)4,30.91
(13)	97 वाह्य सहायतित योजना			
	मूल	50,00.00	50,00.00	11,85.00 (-)38,15.00
(14)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	82,07.90	82,07.90	21,66.57 (-)60,41.33
(15)	04 नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 स्थानीय निकाय अधिष्ठान			
	मूल	96.56		
	पूरक	7.75	1,04.31	92.65 (-)11.66
(16)	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 नगर पंचायतों का चुनाव मूल	1,47.60		
	पूरक	1,47.72		
		2,95.32	2,89.25	(-)6.07
(17)	04 उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग मूल	19.85		
	पूरक	7.55		
		27.40	14.53	(-)12.87
(18)	800 अन्य व्यय			
	03 हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान मूल	48.22		
	पूरक	48.22	40.07	(-)8.15
(19)	04 शहरी भूमि सीमा रोपण मूल	49.16	49.16	(-)1.28
(20)	06 मेला प्राधिकरण का अधिष्ठान मूल	28.16	28.16	(-)4.58
(21)	07 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् मूल	53.22		
	पुनर्वि०	(-)28.76	24.46	24.46
				0.00
(22)	08 शहरी पर्यावरण संरक्षण परिषद् मूल	11.79	11.79	2.21
				(-)9.58

उपरोक्त क्रम सं० (3), (4), (6), (7), (8) एवं (21) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण निधि के विलम्ब से स्वीकृत होने तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>2215 जल पूर्ति तथा सफाई</b>			
	02 मल निकासी एवं सफाई			
	106 वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण			
	05 गंगा यमुना एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना मूल	20.00		
			14.34	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.66		(-)14.34

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	<b>2217 शहरी विकास</b>			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	08 परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारियों एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु			
	मूल	20.01	20.01	0.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)20.01
(3)	<b>04 नगरों का समेकित विकास</b>			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद्			
	मूल	15.05	15.05	0.00
				(-)15.05

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

<b>2215 जल पूर्ति तथा सफाई</b>				
01 जलपूर्ति				
101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम				
05 नगरीय पेय जल				
मूल	70,90.00			
पूरक	23,10.00	93,78.09	1,18,91.49	(+)25,13.40
पुनर्वि०	(-)21.91			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 21.91 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृत/प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2012 को ₹ 85,59.44 लाख के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए। इसमें ₹ 73,30.00 लाख जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए सहायक अनुदान तथा ₹ 12,29.44 लाख शहरी विकास के विभिन्न विभागों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति के लिए थे। कुल मिलाकर अनुदान के राजस्व प्रभाग के निम्न योजनाओं हेतु अनुपूरक अनुदान प्रदान किए गए—

जलापूर्ति तथा स्वच्छता हेतु अनुपूरक अनुदान द्वारा सहायक अनुदान

- नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्धार सुदृढीकरण हेतु अनुदान
- अवशेष विद्युत देयकों का उत्तराखण्ड विद्युत निगम को भुगतान
- हैण्ड पम्पों की मरम्मत/रख-रखाव आयरन रिमूवल यंत्र हेतु अनुदान
- पम्पिंग योजनाओं के रख-रखाव हेतु अनुदान
- रीवर बैंक फिल्ट्रेशन तकनीक पर विभिन्न निष्क्रिय स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु

- ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जल शोधन संयंत्रों के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान
- जल विभाग के कर्मिकों को सेवानिवृत्तिक लाभ का भुगतान
- जल संस्थान के कर्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु अनुदान
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अनुदान तथा
- गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रख-रखाव हेतु जल संस्थान को अनुदान।

शहरी विकास के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं/विभागों को आवंटित अनुपूरक अनुदान निम्न है—

- नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान
- विहित अधिकारियों का अधिष्ठान
- नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना का क्रियान्वयन
- शहरी विकास निदेशालय अधिष्ठान
- नगर पंचायतों का चुनाव का अधिष्ठान
- उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग
- हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान।

#### पूँजीगत:

#### दत्तमत—

- (vii) ₹ 3,07,99.02 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 0.91 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
 (viii) ₹ 3,07,99.02 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 67,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।  
 (ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय				
	01	जल पूर्ति				
	101	शहरी जल पूर्ति				
	01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	5,00.00			
				1,31.05	1,31.05	0.00
		पुनर्वि०	(-3,68.95			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2013 को ₹ 3,68.95 लाख की कमी शहरी पेयजल योजना में निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गई।

(2)	102	ग्रामीण जल पूर्ति				
	91	जिला योजना				
		मूल	35,00.00			
				37,00.00	35,97.86	(-1,02.14
		पूरक	2,00.00			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास, प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	03 शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण			
	पूरक	9,00.00	9,00.00	1,86.26
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 9,00.00 लाख की वृद्धि हाईटेक शौचालयों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			(-)7,13.74
(4)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	26,41.06
				(-)1,73,58.94
(5)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	2,36,00.00	2,36,00.00	99,08.13
				(-)1,36,91.87

उपरोक्त क्रम सं० (1) को छोड़कर अन्य शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय				
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				
051 निर्माण				
03 शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण				
मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों को सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जल पूर्ति			
	102 ग्रामीण जल पूर्ति			
	03 ग्रामीण पेयजल सेक्टर			
	मूल	10,00.00		
	पूरक	31,00.00	44,68.04	44,68.04
	पुनर्वि०	3,68.04		0.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 31,00.00 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2013 को ₹ 3,68.04 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल परिक्षेत्र हेतु और अधिक निधि की आवश्यकता होने के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	800 अन्य व्यय			
	03			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	11,18.58 (+)11,18.58
	पुनर्वि०	0.00		

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।



## अनुदान सं० 14 सूचना

मुख्य लेखाशीर्षक कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ हजार में)

राजस्व :

2220 सूचना तथा प्रचार

दत्तमत—

मूल	39,85,81			
		43,13,81	41,30,14	(-)1,83,67
पूरक	3,28,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

पूँजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	1,00,00			
		1,00,00	1,37,60	(+)37,60
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,83.67 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,83.67 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 3,28.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग में पिछले पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नवत् रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	17,35.46	15,71.10	1,64.36
2008-09	16,15.95	14,56.51	1,59.44
2009-10	22,12.94	20,90.07	1,22.87
2010-11	40,59.23	37,29.29	3,29.94
2011-12	38,27.62	36,17.12	2,10.50

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2220 सूचना तथा प्रसार</b>			
	01 फिल्म			
	105 फिल्मों का निर्माण			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	86.81		
	पूरक	10.00		
		96.81	79.82	(-)16.99
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	<b>60 अन्य</b>			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	3,75.87		
	पूरक	68.00		
		4,43.87	4,24.57	(-)19.30
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 68.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय एवं आतिथ्य व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	<b>101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार</b>			
	03 गीत एवं नाट्य योजना			
	मूल	10.00	10.00	
			8.97	(-)1.03
(4)	<b>05 अधिष्ठान</b>			
	मूल	28,74.95		
	पूरक	2,50.00		
		31,24.95	31,19.63	(-)5.32
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(5)	<b>91 जिला योजना</b>			
	मूल	33.00	33.00	
			31.51	(-)1.49
(6)	<b>102 सूचना केन्द्र</b>			
	03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान			
	मूल	72.22	72.22	
			64.44	(-)7.78
(7)	<b>04 हल्द्वानी मीडिया सेंटर</b>			
	मूल	8.63	8.63	
			5.60	(-)3.03

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	103 प्रेस सूचना सेवायें 03 उत्तराखण्ड में प्रेस क्लबों की स्थापना मूल	10.01	10.01	7.11 (-)2.90
(9)	05 टेली प्रिंटर योजना मूल	30.00	30.00	19.46 (-)10.54
(10)	106 क्षेत्र प्रचार 03 अधिष्ठान मूल	2,71.50	2,71.50	2,13.68 (-)57.82
(11)	04 जिला सूचना कार्यालय का सुदृढीकरण (जि०यो०) मूल	5.00	5.00	2.52 (-)2.48
(12)	109 फोटो सेवायें 03 अधिष्ठान मूल	38.46	38.46	24.89 (-)13.57
(13)	110 प्रकाशन 03 अधिष्ठान मूल	88.26	88.26	68.66 (-)19.60
(14)	91 जिला योजना मूल	7.00	7.00	5.17 (-)1.83
(15)	800 अन्य व्यय 03 स्वतंत्रता तथा गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी (उत्तराखण्ड सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय मूल	16.00	16.00	11.39 (-)4.61
(16)	07 प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन मूल	15.00	15.00	1.99 (-)13.01

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचतों का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

2220 सूचना तथा प्रसार  
01 फिल्म

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
105	फिल्मों का निर्माण			
06	फिल्म परिषद् की स्थापना मूल	1.00	1.00	0.00
				(-1.00)

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

2220	सूचना तथा प्रसार			
60	अन्य			
800	अन्य व्यय			
06	श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मूल	5.00	5.00	7.00
				(+2.00)

उपरोक्त शीर्ष के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत ₹ 37.60 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।

(viii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
60	अन्य			
051	निर्माण			
03	सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था मूल	1,00.00	1,00.00	1,37.60
				(+37.60)

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

- 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं  
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं

दत्तमत-

मूल	6,39,20,42		5,16,92,44	(-)1,91,95,78
पूरक	69,67,80	7,08,88,22		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				1,21,57,56

पूंजीगत :

- 4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय  
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय  
4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	18,85,52		22,81,53	(-)3,53,99
पूरक	7,50,00	26,35,52		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				1,00,00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,91,95.78 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,21,57.56 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(ii) ₹ 1,91,95.78 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 69,67.80 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।  
(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

( ₹ लाख में )

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	2,69,51.15	2,33,10.19	36,40.96
2008-09	3,32,24.04	2,38,71.17	93,52.87
2009-10	3,41,61.79	2,61,18.71	80,43.08
2010-11	4,65,25.84	3,81,53.51	83,72.33
2011-12	6,47,07.12	4,49,62.43	1,97,44.69

(iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान			
	मूल	1,40.07	1,40.07	1,17.66
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के			(-)22.41
				₹ 7,979 भी सम्मिलित है।
(2)	05 जिला कार्यालयों का अधिष्ठान			
	मूल	8,71.39		
	पूरक	36.00	9,07.39	8,73.34
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः			(-)34.05
	₹ 1,026 एवं ₹ 46,793 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 36.00 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान हेतु			
	निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन			
	मूल	50.27	50.27	46.44
				(-)3.83
(4)	277 शिक्षा			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	49,60.00		
	पूरक	4,35.61	53,95.61	16,06.33
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,35.61 लाख की वृद्धि पिछड़ी जाति के			(-)37,89.28
	दशमोत्तर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन (100 प्रतिशत के0स0) के भुगतान हेतु निधि की			
	आवश्यकता के कारण की गई।			
(5)	<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	04 विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र			
	मूल	68.62		
	पूरक	3.64	72.26	65.55
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 3.64 लाख की वृद्धि विभिन्न श्रेणी के			(-)6.71
	विकलांगों के लिए आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि			
	की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(6)	05 दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार मूल	7.00	7.00	3.50	(-)3.50
(7)	07 विकलांग युवक/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन मूल	20.00	20.00	14.20	(-)5.80
(8)	09 विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन मूल	45.00	45.00	35.82	(-)9.18
(9)	11 विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम मूल	27.68	27.68	15.04	(-)12.64
(10)	19 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता मूल	15.00	15.00	12.16	(-)2.84
(11)	102 बाल कल्याण				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,35,52.53			
	पूरक	0.01	1,11,38.49	1,10,26.12	(-)1,12.37
	पुनर्वि०	(-)24,14.05			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को टोकन प्रावधान आई०सी०डी०एस० निदेशालय स्थापना, (90% के०स०) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।  
प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 24,14.05 लाख की कमी निम्न कारणों से की गई—

- प्री-स्कूल किट/साड़ी क्रय के टेण्डर न होने के कारण
- विभाग में लगभग 40 प्रतिशत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण
- जनपदीय अधिकारियों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण
- शत-प्रतिशत आगंबाड़ी संचालित न होने के कारण
- पोषाहार के लिए टेण्डर न होने के कारण तथा
- स्टैट सैल में कार्मिकों की नियुक्ति न होने के कारण।

(12)	03 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्ठाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था मूल	1,46,00.00	50,86.29	50,86.29	0.00
	पुनर्वि०	(-)95,13.71			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 95,13.71 लाख के अभ्यर्पण पोषाहार के लिए टेण्डर न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(13)	04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र मूल	97.06	97.06	78.70	(-)18.36
(14)	05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना मूल	35.10	35.10	30.88	(-)4.22
(15)	06 बाल कल्याण की विविध योजनायें मूल	5,13.51	3,90.80	4,03.93	(+)13.13
	पुनर्वि०	(-)1,22.71			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,22.71 लाख के अभ्यर्पण जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निधि का उपभोग न किए जाने तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों की नियुक्ति न होने पर हुई बचत के कारण किए गए।				
(16)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन मूल	5,69.34	5,69.34	4,92.44	(-)76.90
(17)	11 अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (राज्य योजना) मूल	3.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)3.00			
(18)	14 पोषक मापक/स्तनपान योजना (राज्य योजना) मूल	10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10.00			
	उपरोक्त क्रम सं० (11) एवं (12) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
(19)	15 निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था मूल	57.70	35.54	35.53	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)22.16			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 22.16 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।				
(20)	103 महिला कल्याण 09 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना मूल	7.40	7.40	2.24	(-)5.16



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(21)	10 राज्य महिला आयोग की स्थापना मूल 64.72			
	पुनर्वि० (-)24.05	40.67	40.67	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 24.05 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(22)	13 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण मूल 50.00			
	पुनर्वि० (-)39.41	10.59	10.59	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 39.41 लाख के अभ्यर्पण जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निधि का उपभोग न किए जाने के कारण किए गए।			
(23)	15 निराश्रित विधावाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान मूल 31,00.00			
	पूरक 2,57.00	33,57.00	32,64.74	(-)92.26
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,57.00 लाख की वृद्धि निराश्रित विधावाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु सहायक अनुदान प्रदान करने के लिए की गई।			
(24)	17 महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति मूल 5.00	5.00	1.25	(-)3.75
(25)	19 परिवीक्षा सेवा मुख्यालय मूल 0.19			
	पूरक 16.02	16.21	3.96	(-)12.25
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 16.02 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(26)	20 परित्यक्त/निराश्रित महिला, मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी का भरण-पोषण अनुदान पूरक 15.60	15.60	10.10	(-)5.50
(27)	91 जिला योजना मूल 3.30	3.30	0.77	(-)2.53
(28)	104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निःसहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण 03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह मूल 21.90	21.90	17.41	(-)4.49

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(29)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण मूल	56.80	56.80	42.72	(-)14.08
(30)	800 अन्य व्यय 07 योजनाओं का मूल्यांकन, प्रचार प्रसार मूल	20.00	20.00	9.88	(-)10.12
(31)	91 सम्प्रेक्षण गृहों आदि का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण मूल	30.00	30.00	0.20	(-)29.80
(32)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन 05 सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन मूल	64,25.00	64,60.58	63,75.79	(-)84.79
	पूरक	35.58			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 35.58 लाख की वृद्धि वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(33)	91 पेंशन शिविरों का आयोजन मूल	30.00	30.00	28.10	(-)1.90
(34)	200 अन्य कार्यक्रम 03 सैनिकों का कल्याण मूल	20,55.72	20,55.72	19,90.20	(-)65.52
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उच्चत का समायोजन ₹ 1,009 भी सम्मिलित है।				
(35)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	55,24.20	55,24.20	50,41.08	(-)4,83.12
(36)	06 गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिए जनश्री बीमा योजना मूल	4,92.70	4,92.70	4,43.64	(-)49.06
(37)	2250 अन्य सामाजिक सेवायें 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	12,66.00	37,66.00	27,14.13	(-)10,51.87
	पूरक	25,00.00			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 25,00.00 लाख की वृद्धि अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट विकास योजना (100% के0पो0) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(38)	04 अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान मूल	46.73	46.73	32.08	(-)14.65
(39)	09 पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय मूल	30.00	30.00	5.00	(-)25.00
(40)	16 अल्प संख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति मूल	15,00.00	15,00.00	4,16.37	(-)10,83.63
(41)	18 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय मूल	45.75			
	पूरक	77.05	1,22.80	21.70	(-)1,01.10

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 77.05 लाख की वृद्धि अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(42)	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवायें 00				
	092 अन्य कार्यालय				
	04 मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके अश्रितों को आर्थिक सहायता मूल	2.00			
	पूरक	2.00	4.00	2.72	(-)1.28

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके अश्रितों को आर्थिक सहायता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(43)	05 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा अन्य सहायता मूल	15.00	15.00	0.27	(-)14.73
------	---------------------------------------------------------------	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण				
-----	---------------------------------------------------	--	--	--	--

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	16 प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र			
	मूल	65.00	65.00	0.00
	वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)65.00
(2)	102 बाल कल्याण			
	10 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन			
	मूल	15.00	15.00	0.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)15.00
(3)	103 महिला कल्याण			
	16 विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये एवं अन्तर्वासियों के पुनर्वासन एवं प्रशिक्षण के लिए राज सहायता			
	मूल	20.00	20.00	0.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)20.00
(4)	104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण			
	05 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण			
	मूल	5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)5.00
(5)	800 अन्य व्यय			
	06 विकलांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना			
	मूल	5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)5.00
(6)	12 भिक्षावृत्ति नियंत्रण अधिनियम का क्रियान्वयन			
	मूल	5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)5.00
(7)	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	21 जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान			
	पूरक	27.81	27.81	0.00
				(-)27.81
(8)	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवायें			
	00			
	092 अन्य कार्यालय			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

03	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतन्त्रता जन्म शताब्दी आदि के लिए सहायक अनुदान			
	मूल	1.00	1.00	0.00
	वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-1.00)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	17 निःशक्तजनों के द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति			
	मूल	80.00	80.00	1,27.75
				(+47.75)

(2)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	107 स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
	03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन			
	मूल	10,00.00	10,00.00	11,73.49
				(+1,73.49)

(3)	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	05 अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (100 प्रतिशत के0स0)			
	मूल	2,52.00		
			4,44.54	4,95.44
				(+50.90)
	पूरक	1,92.54		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,92.54 लाख की वृद्धि अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (100 प्रतिशत के0स0) हेतु सहायक अनुदान प्रदान करने के लिए की गई।

(4)	07 अरेबिया मदरसों को अनुदान			
	मूल	25.00	25.00	1,12.49
				(+87.49)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूजीगत :  
दत्तमत-

(vii) ₹ 3,53.99 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,00.00 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(viii) ₹ 3,53.99 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 7,50.00 लाख अधिक सिद्ध हुए।

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	10,82.63	8,67.46	2,15.17
2008-09	14,54.84	8,15.90	6,38.94
2009-10	7,60.03	2,51.37	5,08.66
2010-11	17,17.45	3,43.58	13,73.87
2011-12	32,19.88	10,16.84	22,03.04

(x) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	<b>4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,50.00	1,50.00	50.00
				(-),00.00
(2)	<b>4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	02 समाज कल्याण			
	103 महिला कल्याण			
	10 कार्यशील महिला छात्रावास (राज्य योजना)			
	मूल	1,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-),00.00		

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(3)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम			
	200 अन्य कार्यक्रम			
	03 सैनिक कल्याण			
	मूल	2,60.00	2,60.00	1,36.20
				(-),123.80

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	05 विकलांग प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण			
	मूल	80.00	80.00	0.00
				(-),80.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(2)	102 बाल कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(3)	03 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृहों का निर्माण मूल	50.00	3,50.00	0.00	(-)3,50.00
	पूरक	3,00.00			
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(4)	04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(5)	103 महिला कल्याण 09 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(6)	104 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(7)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 विकलांग हेतु स्वरोजगार अंशपूज्जी (49 प्रतिशत के0स0) मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों को सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	5,00.01	5,00.01	7,12.25	(+)2,12.24
(2)	05 कलियर शरीफ दरगाह परिसर के मास्टर प्लान का कियान्वयन मूल	0.50	0.50	3,03.25	(+)3,02.75
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				

## अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)

बचत (-)

( ₹ हजार में )

राजस्व :

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2230 श्रम तथा रोजगार

दत्तमत—

मूल	81,71,61			
		1,12,98,14	76,52,90	(-)36,45,24
पूरक	31,26,53			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013) 00  
 अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,80 हजार नहीं लिए गए है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	6,80,00			
		6,80,00	6,37,10	(-)42,90
पूरक	00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013) 00

टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 36,45.24 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 36,45.24 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 31,26.53 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	63,15.61	24,75.06	38,40.55
2008-09	68,55.11	33,26.53	35,28.58
2009-10	51,61.34	45,99.93	5,61.41
2010-11	72,17.76	60,09.72	12,08.04
2011-12	71,43.23	59,04.03	12,39.20

( ₹ लाख में )



(iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	8,47.69		
			10,44.44	
	पूरक	1,96.75	9,06.46	(-1,37.98)
(2)	2230 श्रम तथा रोजगार			
	01 श्रम			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 श्रम विभाग का अधिष्ठान			
	मूल	1,82.17		
			1,94.27	
	पूरक	12.10	1,35.36	(-58.91)
(3)	101 औद्योगिक सम्बन्ध			
	03 विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन			
	मूल	4,81.16		
			4,86.66	
	पूरक	5.50	4,01.40	(-85.26)
(4)	04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड			
	मूल	21.51		
			21.51	
	पूरक		15.35	(-6.16)
(5)	05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान			
	मूल	1,42.42		
			1,56.42	
	पूरक	14.00	1,22.13	(-34.29)
(6)	102 कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा			
	03 निरीक्षण अधिष्ठान			
	मूल	70.73		
			72.23	
	पूरक	1.50	52.13	(-20.10)
(7)	103 सामान्य श्रम कल्याण			
	03 श्रमिक कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र			
	मूल	65.98		
			65.98	
	पूरक		43.35	(-22.63)

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	02 रोजगार सेवाएं			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान			
	मूल	5,77.03		
	पूरक	35.65		
		6,12.68	4,74.63	(-),38.05
(9)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	14.55	14.55	5.59
	पूरक			(-),8.96
(10)	03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना (पिछड़े वर्ग हेतु)			
	मूल	1,23.99		
	पूरक	6.20		
		1,30.19	99.71	(-),30.48
(11)	07 बेरोजगारी भत्ता			
	मूल	25.00		
	पूरक	25,00.00		
		25,25.00	72.99	(-),24,52.01
(12)	03 प्रशिक्षण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 प्रशिक्षण एवं रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान			
	मूल	2,13.12		
	पूरक	6.55		
		2,19.67	1,78.72	(-),40.95
(13)	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	3,89.55		
	पूरक			
		3,89.55	2,66.01	(-),1,23.54
(14)	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान			
	मूल	47,62.98		
	पूरक	3,06.28		
		50,69.26	46,59.46	(-),4,09.80
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 18,878 भी सम्मिलित है।				
(15)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण			
	मूल	1,10.00		
	पूरक			
		1,10.00	1,07.60	(-),2.40

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(16)	08 औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति मूल	19.60	19.60	4.74	(-)14.86
(17)	09 नये व्यवसाय एवं अतिरिक्त यूनिट खोला जाना मूल	48.23	48.23	39.93	(-)8.30
(18)	102 शिक्षता प्रशिक्षण 03 शिक्षता प्रशिक्षण योजना मूल	9.08	9.08	2.88	(-)6.20

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 102 कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा 04 कारखाना/बॉयलर प्रभाग का विकेन्द्रीयकरण एवं सुदृढीकरण पूरक	12.00	12.00	0.00	(-)12.00
(2)	103 सामान्य श्रम कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना पूरक	30.00	30.00	0.00	(-)30.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 31.26.53 लाख की वृद्धि श्रम एवं रोजगार की निम्न योजनाओं के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई—

- श्रम विभाग का अधिष्ठान
- औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान
- निरीक्षण अधिष्ठान
- कारखाना/बॉयलर का विकेन्द्रीयकरण एवं सुदृढीकरण
- बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन की योजना (50 प्रतिशत के०पो०)
- रोजगार अधिष्ठान के अन्तर्गत रोजगार सेवाएं
- शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना (पिछड़ी जातियों के लिए)
- प्रशिक्षण एवं रोजगार संबन्धी अधिष्ठान
- बेराजगारी भत्ता तथा
- दस्तकार प्रशिक्षण योजना अधिष्ठान।

पूजीगत :  
दत्तमत-

- (vi) ₹ 42.90 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(vii) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (लाख ₹ में)
2007-08	10,95.30	10,59.87	35.43
2008-09	6,00.00	1,06.68	4,93.32
2009-10	2,65.00	2,19.18	45.82
2010-11	8,37.68	6,71.20	1,66.48
2011-12	16,92.75	10,47.25	6,45.50

- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4216 आवास पर पूजीगत परिव्यय 80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 श्रमायुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय मूल	80.00	80.00	65.00
				(-)15.00
(2)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मूल	5,00.00	5,00.00	4,92.10
				(-)7.90
(3)	003 प्रशिक्षण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,00.00	1,00.00	80.00
				(-)20.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

- 2401 फसल कृषि कर्म  
2402 मृदा तथा जल संरक्षण  
2415 कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा

दत्तमत—

मूल	3,96,13,96			
		4,16,25,70	2,84,42,94	(-)1,31,82,76
पूरक	20,11,74			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

पूंजीगत :

- 4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय  
6401 फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	26,47,32			
		1,78,30,32	1,91,57,53	(+ )13,27,21
पूरक	1,51,83,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,31,82.76 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(ii) ₹ 1,31,82.76 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान के ₹ 20,11.74 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।  
(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नवत् रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	2,37,28.25	2,12,15.65	25,12.60
2008-09	3,02,24.50	2,69,89.64	32,34.86
2009-10	2,80,56.67	2,66,25.09	14,31.58
2010-11	4,31,49.32	3,48,78.15	82,71.17
2011-12	4,64,41.32	4,19,68.13	44,73.19

( ₹ लाख में )

(iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	71,91.01		
			73,76.01	
	पूरक	1,85.00	71,81.10	(-),94.91
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,85.00 लाख की वृद्धि कृषि विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	102 खाद्यान्नों की फसलें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	21,91.01	21,91.01	
			13,80.95	(-),10.06
(3)	03 स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम			
	मूल	14.51	14.51	
			5.06	(-),9.45
(4)	04 खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम			
	मूल	10.00	10.00	
			7.70	(-),2.30
(5)	108 वाणिज्यिक फसलें			
	03 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का अधिष्ठान			
	मूल	10,58.79	10,58.79	
			8,34.17	(-),2,24.62
(6)	05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति			
	मूल	15.00	15.00	
			4.20	(-),10.80
(7)	110 फसल बीमा			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	6,00.00	6,00.00	
			27.79	(-),5,72.21
(8)	111 कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	46.14	46.14	
			35.58	(-),10.56
(9)	112 दालों का विकास			
	03 अरहर टी0एल0 बीज वितरण			
	पूरक	14.53	14.53	
			9.74	(-),4.79

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	113 कृषि इंजीनियरिंग 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल पूरक	1,00.00 79.00	1,79.00	78.96 (-1,00.04)
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 79.00 लाख की वृद्धि आकस्मिकता निधि से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलोजी एवं मैनेजमेंट योजना (100 प्रतिशत के०पो०) हेतु लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>				
(11)	800 अन्य योजनायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,17,44.31	1,17,44.31	9,50.88 (-1,07,93.43)
(12)	04 कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण मूल	1,64.02	1,64.02	1,60.38 (-3.64)
(13)	05 जलागम प्रबन्ध निदेशालय मूल	51.69	51.69	33.13 (-18.56)
(14)	06 विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय मूल	38.75	38.75	37.18 (-1.57)
(15)	11 जलागम प्रबन्ध परियोजनाएं अनुश्रवण विकास परिषद् मूल	12.45	12.45	1.02 (-11.43)
<p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 43,000 भी सम्मिलित है।</p>				
(16)	91 जिला योजना मूल पूरक	3,91.00 2,08.21	5,99.21	5,61.92 (-37.29)
(17)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	32,19.21	32,19.21	28,83.03 (-3,36.18)
<p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 5,19,991 भी सम्मिलित है।</p>				
(18)	2415 कृषि अनुसंधान 80 सामान्य			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	120 अन्य संस्थाओं को सहायता				
	03 कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर को सहायक अनुदान				
	मूल	99,10.00	1,14,10.00	1,14,00.00	(-)10.00
	पूरक	15,00.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(19)	04 भरसाड़ औद्योगिक महाविद्यालय				
	मूल	15,00.00	15,00.00	14,07.04	(-)92.96
(20)	05 पन्तनगर विश्वविद्यालय में वाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण				
	मूल	3,00.00	1,88.06	50.00	(-)1,38.06
	पुनर्वि०	(-)1,11.94			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 1,11.94 लाख की कमी पन्त नगर विश्वविद्यालय में वाह्य शोध केन्द्रों के निर्माण योजना में निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।				
(21)	08 कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण की विशिष्ट योजना				
	मूल	1,50.00	2,61.94	2,08.10	(-)53.84
	पुनर्वि०	1,11.94			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 1,11.94 लाख की वृद्धि कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
	(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	2401 फसल कृषि कर्म				
	00				
	107 वनस्पति संरक्षण				
	91 जिला योजना				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
(2)	800 अन्य व्यय				
	12 मृदा परीक्षण प्रसार कार्यक्रम				
	मूल	1.00	1.00	0.00	(-)1.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				



(vi) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(1)	2401 फसल कृषि कर्म 00 103 बीज 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (100 प्रतिशत के०पो०) मूल	0.01	0.01	3,01.58	(+)3,01.57
(2)	03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र मूल	25.01	25.01	26.81	(+)1.80
(3)	119 औद्यानिक एवं सब्जियों की फसलें 03 औद्यानिक विकास मूल पूरक पुनर्वि०	0.00 0.00 0.00	0.00	2.14	(+)2.14

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूजीगत :  
दत्तमत—

- (vii) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत ₹ 13,27.21 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (viii) ₹ 13,27.21 लाख के व्ययाधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वीकृत ₹ 1,51,83.00 लाख अपर्याप्त सिद्ध हुए।
- (ix) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4401 फसल कृषि-कर्म पर पूजीगत परिव्यय 00 103 बीज 03 खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित मूल	15,00.00	15,00.00	9,49.99	(-)5,50.01
(2)	800 अन्य व्यय 05 विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण मूल	43.00	43.00	31.24	(-)11.76
(3)	6401 फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज 00				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
109	वाणिज्यिक फसलें			
10	उत्तराखण्ड सहकारी क्षेत्र/निगम की मिलों को ऋण मूल	25,19.32		
	पूरक	1,36,83.00	1,62,02.32	1,56,36.32 (-)5,66.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,36,83.00 लाख की वृद्धि किसानों को वर्ष 2011-12 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

6401	फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज				
00					
109	वाणिज्यिक फसलें				
03	एन0सी0डी0सी0 योजना उर्वरक गोदाम निर्माण हेतु ऋण मूल	45.00	45.00	0.00	(-)45.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

4401	फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय				
00					
107	वनस्पति संरक्षण				
03	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रो न्यूट्रिमेंट की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है मूल	4,50.00	4,50.00	9,99.98	(+)5,49.98

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 18 सहकारिता

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ हजार में)

राजस्व :

2425 सहकारिता

दत्तमत—

मूल	37,01,27			
पूरक	1,30,90	38,32,17	32,29,16	(-)6,03,01
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 7 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	4,50,00			
पूरक	30,00	4,80,00	4,80,00	00
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 6,03.01 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 6,03.01 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,30.90 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	21,68.20	20,29.05	1,39.15
2008-09	22,15.12	14,42.67	7,72.45
2009-10	27,72.05	25,89.12	1,82.93
2010-11	30,79.28	25,92.23	4,87.05
2011-12	42,30.95	32,00.65	10,30.30

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2425 सहकारिता 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण मूल	14,58.53	14,58.53	11,09.68 (-)3,48.85
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण निधि की आवश्यकता न होना सूचित किया गया।				
(2)	800 अन्य व्यय 04 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) मूल	2,50.00	2,80.00	2,12.08 (-)67.92
	पूरक	30.00		
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 30.00 लाख की वृद्धि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) को सहायक अनुदान प्रदान करने के लिए की गई। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत परियोजनाओं का वित्तीय सहायता पाने के पात्र न होना सूचित किया गया।				
(3)	20 सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन मूल	18.00	18.00	16.00 (-)2.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत क्रम सं० (1) एवं (2) को छोड़कर, के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2425 सहकारिता 00 800 अन्य व्यय 19 वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियां लागू करना मूल	6,00.00	1,80.00	0.00 (-)1,80.00
	पुनर्वि०	(-)4,20.00		
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अप्रयुक्त रहने का कारण शासन से निधि का अवमुक्त न होना सूचित किया गया।				
(2)	24 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० को भवन निर्माण हेतु सहायता मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण शासन से पर्याप्त निधि की स्वीकृति न होना सूचित किया गया (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2425 सहकारिता 00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	05 सहकारिता न्यायधिकरण मूल	58.42	58.42	59.88
				(+)1.46
(2)	800 अन्य व्यय			
	13 सहकारी सहभागिता योजना मूल	8,00.00		
			12,20.00	12,20.00
	पुनर्वि०	4,20.00		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2013 को ₹ 4,20.00 लाख की वृद्धि सहकारी सहभागिता योजना को उपदान प्रदान करने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त क्रम सं० (1) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) पूँजीगत प्रावधान ₹ 4,80.00 लाख वर्ष के दौरान पूर्णतः उपयोग कर लिए गए।

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

2501 ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम  
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

दत्तमत—

मूल	3,78,19,44	3,89,51,67	2,56,51,69	(-1,32,99,98
पूरक	11,32,23			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				95,74,05

पूंजीगत :

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	2,92,36,01	3,12,36,01	1,79,81,42	(-1,32,54,59
पूरक	20,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				1,05,21,09

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 18,32,35 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- ₹ 1,32,99.98 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 95,74.05 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 1,32,99.98 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 11,32.23 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	( ₹ लाख में ) बचत
2007-08	3,09,84.40	2,60,21.29	49,63.11
2008-09	3,39,56.17	2,94,43.04	45,13.13
2009-10	3,69,68.39	2,99,47.07	70,21.32
2010-11	4,62,87.99	3,87,66.25	75,21.74
2011-12	3,87,84.37	2,95,13.73	92,70.64

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 76,15.66	43,13.93	42,93.94	(-)19.99
	पुनर्वि० (-)33,01.73			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 2,359 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 33,01.73 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—			
	➤ राज्यांश के प्राप्त न होने तथा			
	➤ केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश प्राप्त न होना।			
(2)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान मूल 1,46.36	1,25.91	1,25.92	(+)0.01
	पुनर्वि० (-)20.45			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 20.45 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान देयकों के भुगतान के पश्चात शेष राशि की बचत के कारण किए गए।			
(3)	04 पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान मूल 80.76	82.01	64.65	(-)17.36
	पूरक 1.25			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.25 लाख की वृद्धि पंचायती राज निदेशालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	003 प्रशिक्षण 03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान) मूल 5,90.91	5,16.01	5,16.01	0.00
	पुनर्वि० (-)74.90			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 74.90 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	101 पंचायती राज 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 37,56.21	37,56.21	29,77.00	(-)7,79.21

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(6)	03 पंचायती राज अधिष्ठान मूल	5,60.50	5,60.50	4,44.58	(-1,15.92
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उच्चत का समायोजन के क्रमशः ₹ 11,020 एवं ₹ 2,56,962 भी सम्मिलित है।					
(7)	102 सामुदायिक विकास 03 अधिष्ठान मूल	81,45.10	75,62.15	75,55.02	(-)7.13
	पुनर्वि०	(-)5,82.95			
(8)	05 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान पूरक	10,34.88	80.10	80.06	(-)0.04
	पुनर्वि०	(-)9,54.78			
उपरोक्त क्रम सं० (7) एवं (8) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।					
(9)	09 उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना मूल	1,00.00	81.05	81.05	0.00
	पुनर्वि०	(-)18.95			
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 18.95 लाख के अभ्यर्पण संख्या मद के अनुसार निधि की स्वीकृति न होने के कारण किए गए।					
(10)	12 दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना मूल	2,00.00	66.57	66.57	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,33.43			
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,33.43 लाख के अभ्यर्पण सरकार से निधि की स्वीकृति न होने के कारण किए गए।					
(11)	18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	44.01	17.35	17.35	0.00
	पुनर्वि०	(-)26.66			
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 26.66 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।					



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	19 निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति मूल 6,00.00 पुनर्वि० (-)6,00.00 दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6,00.00 लाख के अभ्यर्पण शासन से सहमति न होने के कारण किए गए।	0.00	0.00	0.00
(13)	21 मुख्य मन्त्री शिल्प विकास योजना मूल 80.00 पुनर्वि० (-)80.00 दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 80.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण पिछले वर्ष की निधि का उपयोग न होना सूचित किया गया।	0.00	0.00	0.00
(14)	97 आईफेड वाह्य सहायतित योजना मूल 55,00.00 पुनर्वि० (-)37,52.00 दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 37,52.00 लाख के अभ्यर्पण निधि के अधिक आवंटन के कारण किए गए।	17,48.00	17,48.00	0.00
(15)	800 अन्य व्यय 03 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मूल 28,53.51	28,53.51	24,51.00	(-)4,02.51
(16)	04 वन पंचायत मूल 71.16	71.16	35.41	(-)35.75
(17)	05 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ मूल 21.25 पूरक 2.80 प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2.80 लाख की वृद्धि पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों के अन्तर्गत निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	24.05	10.61	(-)13.44
(18)	06 राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय मूल 1,41.49 पूरक 3.80 पुनर्वि० (-)1.27 प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 3.80 लाख की वृद्धि राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों आदि हेतु) के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में जैसे गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, व्यावसायिक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	1,44.02	1,23.71	(-)20.31

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2013 को ₹ 1.27 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(19)	07 राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय)			
	मूल	36.63		
	पूरक	7.50	45.40	
	पुनर्वि०	1.27		
			38.90	(-)-6.50
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 7.50 लाख की वृद्धि राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तर पर) के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों जैसे गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई एवं यात्रा व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2013 को ₹ 1.27 लाख की वृद्धि कर्मियों को वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते के भुगतान करने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(20)	08 ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर वेतन आदि के लिए व्यवस्था			
	मूल	63,50.30		
	पूरक	37.00	63,66.68	
	पुनर्वि०	(-)-20.62		
			40,50.74	(-)-23,15.94
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 61,125, ₹ 78,866, ₹ 40,356 एवं ₹ 28,74,942 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 37.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई— दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 20.62 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ स्वीकृत पदों के विरुद्ध कर्मियों की नियुक्ति न होना</li> <li>➤ कड़े अर्थिक उपाय।</li> </ul>			
(21)	09 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद् की स्थापना			
	मूल	11.80	11.80	
			0.21	(-)-11.59
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:			
	<b>2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम</b>			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	66.20		
	पूरक	45.00	1,04.13	
	पुनर्वि०	(-)-7.07		
			1,24.13	(+)-20.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 45.00 लाख की वृद्धि राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास संस्थानों को सहायक अनुदान प्रदान करने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 7.07 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूजीगत :  
दत्तमत-

- (vi) ₹ 1,32,54.59 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,05,21.09 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (vii) ₹ 1,32,54.59 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 20,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	92,19.02	74,25.47	17,93.55
2008-09	95,52.16	82,37.74	13,14.42
2009-10	47,70.01	38,36.79	9,33.22
2010-11	71,34.66	58,14.95	13,19.71
2011-12	2,13,88.26	1,47,83.57	66,04.69

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूजीगत परिव्यय			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	31,60.00		
	पूरक	20,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-51,60.00)		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 51,60.00 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—			
	➤ केन्द्रांश के प्राप्त न होने तथा			
	➤ शासन स्तर से योजना का स्वीकृत न होना।			
(2)	03 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.बी. का भुगतान			
	मूल	30,00.00		
			29,97.25	0.00
	पुनर्वि०	(-2.75)		

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	04 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	25.00	0.00	-0.00
	पुनर्वि०	(-25.00)		0.00
(4)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान			
	मूल	5,00.00	1,66.67	1,66.67
	पुनर्वि०	(-3,33.33)		0.00
	उपरोक्त क्रम सं० (2) से (4) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण शासन से निधि प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(5)	07 विधायक निधि			
	मूल	1,64,01.00	1,64,01.00	1,36,67.50
				(-27,33.50)
(6)	09 उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि			
	मूल	50,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-50,00.00)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 50,00.00 लाख के अभ्यर्पण कार्य योजना पूर्ण न होने के कारण किए गए।			
	उपरोक्त क्रम सं० (5) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

- 2700 मुख्य सिंचाई
- 2701 मध्यम सिंचाई
- 2702 लघु सिंचाई
- 2705 कमान क्षेत्र विकास
- 2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास

दत्तमत—

मूल	3,46,48,83			
		3,46,88,55	3,15,43,44	(-)31,45,11
पूरक	39,72			
				38,42,06
				वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

पूंजीगत :

- 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	5,98,23,01			
		6,94,28,21	4,38,01,46	(-)2,56,26,75
पूरक	96,05,20			
				2,15,89,43
				वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 31,45.11 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 38,42.06 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (ii) ₹ 31,45.11 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 39.72 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2700 मुख्य सिंचाई 00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 निदेशन			
	मूल	21,68.12		
	पूरक	10.22	21,06.24	21,06.19
	पुनर्वि०	(-72.10)		(-)0.05
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10.22 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(2)	04 कार्यकारी अधिष्ठान			
	मूल	1,98,49.50		
	पुनर्वि०	(-)12,35.37	1,86,14.13	1,85,24.99
वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06, 2010-11 एवं 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 9,50,343, ₹ 41,884 एवं ₹ 1,40,425 भी सम्मिलित है।				
उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को प्रावधान का अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(3)	05 दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों) हेतु एकमुश्त व्यवस्था			
	मूल	20,90.00		
	पुनर्वि०	(-)4,59.98	16,30.02	16,30.03
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4,59.98 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण मजदूरी में हुई बचत के कारण किए गए।				
(4)	08 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान			
	मूल	7.92		
	पुनर्वि०	(-)3.44	4.48	4.48
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.44 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः यात्रा भत्ता, मानदेय, कार्यालय व्यय एवं लेखन सामग्री एवं फॉर्मों की छपाई में हुई बचत के कारण किए गए।				
(5)	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	19,00.00		
	पुनर्वि०	(-)19,00.00	0.00	0.00
उक्त शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	05 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि मूल 20.01 पुनर्वि० (-)0.01	20.00	16.60	(-)3.40
(7)	2701 मध्यम सिंचाई 12 हरिपुरा/बौर बांध व नहरें 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव मूल 2,71.75 पुनर्वि० (-)0.04	2,71.75	2,63.97	(-)7.78
(8)	13 अन्य सिंचाई योजनाएं 101 अन्य सिंचाई योजनाएं 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल 2,95.00 पुनर्वि० (-)0.04	2,94.96	2,81.93	(-)13.03
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 0.04 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(9)	2702 लघु सिंचाई 02 भूजल 005 अन्वेषण 03 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढीकरण मूल 16,59.26 पूरक 29.50 पुनर्वि० (-)1,10.71	15,78.05	15,81.18	(+)3.13
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 29.50 लाख की वृद्धि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास आकलन एवं सुदृढीकरण के कर्मियों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,10.71 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण स्वीकृत पदों के अनुसार पदों को न भरे जाने के कारण किए गए।				
(10)	05 लघु सिंचाई सलाहकार समिति मूल 15.72 पुनर्वि० (-)12.87	2.85	2.85	0.00
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 12.87 लाख के अभ्यर्पण माननीय परामर्शदाताओं के पद रिक्त रहने के कारण किए गए।				
(11)	03 रख-रखाव 101 जल टंकी			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	10,50.01		
	पुनर्वि०	(-)0.04		
दिनांक	31 मार्च 2013 को ₹ 0.04 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण मद में हुई बचत के कारण किए गए।			
(12)	102 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं 03 अनुरक्षण कार्य मूल	8,60.00		
	पुनर्वि०	(-)5.74		
दिनांक	31 मार्च 2013 को ₹ 5.74 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण अनुरक्षण एवं विद्युत व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(13)	80 सामान्य 800 अन्य मद 03 रेशनलाईजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन मूल	25.42		
	पुनर्वि०	(-)11.69		
दिनांक	31 मार्च 2013 को ₹ 11.69 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	2701 मध्यम सिंचाई 14 हरिद्वार जनपद की नहरों का अनुरक्षण 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव मूल	45.00		
	पुनर्वि०	(-)30.00		
(2)	15 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का अनुरक्षण 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव व्यय	25.00		
	पुनर्वि०	(-)25.00		
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।			



(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2701 मध्यम सिंचाई 10 तुमरिया योजना 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	3,15.00	3,15.00	3,20.64 (+)5.64
(2)	11 दून नहरें 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	3,40.00	3,40.00	3,48.77 (+)8.77
(3)	80 सामान्य 799 उचन्त 03 भन्डार मूल पूरक पुनर्वि०	0.00 0.00 0.00	0.00	7,26.20 (+)7,26.20
(4)	800 अन्य व्यय 05 मुख्य अभियन्ता मूल	6.00	6.00	9.34 (+)3.34
(5)	2702 लघु सिंचाई 02 भूजल 103 नलकूप 03 अनुरक्षण कार्य मूल पुनर्वि०	30,50.00 (-)0.04	30,49.96	35,49.89 (+)4,99.83
(6)	2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास 01 बाढ़ नियन्त्रण 103 सिविल निर्माण कार्य 03 सिविल निर्माण कार्य मूल पुनर्वि०	4,10.00 (-)0.01	4,09.99	4,13.90 (+)3.91

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## (vi) उचन्त लेन-देन “उचन्त”

लघु शीर्ष “उचन्त” अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

1. **स्टाक**—इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्ट्राक के लिये प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्ट्राक में रखी गयी सामग्री के खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।
2. **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ**—इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के लिए नामे राशियाँ होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशि का सूचक है।
3. **वर्कशाप उचन्त**—विभागीय वर्कशापों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

2012-2013 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत-

- (vii) ₹ 2,56,26.75 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,15,89.43 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 2,56,26.75 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 96,05.20 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	03 सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के अनुबन्धों, के अन्तर्गत देय डिक्रीटल राशियों के भुगतान हेतु			
	800 अन्य व्यय			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	30.00	30.00	6.18 (-23.82)
(2)	04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	43,00.01	74,40.01	74,22.03 (-17.98)
	पूरक	31,40.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 31,40.00 लाख की वृद्धि नाबार्ड के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्य एवं राज्य प्रक्षेत्र से सेवित नलकूपों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	05 सिंचाई विभाग की नई योजनाएं 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,60,00.00	83,78.08	64,40.37 (-19,37.71)
	पुनर्वि०	(-76,21.92)		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 76,21.92 लाख के अभ्यर्षण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(4)	07 उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	6,50.00	6,50.00	3,49.94 (-3,00.06)
(5)	15 टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख-रखाव कार्य मूल	22,00.00	22,00.00	16,00.00 (-6,00.00)
(6)	18 पुलों का आधुनिकीकरण/पुर्ननिर्माण 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख-रखाव व्यय पूरक	10,00.00	10,00.00	5,71.77 (-4,28.23)
	माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान पुलों/बांधों के आधुनिकीकरण एवं पुर्ननिर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			
(7)	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 005 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (किशाउ बांध सम्मिलित करते हुए) 03 निर्माण कार्य मूल	70.00	70.00	10.78 (-59.22)

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90% के०स०) मूल 2,26,03.00 पुनर्वि० (-)1,36,88.94	89,14.06	85,65.34	(-)3,48.72
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,36,88.94 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए— ➤ भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रांश के अवमुक्त न होने के कारण ➤ डिप्लोमा इंजीनियर्स यूनियन की हड़ताल होने के कारण तथा ➤ चालू निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश का माह फरवरी के दूसरे पखवाड़े में प्राप्त होने के कारण निधि का उपयोग न होना।			
(9)	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियन्त्रण 103 सिविल निर्माण कार्य 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 80,00.00	80,00.00	15,50.87	(-)64,49.13
(10)	03 अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव मूल 4,00.00 पूरक 22,00.00	26,00.00	22,93.38	(-)3,06.62
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 22,00.00 लाख की वृद्धि अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदियों में सुधार तथा कटाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(x)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01 जमरानी बांध 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 45.00	45.00	0.00	(-)45.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	006 परिकल्प एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का उच्चीकरण			
	03 निर्माण कार्य			
	मूल	15.00	15.00	0.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)15.00
(3)	190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	03 उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम को अंश पूंजी			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				(-)1,00.00
(4)	800 अन्य व्यय			
	03 जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के लिए जलाशय एवं कन्टूर ट्रैच आदि का निर्माण			
	मूल	70.00	70.00	0.00
				(-)70.00
(5)	04 अपर यमुना रीवर बोर्ड हेतु रिजर्व व बिल्डिंग फंड			
	मूल	20.00	20.00	0.00
				(-)20.00
(6)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	04 अटल आदर्श ग्रामों में सिंचाई सुविधा			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें			
	800 अन्य व्यय			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	50,70.00		
	पूरक	30,75.00	78,66.43	84,69.79
	पुनर्वि०	(-)2,78.57		(+)6,03.36

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 30,75.00 लाख की वृद्धि राज्य प्रक्षेत्र तथा नाबार्ड से पोषित नहरों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,78.57 लाख के अभ्यर्पण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	11 उचन्त			
	799 उचन्त			
	03 भण्डार			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	42,35.62
	पुनर्वि०	0.00		(+)42,35.62
(3)	04 विविध कार्य अग्रिम			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1,11.39
	पुनर्वि०	0.00		(+)1,11.39
(4)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	05 अनावसीय भवनों का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
	पूरक	1,34.58	2,34.58	2,84.58
				(+)50.00
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,34.58 लाख की वृद्धि अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(5)	91 उचन्त-उचन्त से निर्माण कार्यों को सामग्री का निर्गमन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	17,33.86
	पुनर्वि०	0.00		(+)17,33.86

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xii) उचन्त लेन-देन:

टिप्पणी (vi) के अनुसार

उचन्त लेन-देन का विश्लेषण-सिंचाई विभाग के वर्ष 2012-2013 के पूंजी प्रभाग परिशिष्ट (IV) में दिया गया है।

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2801 बिजली  
2810 वैकल्पिक ऊर्जा

दत्तमत—

मूल	11,48,76		
पूरक	80,00	12,28,76	12,54,64 (+)25,88
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			00

पूँजीगत :

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
6801 बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज

दत्तमत—

मूल	5,47,01,02		
पूरक	4,04,11,00	9,51,12,02	5,82,72,00 (-)3,68,40,02
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) अनुदान के राजस्व दत्तमत के अन्तर्गत ₹ 25.88 लाख का व्ययाधिक्य है। व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के वर्ष 2001-02 के ₹ 33.00 लाख के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित है।  
(ii) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

2810 वैकल्पिक ऊर्जा

60 ऊर्जा के अन्य स्रोत

800 अन्य व्यय

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना

मूल	1,35.00	1,35.00	1,68.00	(+)33.00
-----	---------	---------	---------	----------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 33,00,000 के कारण है।

(iii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2801 ऊर्जा</b>			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	800 अन्य व्यय			
	03 ऊर्जा विकास निधि का प्रबंधन			
	मूल	10.94	10.94	4.04 (-)6.90

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूजीगत :  
दत्तमत-

- (iv) ₹ 3,68,40.02 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(v) ₹ 3,68,40.02 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 4,04,11.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।  
(vi) पूजीगत दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (₹ लाख में)
2007-08	3,69,44.06	3,68,53.09	90.97
2008-09	6,44,68.50	2,20,30.07	4,24,38.43
2009-10	10,56,61.76	6,78,73.37	3,77,88.39
2010-11	3,96,33.99	1,09,65.03	2,86,68.96
2011-12	6,76,03.02	1,44,10.70	5,31,92.32

(vii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

- (1) **4801 बिजली परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय**
- 01 जल विद्युत उत्पादन
- 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश
- 05 ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन
- |     |          |          |          |             |
|-----|----------|----------|----------|-------------|
| मूल | 84,00.00 | 84,00.00 | 11,94.00 | (-)72,06.00 |
|-----|----------|----------|----------|-------------|
- (2) 06 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश
- |     |          |          |          |            |
|-----|----------|----------|----------|------------|
| मूल | 60,00.00 | 60,00.00 | 56,17.00 | (-)3,83.00 |
|-----|----------|----------|----------|------------|
- (3) 05 पारेषण एवं वितरण
- 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश
- 07 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में वितरण परियोजनाओं हेतु निवेश
- |     |          |          |          |            |
|-----|----------|----------|----------|------------|
| मूल | 25,00.00 | 25,00.00 | 19,80.00 | (-)5,20.00 |
|-----|----------|----------|----------|------------|



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	11,26.54 (-)1,38,73.46
(5)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 जल विद्युत उत्पादन 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 04 नाबार्ड से जल विद्युत निगम को ऋण मूल	25,01.00	25,01.00	20,18.00 (-)4,83.00
(6)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	40,00.00	40,00.00	33,99.00 (-)6,01.00
(7)	05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 91 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण मूल	8,00.00	8,00.00	5,38.50 (-)2,61.50
(8)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	1,25,00.00	1,25,00.00	14,25.96 (-)1,10,74.04

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 जल विद्युत उत्पादन 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 08 मनेरी भाली फेज-2 में जोशियाडा बैराज की सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु अंशपूंजी पूरक	10,00.00	10,00.00	0.00 (-)10,00.00
(2)	09 मनेरी भाली फेज-1 में आपदा कार्य हेतु अंशपूंजी पूरक	25,00.00	25,00.00	0.00 (-)25,00.00
(3)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	20,00.00	20,00.00	0.00 (-)20,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(ix) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
05	पारेषण एवं वितरण			
190	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
06	पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश			
	मूल	10,00.00	10,00.00	40,62.00
				(+)30,62.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
<b>राजस्व :</b>			
2059 लोक निर्माण कार्य			
2216 आवास			
3054 सड़क तथा सेतु			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	4,88,24,38		
		5,36,79,38	4,79,94,53
पूरक	48,55,00		(-) 56,84,85
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			44,56
<b>प्रभारित—</b>			
मूल	3,15,00		
		3,88,00	2,85,91
पूरक	73,00		(-) 1,02,09
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			85,61
<b>पूंजीगत :</b>			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	6,97,00,00		
		9,13,20,00	9,19,54,65
पूरक	2,16,20,00		(+) 6,34,65
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			24,50,89
<b>टिप्पणियां एवं टीकायें</b>			
<b>राजस्व :</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
(i)	₹ 56,84.85 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 44.56 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।		
(ii)	₹ 56,84.85 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 48,55.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।		

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	3,21,19.75	2,91,41.37	29,78.38
2008-09	3,87,14.13	3,35,96.03	51,18.10
2009-10	3,85,23.94	3,56,60.19	28,63.75
2010-11	3,80,00.74	3,45,06.54	34,94.20
2011-12	4,37,52.92	4,02,09.80	35,43.12

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2059 लोक निर्माण कार्य 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 निदेशन मूल	18,74.36	20,99.36	19,54.70 (-),144.66
	पूरक	2,25.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 4,45,905 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,25.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	05 कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु मूल	34,00.00	34,00.00	18,24.89 (-),15,75.11
(3)	051 निर्माण 03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड मूल	2,20,42.01	2,64,72.01	2,55,83.36 (-),8,88.65
	पूरक	44,30.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के 1,44,173 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 44,30.00 लाख की वृद्धि विकास/निर्माण प्रखण्डों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	102 रख रखाव तथा मरम्मत 06 सर्किट हाऊस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, सामान्य एवं विशेष मरम्मत मूल	1,61.01	1,61.01	1,58.08 (-),2.93
(5)	3054 सड़क तथा सेतु 04 जिला और अन्य सड़कें			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	337 सड़क निर्माण कार्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ			
	मूल	78,00.00	78,00.00	72,89.01 (-)5,10.99
(6)	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 निर्माण			
	मूल	2,05.00	1,77.60	1,81.29 (+)3.69
	पुनर्वि०			(-)27.40

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 27.40 लाख के अभ्यर्पण भारतीय सड़क कांग्रेस एवं भारतीय भवन कांग्रेस को सहायक अनुदान प्रदान करने में हुई बचत के कारण हुई। बचत परियोजना संरचना, परीक्षण, गुणवत्ता एवं कन्सल्टेंसी आदि में भी बचत परिलक्षित हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>3054 सड़क तथा सेतु</b>				
	01 राष्ट्रीय राजमार्ग				
	337 सड़क निर्माण कार्य				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ				
	मूल	30,00.00	30,00.00	0.00	(-)30,00.00
(2)	03 राज्य राजमार्ग				
	337 सड़क निर्माण कार्य				
	03 अनुरक्षण एवं मरम्मत (दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र)				
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	<b>2216 आवास</b>				
	01 सरकारी रिहाइशी भवन (मतदेय)				
	700 अन्य आवास				
	03 निर्माण				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	3.03	(+)3.03
	पुनर्वि०	0.00			

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	<b>3054 सड़क तथा सेतु</b>			
	04 जिला और अन्य सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
	03 अनुरक्षण एवं मरम्मत			
	मूल	97,00.00		
	पूरक	2,00.00	98,83.32	1,08,49.40
	पुनर्वि०	(-)16.68		(+)9,66.08

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि राज्य के सड़क/पुलों के रख-रखाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 16.68 लाख के अर्भण राज्य के सड़क/पुलों के रख-रखाव हेतु आवंटित निधि में हुई बचत के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(3)	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	04 न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	8.35
	पुनर्वि०	0.00		(+)8.35

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

राजस्व :  
प्रभारित—

- (vii) ₹ 1,02.09 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 85.61 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(viii) ₹ 1,02.09 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक विनियोग ₹ 73.00 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।  
(ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2059 लोक निर्माण कार्य</b>			
	01 कार्यालय भवन			
	053 रखरखाव तथा मरम्मत			
	03 रखरखाव तथा मरम्मत (भारित)			
	मूल	1,68.00		
	पूरक	73.00	2,41.00	2,38.13
				(-)2.87

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 73.00 लाख की वृद्धि विद्युत देयकों एवं रख-रखाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(2)	2216 आवास 01 सरकारी रिहाइशी भवन 700 अन्य आवास 03 निर्माण मूल	52.00	52.00	45.13	(-)6.87
(3)	3054 सड़क तथा सेतू 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 04 न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान (भारत) मूल	95.00	9.39	2.65	(-)6.74
	पुनर्वि०	(-)85.61			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 85.61 लाख के अभ्यर्पण "वृहत निर्माण कार्य" में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

**पूँजीगत :  
दत्तमत—**

- (x) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत ₹ 6,34.65 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (xi) ₹ 6,34.65 लाख के अन्तिम आधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,16,20.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त तथा ₹ 24,50.89 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (xii) आधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 13 पूल आवास योजना (नए कार्य) मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	18.01	(+)18.01
	पुनर्वि०	0.00			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03 राज्य मार्ग 101 पुल 03 पुलों का सुदृढीकरण एवं निर्माण मूल 25,00.00 पुनर्वि० (-)43.30	24,56.70	34,20.86	(+)9,64.16
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 43.30 लाख के अभ्यर्पण "वृहत निर्माण कार्य" में बचत के फलस्वरूप किए गए।			
(3)	799 उचन्त 03 उचन्त मूल 0.00 पूरक 0.00 पुनर्वि० 0.00	0.00	54,22.85	(+)54,22.85
(4)	04 विविध निर्माण अग्रिम मूल 0.00 पूरक 0.00 पुनर्वि० 0.00	0.00	52,55.92	(+)52,55.92
(5)	04 जिला तथा अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 03 राज्य सेक्टर मूल 2,63,00.00 पूरक 75,00.00 पुनर्वि० (-)12,63.55	3,25,36.45	3,43,43.45	(+)18,07.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 75,00.00 लाख की वृद्धि चालू निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 12,63.55 लाख के अभ्यर्पण चालू निर्माण कार्य एवं नए निर्माण कार्यों के अन्तर्गत "वृहत निर्माण कार्य" में हुई बचत के फलस्वरूप किए गए।			
(6)	04 केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य (100 प्रतिशत कें०स०) मूल 0.00 पूरक 0.00 पुनर्वि० 0.00	0.00	5,49.99	(+)5,49.99
(7)	06 बाढ़ व भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-)41.05	58.95	64,92.78	(+)64,33.83
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 41.05 लाख का अभ्यर्पण "वृहत निर्माण कार्य" में बचत के फलस्वरूप किए गए।			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	91 जिला योजना			
	मूल	60,00.00		
	पूरक	22,00.00	1,49,00.00	1,49,00.00
	पुनर्वि०	67,00.00		0.00

जिला योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु ₹ 22,00.00 लाख की आवश्यकता थी जिसको माह दिसम्बर 2012 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया गया।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2013 को ₹ 67,00.00 लाख की वृद्धि जिला योजना के अन्तर्गत "वृहत निर्माण कार्य" हेतु और अधिक निधि की आवश्यकता होने के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

### (xiii) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जमा और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टाक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

1. **स्टाक**-इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टाक के लिये प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टाक में रखी गयी सामग्री के खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

2. **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ**-इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्य पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियाँ आदि के लिए नामे राशियाँ होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे, शेष वसूली योग्य राशि का सूचक है।

3. **वर्कशाप उचन्त**-विभागीय वर्कशापों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

2012-2013 तक की अवधि के लोक निर्माण विभाग के पूंजीगत प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-V में दिया गया है।

(xiv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई-

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 10 लोक निर्माण (चालू कार्य) मूल 2,00.00	1,89.82	1,64.82	(-)25.00
	पुनर्वि० (-)10.18			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10.18 लाख के अभ्यर्पण चालू निर्माण कार्यों के अन्तर्गत "वृहत निर्माण कार्य" में हुई बचत के कारण किए गए।			
(2)	12 पूल्ड आवास योजना (चालू कार्य) मूल 2,00.00	2,00.00	1,89.21	(-)10.79
(3)	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03 राज्य मार्ग 052 मशीनरी तथा उपस्कर 04 उपकरण एवं संयन्त्र का क्रय मूल 50.00	47.52	47.52	0.00
	पुनर्वि० (-)2.48			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.48 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(4)	04 अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 66,00.00	64,99.51	57,92.04	(-)7,07.47
	पुनर्वि० (-)1,00.49			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,00.49 लाख के अभ्यर्पण देहरादून रिग रोड, चमोली एवं गोपेश्वर लिक रोड तथा श्रीनगर-पौड़ी रोड के अन्तर्गत "वृहत निर्माण कार्य" में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मूल 25,00.00	24,79.50	24,52.85	(-)26.65
	पुनर्वि० (-)20.50			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 20.50 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	07 क्रानिक स्लिप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था मूल 50.00			
	पुनर्वि० (-)50.00	0.00	0.00	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।			
(7)	97 विश्व बैंक सहायतित योजना/बाह्य/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत सुदृढीकरण मूल 2,50,00.00			
	पुनर्वि० (-)75,99.34	1,74,00.66	1,10,90.13	(-)63,10.53
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 08 फरवरी 2013 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(8)	05 सड़कें 800 अन्य व्यय 02 विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत सड़कें/सेतु का निर्माण पूरक 1,19,00.00			
		1,19,00.00	15,94.23	(-)1,03,05.77
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			

## अनुदान सं० 23 उद्योग

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

- 2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
- 2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
- 3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

दत्तमत—

मूल	65,52,17			
		71,39,02	60,06,72	(-)11,32,30
पूरक	5,86,85			
				11,38,56
				वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

पूँजीगत :

- 4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय
- 4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय
- 4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय
- 4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	35,55,00			
		40,55,00	16,86,00	(-)23,69,00
पूरक	5,00,00			
				23,69,00
				वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 11,32.30 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 11,38.56 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (ii) ₹ 11,32.30 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 5,86.85 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत ( ₹ लाख में )
2007-08	56,37.17	41,40.75	14,96.42
2008-09	54,26.39	41,18.54	13,07.85
2009-10	44,18.83	42,84.95	1,33.88
2010-11	64,29.43	59,15.18	5,14.25
2011-12	78,77.22	64,30.43	14,46.79

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2058</b> लेखन सामग्री तथा मुद्रण 00			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	03 राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान			
	मूल	8,59.86		
	पूरक	27.60	8,39.97	8,39.95
	पुनर्वि०	(-47.49)		(-)0.02
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 27.60 लाख की वृद्धि राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 47.49 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए। बचत की मुख्य मदें वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, अवकाश यात्रा रियायत, विद्युत देय एवं टेलीफोन व्यय थे।			
(2)	<b>2851</b> ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00			
	102 लघु उद्योग			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	27.69		
			24.62	24.62
	पुनर्वि०	(-3.07)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.07 लाख के अभ्यर्पण लघु उद्योगों की जनगणना योजना (100 प्रतिशत के०पो०) के अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(3)	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	15,56.55		
	पूरक	1,37.20	15,98.75	15,98.03
	पुनर्वि०	(-95.00)		(-)0.72
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,37.20 लाख की वृद्धि लघु उद्योग की स्थापना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 95.00 लाख के अभ्यर्पण लघु उद्योग विभाग के अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए। बचत की मुख्य मदों में वेतन, महंगाई भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अनुरक्षण, अन्य भत्ते, अवकाश यात्रा रियायत, विद्युत देय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान एवं टेलीफोन व्यय रहे।			
(4)	15 औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना			
	मूल	25.00		
			4.27	4.27
	पुनर्वि०	(-20.73)		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 19.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1.73 लाख की कमी औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना में बचत के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	17 लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान मूल 2,00.00	1,98.00	10.00	(-1,88.00)
	पुनर्वि० (-)2.00			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.00 लाख के अभ्यर्पण उपादान में हुई बचत के कारण किए गए।			
(6)	20 उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना मूल 10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10.00			
(7)	21 क्लस्टर विकास योजना मूल 15.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15.00			
(8)	22 पीएमआरवाई प्लस योजना मूल 1.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1.00			
	उपरोक्त क्रम सं० (6) से (8) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(9)	25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान मूल 80.96	71.57	77.84	(+)6.27
	पूरक 4.80			
	पुनर्वि० (-)14.19			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,63,455 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4.80 लाख की वृद्धि मुख्य विनियोजन आयुक्त, नई दिल्ली के अधिष्ठान व्ययों में कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई, किराया एवं उपकर के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 14.19 लाख के अभ्यर्पण मुख्य विनियोजन आयुक्त, नई दिल्ली के अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(10)	103 हथकरघा उद्योग 01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 2,00.00	1,46.07	1,46.07	0.00
	पुनर्वि० (-)53.93			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 53.93 लाख के अभ्यर्पण हथकरघा बुनकर कल्याण योजना में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	105 खादी ग्रामोद्योग 03 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता			
	मूल	5,50.00		
	पूरक	1,00.00	6,05.00	6,05.00
	पुनर्वि०	(-45.00)		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु की गई।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 45.00 लाख के अभ्यर्पण काशीपुर एवं जसपुर की बीमार मिलों की पुर्नस्थापना एवं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति में हुई बचत के कारण किए गए।			
(12)	07 बाजार विकास			
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	(-1,00.00)	0.00	0.00
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(13)	2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 02 खानों का विनियमन तथा विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान			
	मूल	4,44.64		
	पूरक	67.25	4,82.85	4,52.86
	पुनर्वि०	(-29.04)		(-29.99)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 67.25 लाख की वृद्धि खनन विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 29.04 लाख के अभ्यर्पण लघु उद्योग विभाग के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए। बचत की मुख्य मदों में वेतन, महंगाई भत्ता, मजदूरी, गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल इत्यादि की खरीद, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, रख-रखाव, अन्य भत्ते, अवकाश यात्रा रियायत, विद्युत देय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान तथा टेलीफोन व्यय थे।			
(14)	3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 60 अन्य 600 अन्य सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,20.00		
	पुनर्वि०	(-7,20.00)	0.00	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 7,20.00 लाख के अभ्यर्पण 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत यू0आई0डी0 में हुई बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त क्रम सं० (5) एवं (13) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00			
	102 लघु उद्योग			
	23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूजी उपादान सहायता मूल	3,00.00		
			3,19.00	5,07.00 (+)1,88.00
	पुनर्वि०	19.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 19.00 लाख की वृद्धि किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(2)	2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 02 खानों का विनियमन तथा विकास			
	102 खनिज खोज			
	03 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना मूल	0.04		
			0.00	30.00 (+)30.00
	पुनर्वि०	(-0.04)		

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किए जाने के पश्चात व्यय परिलक्षित होने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूजीगत :  
दत्तमत—

- (vi) अन्तिम बचत ₹ 23,69.00 लाख को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को अभ्यर्पित कर दिया गया।  
(vii) ₹ 23,69.00 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 5,00.00 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।  
(viii) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	69,73.67	29,15.99	40,57.68
2008-09	31,43.82	26,02.86	5,40.96
2009-10	16,89.93	7,34.75	9,55.18
2010-11	14,67.78	3,14.73	11,53.05
2011-12	14,10.55	75.84	13,34.71



(ix) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4058</b> लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	103 सरकारी मुद्रणालय			
	03 सरकारी मुद्रणालयों में मशीनों तथा उपकरणों एवं सयंत्रों का क्रय			
	मूल	5.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.00		
(2)	<b>4851</b> ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	102 लघु उद्योग			
	06 उद्योग निदेशालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि हेतु भवन क्रय/निर्माण			
	मूल	70.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)70.00		
(3)	<b>4859</b> दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 इलेक्ट्रॉनिक्स			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित परियोजनाएं			
	मूल	28,04.00		
			5,11.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)22,93.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 5,00.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 17,93.00 लाख की कमी स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) (50 प्रतिशत के०स०) के क्रियान्वयन तथा राष्ट्रीय ई-गोवरनेन्स (100 प्रतिशत के० स०) योजना में हुई बचत के कारण की गई।			
(4)	03 राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण			
	मूल	2,00.00		
	पूरक	3,00.00	2,00.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)3,00.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,00.00 लाख के अभ्यर्पण व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा वृहत निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम लेखाशीर्ष  
सं०

क्रम लेखाशीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5) 10 स्टेट डेटा सेंटर पूरक	2,00.00		
पुनर्वि०		0.00	0.00
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।	(-)2,00.00		
(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:			
<b>4859</b> दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
02 इलेक्ट्रॉनिक्स			
800 अन्य व्यय			
06 ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	15.00		
मूल		5,15.00	
पुनर्वि०	5,00.00		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि प्रावधान का कम आवंटन तथा योजना की पूर्णता के लिए और अधिक निधि की आवश्यकता होने के कारण की गई।		5,15.00	

## अनुदान सं० 24 परिवहन

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

2041 वाहन कर  
3053 नागर विमानन  
3055 सड़क परिवहन

दत्तमत—

मूल	32,52,48			
		32,90,28	27,00,00	(-)5,90,28
पूरक	37,80			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				5,10,41

पूँजीगत :

5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय  
5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय  
7053 नागर विमानन के लिए कर्ज  
7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	65,20,04			
		1,65,20,04	1,21,24,74	(-)43,95,30
पूरक	1,00,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				42,70,00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- ₹ 5,90.28 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 5,10.41 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 5,90.28 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 37.80 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
( ₹ लाख में )

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	31,69.95	21,59.77	10,10.18
2008-09	26,56.42	15,00.72	11,55.70
2009-10	21,49.99	15,88.14	5,61.85
2010-11	21,13.44	18,62.26	2,51.18
2011-12	20,63.88	19,27.05	1,36.83

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2041 वाहन कर 00 800 अन्य व्यय 03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान			
	मूल	27.79		
	पूरक	14.05	37.76	
	पुनर्वि०	(-)4.08	37.76	0.00
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 14.05 लाख की वृद्धि स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4.08 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, मजदूरी, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्य व्यय एवं किराया में हुई बचत के कारण किए गए।</p>				
(2)	3053 नागर विमानन 02 विमान पतन 102 हवाई अड्डा (100 प्रतिशत के०स०) 03 हवाई पट्टियों का अनुरक्षण			
	मूल	5.00	5.00	
			3.16	(-)1.84
(3)	04 पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हवाई पट्टियों के लिए अनुदान मूल	20.00	20.00	
			12.15	(-)7.85
<p>उपरोक्त क्रम सं० (2) एवं (3) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत का कारण निधि का उपभोग न होना सूचित किया गया।</p>				
(4)	3055 सड़क परिवहन 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 परिवहन संबन्धी अधिष्ठान			
	मूल	15,08.00		
	पूरक	21.00	14,62.44	
	पुनर्वि०	(-)66.56	14,65.60	(+)3.16
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 21.00 लाख की वृद्धि अन्य भत्ते एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 66.56 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, मजदूरी, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, किराया, कम्प्यूटर साफ्टवेयर/हार्डवेयर की खरीद तथा कम्प्यूटर का अनुरक्षण/लेखन सामग्री के क्रय में हुई बचत के कारण किए गए।</p>				
(5)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 03 परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर भुगतान मूल	30.00		
			17.59	
	पुनर्वि०	(-)12.41	17.58	(-)0.01

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 12.41 लाख के अभ्यर्पण यातायात परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(6)	06 उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों से छात्राओं के निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति मूल	5,00.00	79.60	79.60	0.00

पुनर्वि० (-)4,20.40  
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4,20.40 लाख के अभ्यर्पण उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों से छात्राओं के निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (4) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>3053 नागर विमानन</b>				
	02 विमान पतन				
	102 हवाई अड्डा				
	05 हवाई यातायात के लिए अनुदान				
	मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2)	06 भूमि प्रतिकर का भुगतान				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण निधि का उपभोग न होना सूचित किया गया।

(3)	<b>3055 सड़क परिवहन</b>				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	05 स्मार्ट कार्ड योजना				
	मूल	3.00	3.00	0.00	(-)3.00

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(4)	07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् संबन्धी अधिष्ठान				
	मूल	7.66	0.70	0.00	(-)0.70
	पुनर्वि०	(-)6.96			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत (क्रम सं० (1) एवं (2) को छोड़कर) सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत :  
दत्तमत-

- (vi) ₹ 43,95.30 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 42,70.00 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (vii) ₹ 43,95.30 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 1,00,00.00 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (₹ लाख में)
2007-08	92,97.21	33,39.49	59,57.72
2008-09	1,17,66.42	9,77.37	1,07,89.05
2009-10	35,51.06	25,21.23	10,29.83
2010-11	75,72.81	67,61.24	8,11.57
2011-12	1,55,41.80	1,42,86.37	12,55.43

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>5053</b> नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय			
	02 विमान पत्तन			
	800 अन्य व्यय			
	08 देहरादून में हैलिपैड एवं हेंगर का निर्माण			
	मूल	2,80.00		
	पूरक	7,00.00		
		9,80.00	9,44.74	(-35.26)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 7,00.00 लाख की वृद्धि हैलीपैड एवं हैनगर के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	<b>5055</b> सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
	00			
	050 भूमि तथा भवन			
	06 मुजफरनगर-रूड़की रेल लाईन निर्माण			
	मूल	40,00.00		
	पुनर्वि०	(-40,00.00)	0.00	0.00
(3)	07 ऋषिकेश में आटोमेटेड टेस्टिंग लेब की स्थापना			
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-50.00)	0.00	0.00
(4)	08 हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण			
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-50.00)	0.00	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	09 चालक परीक्षण हेतु सिमूलेटर का क्रय मूल	1,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1,00.00)		
(6)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु अनुदान मूल	70.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-70.00)		

उपरोक्त क्रम सं० (2) से (6) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

उपरोक्त क्रम सं० (1) के लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

**5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय**

02 विमान पत्तन

800 अन्य व्यय

03 हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का भुगतान

मूल 90.00

90.00

0.00

(-90.00)

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के निम्न कारण रहे-

- हवाई पट्टियों/हेलीपैड्स हेतु भूमि का चिन्हित न हो पाना तथा
- भूमि जो चिन्हित की गई थी उसको हेलीपैड के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

## अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखाशीर्ष कूल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण  
3456 सिविल पूर्ति  
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत—

मूल	3,82,99,32			
		3,83,21,27	1,52,37,63	(-)2,30,83,64
पूरक	21,95			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

पूंजीगत :

4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय  
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	7,00,00			
		32,00,00	18,42,58,95	(+18,10,58,95
पूरक	25,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 2,30,83.64 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 2,30,83.64 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 21.95 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	( ₹ लाख में ) बचत
2007-08	35,07.43	23,16.41	11,91.02
2008-09	33,74.40	17,94.79	15,79.61
2009-10	26,89.66	22,28.29	4,61.37
2010-11	31,11.83	23,84.77	7,27.06
2011-12	3,27,71.74	2,04,20.24	1,23,51.50



(iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण 01 खाद्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति) मूल 26,19.03 पूरक 15.00	26,34.03	18,72.84	(-7,61.19)
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिष्ठान व्ययों में मजदूरी, विद्युत देय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(2)	102 खाद्य सहायता 03 अटल खाद्यान्न योजना मूल 3,50,00.00 पूरक 15.00	3,50,00.00	1,28,77.07	(-2,21,22.93)
(3)	3456 सिविल पूर्ति 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 1,00.01 पूरक 6.95	1,00.01	13.75	(-86.26)
(4)	04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय मूल 2,87.75 पूरक 6.95	2,94.70	2,83.29	(-11.41)
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6.95 लाख की वृद्धि उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय के अधिष्ठान व्ययों में निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(5)	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें 00 106 भार और माप का विनियमन 03 अधिष्ठान व्यय मूल 2,12.52 पूरक 6.95	2,12.52	1,90.68	(-21.84)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

- (1) 2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण  
01 खाद्य

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	800 अन्य व्यय			
	03 ग्रामीण महिलाओं के लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन			
	मूल	70.00	70.00	0.00
				(-)70.00

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2)	3456 सिविल पूर्ति			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-)10.00

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

**पूंजीगत :  
दत्तमत—**

- (vi) पूंजीगत दत्तमत अनुदान में ₹ 18,10,58.95 लाख का व्ययाधिक्य है। आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि इस अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 13,67,22.94 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी ₹ 4,43,36.01 लाख के आधिक्य होंगे।
- (vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय				
	01 खाद्य				
	101 खरीद और पूर्ति				
	03 अन्न पूर्ति योजना				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	17,12,53.84	+17,12,53.84
	पुनर्वि०	0.00			
(2)	800 अन्य व्यय				
	03 खाण्डसारी शक्कर योजना				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	1,34,11.15	(+)1,34,11.15
	पुनर्वि०	0.00			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 4,43,36.01 लाख की वसूली सम्मिलित है।

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4408	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागारण पर पूजीगत परिव्यय			
	01 खाद्य			
	800 अन्य व्यय			
	04 आयुक्त, खाद्य भवन का निर्माण			
	मूल	40.00	40.00	0.00
	पूरक			(-)40.00

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4408 खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागारण पर पूजीगत परिव्यय			
	01 खाद्य			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	5,00.00		
	पूरक	21,00.00	26,00.00	(-)5,35.87

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 21,00.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	05 गोदामों का निर्माण			
	मूल	1,00.00	5,00.00	96.69
	पूरक	4,00.00		(-)4,03.31

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि गोदामों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	06 खाद्य गोदामों/भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव			
	मूल	40.00	40.00	13.14
	पूरक			(-)26.86

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 26 पर्यटन

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व:

### 3452 पर्यटन

दत्तमत—

मूल	51,13,23			
		72,74,70	42,69,51	(-)30,05,19
पूरक	21,61,47			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 12,00,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

### 5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	52,45,03			
		74,34,21	19,02,71	(-)55,31,50
पूरक	21,89,18			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 30,05.19 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 30,05.19 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 21,61.47 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत ( ₹ लाख में )
2007-08	29,36.26	28,65.11	71.15
2008-09	30,43.65	28,12.60	2,31.05
2009-10	19,70.75	16,85.35	2,85.40
2010-11	25,79.45	22,87.67	2,91.78
2011-12	58,78,.08	28,12.04	30,66.04

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	3452 पर्यटन 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 उत्तराखण्ड राज्य सरकार पर्यटन विकास परिषद् मूल 11,85.00 पूरक 1,50.00	13,35.00	13,29.31	(-)5.69
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद् को सहायक अनुदान प्रदान करने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(2)	05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय) मूल 98.50 पूरक 15,00.00	98.50	80.50	(-)18.00
(3)	104 संवर्धन तथा प्रचार 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 25,00.00 पूरक 15,00.00	40,00.00	10,85.82	(-)29,14.18
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पर्यटन का विकास हेतु सहायक अनुदान प्रदान करने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(4)	03 अधिष्ठान मूल 2,65.60 पूरक 0.95	2,66.55	2,36.28	(-)30.27
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.95 लाख की वृद्धि महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु निधि में आवश्यकता के कारण की गई।				
(5)	18 राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान मूल 2,56.00 पूरक 10.15	2,66.15	2,29.69	(-)36.46
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10.15 लाख की वृद्धि राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान के अधिष्ठान के अन्तर्गत गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि में आवश्यकता के कारण की गई।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूजीगत :  
दत्तमत-

- (v) ₹ 55,31.50 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
 (vi) ₹ 55,31.50 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 21,89.18 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।  
 (vii) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (₹ लाख में)
2007-08	49,65.00	49,47.70	17.30
2008-09	49,60.12	45,58.51	4,01.61
2009-10	63,19.67	27,73.95	35,45.72
2010-11	85,44.31	55,59.95	29,84.36
2011-12	47,27.64	28,08.00	19,19.64

- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

- (1) 5452 पर्यटन पर पूजीगत परिव्यय  
 80 सामान्य  
 104 सर्वधन तथा प्रचार  
 04 राज्य सेक्टर  
 मूल

4,35.02

9,04.20

8,98.71

(-)5.49

पूरक 4,69.18

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,69.18 लाख की वृद्धि निम्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई-

- चालू निर्माण कार्य
- पर्यटन विकास की नई योजनाएं
- पर्यटक आवास गृहों/पर्यटन विकास योजनाओं के लिए भूमि अध्याप्ति/क्रय

- (2) 91 जिला योजना  
 मूल

5,00.00

5,20.00

4,94.00

(-)26.00

पूरक 20.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि पर्वतीय क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
	80 सामान्य				
	104 संवर्धन तथा प्रचार				
	08 मसूरी में कोर्ट मैकेन्जी रोड पर पार्किंग का निर्माण				
	पूरक	15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00
(2)	<b>97 बाह्य सहायतित परियोजना</b>				
	मूल	40,00.00	40,00.00	0.00	(-)40,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 27 वन

मुख्य लेखाशीर्षक कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन  
2407 बागान

दत्तमत-

मूल	3,29,05,63			
		3,72,89,78	3,45,80,07	(-)27,09,71
पूरक	43,84,15			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

पूंजीगत :

4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	52,17,82			
		57,75,82	41,43,48	(-)16,32,34
पूरक	5,58,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत-

- (i) ₹ 27,09.71 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 27,09.71 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 43,84.15 लाख के अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
( ₹ लाख में )

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	2,88,13.35	2,41,51.62	46,61.73
2008-09	3,58,06.00	2,89,27.56	68,78.44
2009-10	3,14,82.93	2,72,30.47	42,52.46
2010-11	3,16,16.61	2,85,41.11	30,75.50
2011-12	3,22,54.54	3,02,74.09	19,80.45



(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(1)	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 सामान्य अधिष्ठान 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 सामान्य अधिष्ठान मूल	2,31,41.02	2,44,98.02	2,38,01.21	(-)6,96.81
	पूरक	13,57.00			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 61,641 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 13,57.00 लाख की वृद्धि वन प्रखण्डों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(2)	04 वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति मूल	7.59	7.59	4.14	(-)3.45
(3)	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण 03 वनों की सुरक्षा मूल	8.00	8.00	2.66	(-)5.34
(4)	04 वन बन्दोबस्त मूल	4.00	4.00	1.28	(-)2.72
(5)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 04 बांस प्रजातियों का रोपण मूल	1,00.01	1,00.01	33.33	(-)66.68
(6)	06 समाज तथा फार्म वानिकी मूल	20.00	20.00	18.18	(-)1.82
(7)	105 वन उत्पाद 04 लीसा मूल	29,53.11	35,61.11	35,52.75	(-)8.36
	पूरक	6,08.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,028 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6,08.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	31,95.95		
	पूरक	38.08	32,34.03	23,31.38 (-)9,02.65
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 38.08 लाख की वृद्धि इन्टैन्सीफिकेशन ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट (90 प्रतिशत के0स0) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(9)	11 टीएचडीसी सहायतित योजना			
	मूल	7.53		
	पूरक	1,13.48	1,21.01	48.70 (-)72.31
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,13.48 लाख की वृद्धि टीएचडीसी सहायतित योजना के अन्तर्गत लघु निर्माण कार्य, अनुरक्षण एवं अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(10)	16 उत्तराखण्ड वन विकास निधि का गठन			
	मूल	20.00	20.00	2.00 (-)18.00
(11)	17 इको टूरिज्म			
	मूल	1,89.01		
	पूरक	1.00	1,90.01	1,46.01 (-)44.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि इको-टूरिज्म के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(12)	34 वन पंचायतों के सुदृढीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना			
	मूल	57.80	57.80	55.51 (-)2.29
(13)	41 वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य			
	मूल	55.00	55.00	47.15 (-)7.85
(14)	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन			
	110 वन्य जीवन परिरक्षण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	15,20.04		
	पूरक	2,35.98	17,56.02	9,17.84 (-)8,38.18
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,35.98 लाख के प्रावधान प्रोजेक्ट टाइगर (100 प्रतिशत के0स0) के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(15)	06 मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम पूरक	10,00.02	10,00.02	9,98.43	(-)1.59
अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10,00.02 लाख के प्रावधान मानव वन्य जीवन संघर्ष रोकथाम योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 800 अन्य व्यय				
	14 मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरस्कार				
	मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00
(2)	02 अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता 110 वन्य जीवन परिरक्षण 05 पर्यावरण निदेशालय का गठन पूरक	30.00	30.00	0.00	(-)30.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 800 अन्य व्यय				
	03 वनों की अग्नि से सुरक्षा (राज्य सेक्टर)				
	मूल	94.82			
	पूरक	9,53.00	10,47.82	10,49.43	(+)1.61
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 9,53.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(2)	800 अन्य व्यय 91 जिला सेक्टर योजना मूल	6,48.00	6,48.00	6,55.63	(+)7.63

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत :  
दत्तमत—

- (vii) ₹ 16,32.34 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
 (viii) ₹ 16,32.34 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5,58.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।  
 (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
 (₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	31,34.02	9,91.62	21,42.40
2008-09	19,76.03	17,35.20	2,40.83
2009-10	13,60.05	13,39.50	20.55
2010-11	18,00.02	16,47.17	1,52.85
2011-12	25,00.02	16,35.57	8,64.45

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	01 वानिकी			
	101 वन संरक्षण और विकास			
	03 वन मोटर मार्गों का सुदृढ़ीकरण			
	मूल	3,30.00		
			3,80.00	
	पूरक	50.00		
			3,78.50	(-1.50)
(2)	04 वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	1,90.01		
			2,10.01	
	पूरक	20.00		
			1,13.01	(-97.00)
(3)	06 इको टूरिज्म			
	मूल	1,00.00		
			1,00.00	
			13.00	(-87.00)
(4)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	28,15.51		
			28,53.51	
	पूरक	38.00		
			18,71.97	(-9,81.54)
(5)	03 वनों की अग्नि से सुरक्षा			
	मूल	85.00		
			3,85.00	
	पूरक	3,00.00		
			3,63.60	(-21.40)

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	09 इको टूरिज्म मूल	50.00	50.00	46.12 (-)3.88
(7)	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीवन परिरक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	4,06.00	4,06.00	47.79 (-)3,58.21

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय				
02	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन				
800	अन्य व्यय				
03	पारिस्थितकीय पर्यटन निगम				
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय				
	01 वानिकी				
	102 समाज तथा फार्म वानिकी				
	03 औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन				
	मूल	1,00.00	1,00.00	1,12.40	(+)12.40
(2)	91 भवन निर्माण तथा जल एवं विद्युत की व्यवस्था (जिला योजना)				
	मूल	1,80.00	1,80.00	1,85.80	(+)5.80

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2403 पशु पालन  
2404 डेरी विकास  
2405 मछली पालन

दत्तमत—

मूल	1,21,07,60			
		1,33,31,57	1,24,27,44	(-)9,04,13
पूरक	12,23,97			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

पूजीगत :

4403 पशु पालन पर पूजीगत परिव्यय  
4405 मछली पालन पर पूजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	5,62,83			
		6,92,83	6,16,50	(-)76,33
पूरक	1,30,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 9,04.13 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 9,04.13 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 12,23.97 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में) बचत
2007-08	70,93.40	58,75.34	12,18.06
2008-09	84,37.25	76,99.17	7,38.08
2009-10	90,36.17	81,86.77	8,49.40
2010-11	1,14,40.88	98,88.37	15,52.51
2011-12	1,06,82.69	1,02,35.19	4,47.50

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2403 पशु पालन</b>			
	00			
	001 निदेशालय तथा प्रशासन			
	03 निदेशालय			
	मूल	88,34.60		
			93,35.60	(-)1,93.41
	पूरक	5,01.00		
(2)	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	2,93.70		
			5,93.70	(-)3,44.57
	पूरक	3,00.00		
(3)	09 पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	1,40.73	1,40.73	(-)42.22
(4)	107 चारा और चारागाह विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	पूरक	1,48.69	1,48.69	(-)1,20.00
(5)	113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	1,03.60		
			2,63.60	(-)25.64
	पूरक	1,60.00		
(6)	<b>2404 डेरी विकास</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान			
	मूल	4,81.21	4,81.21	(-)18.37
(7)	102 डेरी विकास परियोजनाएं			
	03 डेरी विकास की योजना			
	मूल	2,10.00	2,10.00	(-)23.83
(8)	91 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिता का सुदृढीकरण (जिला योजना)			
	मूल	0.01		
			19.89	(-)9.86
	पूरक	19.88		

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(9)	<b>2405 मछली पालन</b>				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	03 अधिष्ठान				
	मूल	4,62.71	4,62.71	4,55.89	(-)6.82
(10)	101 अन्तर्देशीय मछली पालन				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं (75 प्रतिशत के० स०)				
	मूल	50.00	50.00	22.95	(-)27.05
(11)	91 जिला योजना				
	मूल	51.40	51.40	32.92	(-)18.48
(12)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	14.00	14.00	6.67	(-)7.33
(13)	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	21.50	21.50	18.52	(-)2.98

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>2403 पशु पालन</b>				
	00				
	104 भेड़ तथा ऊन विकास □				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	0.01			
			47.41	0.00	(-)47.41
	पूरक	47.40			
(2)	<b>2404 डेरी विकास</b>				
	00				
	102 डेरी विकास परियोजनाएं				
	08 सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना				
	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।



(vi) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2403	पशु पालन			
00				
101	पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
91	जिला योजना			
	मूल	4,36.81		
			4,64.81	
			4,80.18	(+)15.37
	पूरक	28.00		

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

निधि की आवश्यकता होने के कारण अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत निम्न योजनाओं हेतु ₹ 12,23.97 लाख के अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किए गए—

- निदेशालय का अधिष्ठान
- पशु चिकित्सालय/औषधालय की स्थापना/सुदृढीकरण
- पशु चिकित्सालयों पर शल्यचिकित्सा आदि की सुविधा
- दुग्ध यूनिट की प्रशिक्षण हेतु स्थापना
- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्माल रूमिनेंट एण्ड रेबिट्स (100 प्रतिशत कें0स0)
- भेड़ों को परजीवी किटाणुओं से बचाव योजना
- गौ-सदनों की स्थापना
- पशु/भैंसों, भेड़ों और ऊन, अन्य पशुधन विकास एवं चारागाह विकास योजना
- चारागाह बैंक की स्थापना
- चारा घास एवं चारा घास रिजर्व योजना (100 प्रतिशत कें0स0)
- राज्य में पशु गणना योजना (100 प्रतिशत कें0स0) तथा
- महिला डेरी विकास की परियोजनाए।

पूँजीगत :

दत्तमत—

- (vii) ₹ 76.33 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 76.33 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 1,30.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (₹ लाख में)
2007-08	8,77.94	8,08.58	69.36
2008-09	9,62.03	6,69.67	2,92.36
2009-10	5,07.50	4,59.69	47.81
2010-11	11,06.67	8,13.82	2,92.85
2011-12	11,03.81	8,19.13	2,84.68

(x) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
00				
101	पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
10	पशु चिकित्सालय/पशुपालन केन्द्रों का निर्माण			
	मूल	80.00	80.00	76.50
				(-3.50)

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय				
	00				
	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	10.31	10.31	0.00	(-)10.31
(2)	4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय				
	00				
	101 अन्तर्देशीय मछली पालन				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	37.52	37.52	0.00	(-)37.52
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(3)	91 मत्स्य पालन (जिला योजना)				
	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
<b>राजस्व :</b>			
<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	1,00,30,40		
पूरक	8,60,38	1,08,90,78	1,01,72,28
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			(-)7,18,50
<b>प्रभारित—</b>			
मूल	33,93		
पूरक	20,00	53,93	50,76
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			(-)3,17
			00

### पूंजीगत:

#### 4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

##### दत्तमत—

मूल	00		
पूरक	00	00	4,50,00
			(+4,50,00)

### टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें

#### राजस्व :

##### दत्तमत—

- (i) ₹ 7,18.50 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,15.75 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 7,18.50 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 8,60.38 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
( ₹ लाख में )

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	76,43.31	71,01.26	5,42.05
2008-09	98,83.46	85,20.11	13,63.35
2009-10	88,10.81	85,37.51	2,73.30
2010-11	88,29.94	86,68.62	1,61.32
2011-12	1,13,87.97	98,93.60	14,94.37

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
	00			
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	03 औद्योगिक विकास			
	मूल	77,78.41		
	पूरक	8,60.38	86,03.23	80,15.19
	पुनर्वि०	(-35.56)		(-5,88.04)
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,09,296 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 35.56 लाख के अभ्यर्पण औद्योगिक विकास के अन्तर्गत सहकारी जड़ी बूटी योजना में हुई बचत के कारण किए गए।			
(2)	<b>07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास</b>			
	मूल	8,83.01		
			7,81.20	7,81.19
	पुनर्वि०	(-1,01.81)		(-0.01)
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,01.81 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(3)	<b>10 मधु मक्खी पालन योजना</b>			
	मूल	35.78	35.78	19.28
				(-16.50)
(4)	<b>16 मानव संसाधन विकास की योजना</b>			
	मूल	19.00		
			0.47	0.47
	पुनर्वि०	(-18.53)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 18.53 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(5)	<b>17 भेषज कृषि विकास</b>			
	मूल	51.00		
			37.74	36.74
	पुनर्वि०	(-13.26)		(-1.00)
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 13.26 लाख के अभ्यर्पण निधि का उपभोग न हो पाने के कारण किए गए।			
(6)	<b>18 भेषज कृषि विकास</b>			
	मूल	50.00		
			3.41	3.41
	पुनर्वि०	(-46.59)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 46.59 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
	उपरोक्त क्रम सं० (1), (3) एवं (5) शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
	00			
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	08 सघन पौध रोपण हेतु फलपौध सामग्री का आयात			
	मूल	45.00	45.00	0.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-45.00)

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>				
	00				
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	2,30.64	2,30.64	2,70.60	(+)39.96
(2)	06 चाय विकास योजना				
	मूल	3,40.00	3,40.00	4,48.14	(+)1,08.14

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

राजस्व :  
प्रभारित-

- (vii) ₹ 3.17 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(viii) ₹ 3.17 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 20.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अधिक सिद्ध हुए।  
(ix) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
	00			
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	03 औद्योगिक विकास			
	मूल	33.93		
	पूरक	20.00	53.93	50.76
				(-)3.17

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्रभारित विनियोग में अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8,80.38 लाख के अनुपूरक अनुदान/विनियोग निम्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए—

- फसल कृषि कर्म का अधिष्ठान
- राज भवन के उद्यानों का अनुरक्षण
- मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान योजना
- उद्यान बीमा योजना तथा
- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना (75 प्रतिशत प्रतिशत के0स0)।

पूँजीगत :  
दत्तमत—

- (x) अनुदान में ₹ 4,50.00 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (xi) व्ययाधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
00				
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
04	रोग रहित आलू बीज/कीटनाशकों की कीमत			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	4,50.00
	पुनर्वि०	0.00		(+)4,50.00

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व :</b>			
2202 सामान्य शिक्षा			
2203 तकनीकी शिक्षा			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
2217 शहरी विकास			
2220 सूचना तथा प्रचार			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230 श्रम तथा रोजगार			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401 फसल कृषि कर्म			
2402 मृदा एवं जल संरक्षण			
2403 पशु-पालन			
2404 डेरी विकास			
2405 मछली पालन			
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
2425 सहकारिता			
2501 ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम			
2801 बिजली			
2810 वैकल्पिक ऊर्जा			
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			

### दत्तमत—

मूल	4,75,46,56		
पूरक	31,70,81	5,07,17,37	3,92,78,56 (-)1,14,38,81
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			70,24,55

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 71.31 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)

बचत (-)

( ₹ हजार में )

पूँजीगत :

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4217	शहरी विकास
4225	अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय
4406	वानिकी एवं वन्य जीवों पर पूँजीगत परिव्यय
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय
6425	सहकारिता के लिए कर्ज
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	3,19,03,70			
		3,61,59,89	1,57,89,06	(-2,03,70,83)
पूरक	42,56,19			
				85,28,38
				वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,14,38.81 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 70,24.55 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,14,38.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 31,70.81 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नवत् रही—



वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(लाख ₹ में) बचत
2007-08	4,62,89.50	2,26,85.71	2,36,03.79
2008-09	3,18,89.07	2,31,55.78	87,33.29
2009-10	4,11,46.11	3,30,35.40	81,10.71
2010-11	4,89,20.54	3,93,00.68	96,19.86
2011-12	5,71,82.95	3,78,19.54	1,93,63.41

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2202 सामान्य शिक्षा			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	39,07.29		
			15,20.12	15,20.12
	पुनर्वि०	(-23,87.17)		0.00

₹ 23,87.17 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।

(2)	02 माध्यमिक शिक्षा			
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	19,60.87		
			22,10.87	20,64.98
	पूरक	2,50.00		(-1,45.89)

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	7,12.50	7,12.50	3,33.35
				(-3,79.15)
(4)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
	03 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-50.00)		0.00

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण निम्न वस्तुगत शीर्षों में हुई बचत के कारण किए गए—

- मानदेय ₹ 10.00 लाख
- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान ₹ 5.00 लाख

- मशीन एवं उपकरण ₹ 25.00 लाख तथा
- अन्य व्यय ₹ 10.00 लाख।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	2204 खेलकूद तथा अन्य सेवाएं 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 91 जिला योजना मूल	1,60.00	1,60.00	1,56.00 (-4.00)
(6)	2205 कला एवं संस्कृति 00 102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	55.00	12.29	12.29 0.00
	पुनर्वि०	(-42.71)		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 42.71 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारण से किए गए—			
	➤ गुरु शिष्य परम्परा के अन्तर्गत प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु विज्ञापन दिए गए। प्रार्थियों द्वारा प्रार्थना पत्र निश्चित तिथि के पश्चात प्रस्तुत किए गए जिससे प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं हो पाए तथा बचत परिलक्षित हुई।			
	➤ जिला टिहरी, गढ़वाल एवं नैनीताल के एकल कलाकारों को निःशुल्क वाद्ययन्त्र वितरित किए जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराए गए लेकिन कलाकारों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की जा सकी जिससे वाद्ययन्त्र क्रय नहीं किए जा सके तथा बचत परिलक्षित हुई।			
(7)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110 अस्पताल तथा औषधालय 03 एलोपैथिक एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय मूल	1,00.00	96.47	96.47 0.00
	पुनर्वि०	(-3.53)		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.53 लाख के अभ्यर्पण मशीनों एवं उपकरणों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(8)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	33.50	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि०	(-33.50)		

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9)	110 अस्पताल तथा औषधालय 91 जिला योजना मूल	1,25.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1,25.00)	0.00	0.00
	उपरोक्त क्रम सं० (8) एवं (9) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण किए जाने का कारण अधिष्ठान व्ययों में बचत का होना सूचित किया गया।			
(10)	06 अनुसूचित जातियों हेतु काम्पोनेन्ट प्लान 101 रोगों का रोकथाम तथा निवारण 99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन मूल	7,00.00	4,14.37	0.00
	पुनर्वि०	(-2,85.63)	4,14.37	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,85.63 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(11)	2211 परिवार कल्याण 00 101 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5,95.10	6,37.49	(+0.07)
	पूरक	1,52.00	6,37.56	(+0.07)
	पुनर्वि०	(-1,09.61)		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,52.00 लाख की वृद्धि नए ग्रामीण उपकेन्द्रों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,09.61 लाख के अभ्यर्पण नए ग्रामीण उपकेन्द्रों के अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(12)	2215 जलापूर्ति तथा सफाई 01 जलापूर्ति 102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	11,00.00	12,00.00	(-38.93)
	पूरक	1,00.00	11,61.07	(-38.93)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल योजना एवं जलोत्सारण योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(13)	2217 शहरी विकास				
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	7,33.50	7,33.50	3,19.70	(-)4,13.80
(14)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं				
	मूल	3,00.00	3,00.00	2,70.00	(-)30.00
(15)	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	15,09.80	15,09.80	11,43.94	(-)3,65.86
(16)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	06 राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (50 प्रतिशत के० पो०)				
	मूल	20.00	20.00	13.01	(-)6.99
(17)	07 एस.सी.पी./टी.एस.पी नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान				
	मूल	59.87	59.87	51.15	(-)8.72
(18)	08 अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान				
	मूल	43.15			
	पूरक	10.90	54.05	38.33	(-)15.72
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10.90 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(19)	277 शिक्षा				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	55,10.00	55,10.00	55,02.28	(-)7.72
(20)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन				
	मूल	3,02.85	3,02.85	2,33.41	(-)69.44
(21)	12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास				
	मूल	1,13.28	1,13.28	98.50	(-)14.78
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 12,019 भी सम्मिलित है।				
(22)	16 कक्षा 1 से 10 तक के तथा औ०प्र०संस्थाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति				
	मूल	41,00.00	41,00.00	39,37.12	(-)1,62.88

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(23)	91 जिला योजना मूल	1,77.04	2,07.25	1,80.51	(-)26.74
	पूरक	30.21			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 30.21 लाख की वृद्धि पुस्तकालय, छात्रावासों एवं विद्यालयों के सुधार तथा विस्तार हेतु सहायक अनुदान प्रदान करने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(24)	800 अन्य व्यय 08 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम, 1956 का क्रियान्वयन मूल	35.00	35.00	26.53	(-)8.47
(25)	11 अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संचालित सेमिनार/कार्यशाला/सर्वेक्षण/शोध/प्रचार प्रसार मूल	15.00	15.00	12.55	(-)2.45
(26)	2230 श्रम तथा रोजगार 02 रोजगार सेवायें 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	60.16	74.01	38.79	(-)35.22
	पूरक	13.85			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 13.85 लाख की वृद्धि शिक्षा एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(27)	03 प्रशिक्षण 003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 02 अनुसूचित जातियों का कल्याण मूल	1,57.00	1,57.00	1,05.28	(-)51.72
(28)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 02 अनुसूचित जातियों का कल्याण मूल	6,39.00	8,45.41	8,34.00	(-)11.41
	पूरक	2,06.41			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,06.41 लाख की वृद्धि अन्धे, गूंगे एवं विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण के लिए सहायक अनुदान प्रदान करने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(29)	102 बाल कल्याण 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	42,00.03	13,46.89	13,52.69	(+)5.80
	पुनर्वि०	(-)28,53.14			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 28,53.14 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—				
	➤ पोषाहार हेतु निविदा का जारी न होना तथा				
	➤ आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं दाइयों के पद रिक्त रहना।				
(30)	103 महिला कल्याण 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	11,70.00	11,70.00	11,63.60	(-)6.40
(31)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रम 102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	28,25.00	28,25.00	24,37.13	(-)3,87.87
(32)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	25,67.80	25,67.80	21,40.80	(-)4,27.00
(33)	2401 फसल कृषि कर्म 00 102 खाद्यानों की फसलें 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	4,20.40	4,20.40	3,99.03	(-)21.37
(34)	800 अन्य व्यय 91 जिला योजना मूल	80.00	1,45.41	1,28.33	(-)17.08
	पूरक	65.41			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 65.41 लाख की वृद्धि सी-डेप आधारित कृषि विकास कार्यक्रमों को सहायक अनुदान प्रदान किए जाने हेतु निधि की आवश्यकता का कारण की गई।				
(35)	2403 पशु पालन 00 101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	55.06		
			67.06	
	पूरक	12.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 12.00 लाख की वृद्धि पशु चिकित्सालयों हेतु दवाईयों एवं वैक्सीन की खरीद, शिवरों का आयोजन (जिला योजना) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		63.50	(-)3.56
(36)	<b>2406 वानिकी तथा वन्य जीवन</b>			
	01 वानिकी			
	102 समाज तथा फार्म वानिकी			
	04 बाँस तथा बायोफयूल प्रजातियों का रोपण			
	मूल	80.00	80.00	
			26.67	(-)53.33
(37)	<b>2425 सहकारिता</b>			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	05 सहकारी क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता			
	मूल	10.00	10.00	
			8.00	(-)2.00
(38)	<b>2501 ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम</b>			
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	11.40		
			8.75	
	पुनर्वि०	(-)2.65		
			8.75	0.00
(39)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	18,83.37		
			11,19.56	
	पुनर्वि०	(-)7,63.81		
	उपरोक्त क्रम सं० (38) एवं (39) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण केन्द्रांश के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।		11,19.56	0.00
(40)	<b>2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम</b>			
	00			
	101 पंचायती राज			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	8,23.50	8,23.50	
			6,24.70	(-)1,98.80
(41)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	1,90.00	1,90.00	
			1,76.30	(-)13.70

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(42)	102 सामुदायिक विकास 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 9,35.00	5,67.42	5,67.42	0.00
	पुनर्वि० (-)3,67.58			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,67.58 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—			
	➤ शासन से निधि अवमुक्त न होने के कारण			
	➤ शासन स्तर से ऋण पर सहमति न होना			
	➤ पिछले वर्ष की अप्रयुक्त निधि तथा			
	➤ निधि का अधिक आवंटन।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुई है, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 102 होम्योपैथी 03 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना मूल 28.88	28.88	0.00	(-)28.88
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 800 अन्य व्यय 05 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता मूल 10.02	10.02	0.00	(-)10.02
(3)	2401 फसल कृषि कर्म 00 107 वनस्पति संरक्षण 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(4)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00
(5)	2403 पशु पालन 00			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	पूरक	30.89	30.89	0.00
(6)	2801 बिजली			
	06 ग्रामीण विद्युतीकरण			
	800 अन्य व्यय			
	03 निजी नलकूप/पम्प सेट में विद्युत संयोजन योजना			
	मूल	9.00	9.00	0.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	800 अन्य व्यय			
	16 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता			
	मूल	3,75.00	3,75.00	4,49.90

(2)	2403 पशु पालन			
	00			
	107 चारा और चारागाह विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	पूरक	1,18.69	1,18.69	1,47.38

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,18.69 लाख का प्रावधान चारा घास एवं चारा घास रिजर्व की योजना (100 प्रतिशत के०स०) हेतु निधि की आवश्यकताओं के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।

पूजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 2,03,70.83 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 85,28.38 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(viii) ₹ 2,03,70.83 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 42,56.19 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(ix) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	2,29,68.92	1,63,57.33	66,11.59
2008-09	2,17,83.75	1,19,87.20	97,96.55
2009-10	2,25,75.14	1,02,61.22	1,23,13.92
2010-11	2,60,59.83	1,42,49.24	1,18,10.59
2011-12	3,41,48.59	1,64,99.11	1,76,49.48

(x) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

- (1) **4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय**  
 01 सामान्य शिक्षा  
 202 माध्यमिक शिक्षा  
 01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं  
 मूल 8,57.70 3,05.75 3,05.75 0.00  
 पुनर्वि० (-)5,51.95  
 दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5,51.95 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।
- (2) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान  
 मूल 0.01  
 पूरक 94.76 0.01 23.21 (+)23.20  
 पुनर्वि० (-)94.76  
 अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 94.76 लाख की वृद्धि प्राथमिक विद्यालयों के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु निधि की आवश्यकताओं के कारण की गई।  
 दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 94.76 लाख के अभ्यर्पण निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।
- (3) 202 माध्यमिक शिक्षा  
 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान  
 मूल 1,00.00 1,00.00 85.20 (-)14.80
- (4) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान  
 104 बहुशिल्प  
 03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण  
 मूल 1,00.00 81.33 81.33 0.00  
 पुनर्वि० (-)18.67  
 दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 18.67 लाख के अभ्यर्पण वृहत निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।
- (5) 105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान  
 03 पंत कालेज आफ टेक्नोलाजी पन्तनगर  
 मूल 1,60.00 0.00 0.00 0.00  
 पुनर्वि० (-)1,60.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	04 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट				
	मूल	1,25.00			
	पुनर्वि०	(-),25.00	0.00	0.00	0.00
(7)	05 इंजीनियरिंग कालेज, घुडदौड़ी				
	मूल	1,00.00			
	पुनर्वि०	(-),00.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम सं० (5) से (7) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।					
(8)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं				
	102 खेलकूद स्टेडियम				
	03 इंडोर हाल व हास्टल का निर्माण				
	मूल	60.00	60.00	2.96	(-),57.04
(9)	04 कला एवं संस्कृति				
	800 अन्य व्यय				
	03 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन				
	मूल	12.00			
	पुनर्वि०	(-),2.18	9.82	9.82	0.00
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.18 लाख के अभ्यर्पण अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।					
(10)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति				
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				
	91 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना)				
	मूल	90.00			
	पुनर्वि०	(-),23.35	66.65	66.65	0.00
(11)	110 अस्पताल तथा औषधालय				
	02 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान				
	मूल	1,50.00			
	पुनर्वि०	(-),50.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(12)	03 शव विच्छेदन गृह का निर्माण मूल	20.00	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	(-)20.00			
(13)	04 अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	80.00	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	(-)80.00			
उपरोक्त क्रम सं० (11) से (13) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण तथा क्रम सं० (10) के शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 23.35 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।					
(14)	<b>4217 शहरी विकास</b> 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल	12,00.00	12,00.00	4,19.48	(-)7,80.52
(15)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	10,00.00	10,00.00	7.36	(-)9,92.64
(16)	<b>4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b> 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,00.00	3,00.00	50.00	(-)2,50.00
(17)	<b>4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b> 02 समाज कल्याण 800 अन्य व्यय 03 निदेशालय के भवन का निर्माण मूल	80.00	80.00	31.50	(-)48.50
(18)	<b>4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय</b> 00 101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	50.00	70.00	56.18	(-)13.82
	पूरक	20.00			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों हेतु भवनों के निर्माण के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(19)	4406 वानिकी एवं वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय 01 वानिकी 102 समाज तथा फार्म वानिकी 03 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण मूल	20.00	20.00	7.60	(-)12.40
(20)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 102 सामुदायिक विकास 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	6,00.00	4,99.32	4,99.32	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.68			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,00.68 लाख के अभ्यर्पण शासन से निधि के प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(21)	04 विधायक निधि मूल	40,47.00	40,47.00	33,72.50	(-)6,74.50
(22)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 91 अ०सू०जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	1,00.00	1,00.00	79.73	(-)20.27
(23)	05 सिंचाई नहरों की नयी योजनायें 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	40,60.00	40,60.00	70.75	(-)39,89.25
(24)	06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	85.00	1,55.00	31.16	(-)1,23.84
	पूरक	70.00			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 70.00 लाख की वृद्धि अन्य अनुरक्षण व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(25)	<b>4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	36,00.00		
			0.00	1,32.88
	पुनर्वि०	(-)36,00.00		(+)1,32.88
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 36,00.00 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश जो कि वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के उपभोग के लिए प्रस्तावित था, के प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(26)	<b>02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान</b>			
	मूल	30.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)30.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 30.00 लाख के अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति पर सहमति न होने के कारण किए गए।			
(27)	<b>4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	01 बाढ़ नियन्त्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	1,80.00		
			6,30.00	1,06.00
	पूरक	4,50.00		(-)5,24.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,50.00 लाख की वृद्धि नदियों के कटाव को रोकने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(28)	<b>4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	7,83.00	7,83.00	2,56.68
				(-)5,26.32
(29)	<b>5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	03 चालक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण			
	मूल	30.00		
			10.00	10.00
	पुनर्वि०	(-)20.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण प्रशिक्षण व्ययों में बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(30)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 जल विद्युत उत्पादन 190 सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 बाह्य सहायतित योजना मूल	5,29.20	5,29.20	3,00.00 (-),2,29.20
(31)	05 पारिषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 91 जिला योजना मूल	2,50.00	2,50.00	1,58.00 (-),92.00
(32)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	14,10.00	14,10.00	3,75.32 (-),10,34.68

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हो, के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	16,62.50	16,62.50	0.00 (-),16,62.50
वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(2)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 शिक्षा 02 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण (50 प्रतिशत के0स0) (चालू कार्य) मूल	30.00	30.00	0.00 (-),30.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(3)	04 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मूल	60.00	60.00	0.00 (-),60.00
(4)	4408 खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय 01 खाद्य 800 अन्य व्यय 03 गोदामों का निर्माण मूल	2.00	2.00	0.00 (-),2.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	<b>4700</b> मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 नलकूपों का निर्माण			
	800 अन्य व्यय			
	02 अ०सू०जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	70.00		
			1,70.00	0.00
				(-)1,70.00
	पूरक	1,00.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि अ०सू०जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(6)	<b>4801</b> बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जल विद्युत उत्पादन			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	8,00.00	8,00.00	0.00
				(-)8,00.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(7)	<b>5054</b> सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	800 अन्य व्यय			
	97 विश्व बैंक सहायतित योजना			
	मूल	45,00.00		
			11,00.00	0.00
				(-)11,00.00
	पुनर्वि०	(-)34,00.00		
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:			
(1)	<b>4700</b> मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें			
	800 अन्य व्यय			
	91 अनुसूचित जातियों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार (जिला योजना)			
	मूल	3,50.00	3,50.00	4,28.41
				(+)78.41
(2)	<b>5054</b> सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	800 अन्य व्यय			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
02	अनुसूचित जातियों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	27,40.00		
	पूरक	10,00.00	36,88.29	47,95.26 (+)11,06.97
	पुनर्वि०	(-)51.71		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 51.71 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(3)	5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
	91 जिला योजना (चालू/नई योजनाएं)			
	मूल	80.00	80.00	1,05.00 (+)25.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
-----------------	------------	---------------	-----------------------------------------

राजस्व :

- 2202 सामान्य शिक्षा
- 2203 तकनीकी शिक्षा
- 2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं
- 2205 कला एवं संस्कृति
- 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2211 परिवार कल्याण
- 2215 जल पूर्ति तथा सफाई
- 2217 शहरी विकास
- 2220 सूचना तथा प्रचार
- 2225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230 श्रम तथा रोजगार
- 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2401 फसल कृषि कर्म
- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403 पशु पालन
- 2404 डेरी विकास
- 2405 मछली पालन
- 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन
- 2425 सहकारिता
- 2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2505 ग्राम रोजगार
- 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 2801 बिजली
- 2810 वैकल्पिक ऊर्जा
- 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

दत्तमत—

मूल	1,37,49,21			
		1,53,53,68	1,16,85,39	(-)36,68,29
पूरक	16,04,47			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				19,46,04

पूंजीगत :

- 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

## मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ हजार में)

## पूजीगत :

4403	पशुपालन पर पूजीगत परिव्यय
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूजीगत परिव्यय
4700	मुख्य सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय
5054	सड़क तथा सेतुओं पर पूजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूजीगत परिव्यय
5452	पर्यटन पर पूजीगत परिव्यय
6425	सहकारिता के लिए कर्ज
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

## दत्तमत—

मूल 92,35,95

94,78,11

40,50,26

(-)54,27,85

पूरक 2,42,16

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

24,62,44

## टिप्पणियां एवं टिकाये

## राजस्व :

## दत्तमत—

- ₹ 36,68.29 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 19,46.04 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 36,68.29 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 16,04.47 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में) बचत
2007-08	92,03.54	62,62.09	29,41.45
2008-09	96,25.13	61,30.53	34,94.60
2009-10	81,51.40	66,06.17	15,45.23
2010-11	1,39,15.53	94,94.88	44,20.65
2011-12	1,43,79.95	98,44.47	45,35.48

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2202 सामान्य शिक्षा			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	8,22.59		
			1,90.59	1,90.59
	पुनर्वि०	(-6,32.00)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6,32.00 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(2)	02 माध्यमिक शिक्षा			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	4,10.73		
			4,81.73	4,29.81
	पूरक	71.00		(-51.92)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 71.00 लाख की वृद्धि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,50.00	1,50.00	21.92
				(-1,28.08)
(4)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	03 महाविद्यालयों का सुदृढीकरण			
	मूल	6.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-6.00)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6.00 लाख के बचत के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—			
	➤ कार्यालय फर्नीचर ₹ 2.00 लाख			
	➤ मशीन ₹ 2.00 लाख एवं			
	➤ अन्य व्यय ₹ 2.00 लाख।			
(5)	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	105 बहुशिल्प			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 सामान्य पालिटेक्निक मूल	40.00		
	पुनर्वि०	(-)40.00	0.00	0.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(6)	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
	00			
	796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना			
	91 जिला योजना			
	मूल	25.00		
	पुनर्वि०	(-)1.15	23.85	23.85
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1.15 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(7)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना			
	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना			
	मूल	1,35.42		
	पुनर्वि०	(-)42.16	93.26	93.26
	0.00			
(8)	05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना			
	मूल	37.30		
	पुनर्वि०	(-)14.62	22.68	22.67
	(-)0.01			
(9)	06 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (राज्य पोषित)			
	मूल	10.40		
	पुनर्वि०	(-)8.09	2.31	2.32
	0.01			
	उपरोक्त क्रम सं० (7) से (9) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(10)	06 लोक स्वास्थ्य			
	101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन			
	मूल	1,14.00		
	पुनर्वि०	(-)23.42	90.58	90.58
	0.00			

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत किए गए अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	800 अन्य व्यय 02 पार्ट टाईम दार्इयों को अतिरिक्त मानदेय मूल 3.00 पुनर्वि० (-)2.49	0.51	0.51	0.00
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.49 लाख के अभ्यर्पण मानदेय में बचत के कारण किए गए।				
(12)	2211 परिवार कल्याण 00 796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना मूल 1,46.07 पूरक 91.50 पुनर्वि० (-)74.00	1,63.57	1,63.56	(-)0.01
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 91.50 लाख की वृद्धि नए ग्रामीण उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 74.00 लाख के अभ्यर्पण नए ग्रामीण उपकेन्द्रों के अधिष्ठान व्ययों की विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(13)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191 स्थानीय निकायों, निगमों प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना मूल 1,22.25	1,22.25	60.90	(-)61.35
(14)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल 5,00.00	5,00.00	1,14.93	(-)3,85.07
(15)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधारित योजना मूल 5,08.30	5,08.30	1,90.65	(-)3,17.65
(16)	2225 अनुसूचित जातियों, अनु०जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रख-रखाव मूल 90.48 पूरक 1.00	91.48	82.23	(-)9.25

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि सामाग्री एवं पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	04 अनु०जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रख-रखाव मूल 12,76.63 पूरक 47.48	13,24.11	12,51.40	(-)72.71
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 47.48 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(18)	05 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (जिला योजना) मूल 6,30.00	6,30.00	4,98.21	(-)1,31.79
(19)	06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल 2,08.62 पूरक 43.78	2,52.40	2,25.26	(-)27.14
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 43.78 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(20)	08 गौरा देवी कन्या धन योजना मूल 2,00.00 पूरक 2,25.25	4,25.25	4,22.75	(-)2.50
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,25.25 लाख की वृद्धि गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत सहायक अनुदान प्रदान किए जाने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(21)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 2,00.00	2,00.00	1,17.13	(-)82.87
(22)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 3,50.00	3,50.00	2.00	(-)3,48.00
(23)	07 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल एवं एलाइड सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग मूल 50.00	50.00	30.15	(-)19.85
(24)	10 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना मूल 29.85	29.85	27.29	(-)2.56

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(25)	15 एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन मूल 79.67	93.67	84.38	(-9.29)
	पूरक 14.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 14.00 लाख की वृद्धि विद्युत देयकों, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान एवं भोजन व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(26)	<b>2230 श्रम तथा रोजगार योजना</b> 02 रोजगार सेवायें 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 शिक्षण/मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना मूल 48.26	55.06	41.58	(-13.48)
	पूरक 6.80			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6.80 लाख की वृद्धि कर्मियों को वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(27)	02 कालसी (देहरादून) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशिष्ट रोजगार केन्द्र मूल 16.92	16.92	13.45	(-3.47)
(28)	03 प्रशिक्षण 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना मूल 2,19.20	1,16.07	1,16.07	0.00
	पुनर्वि० (-)1,03.13			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,03.13 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण निधि का उपभोग न हो पाने के कारण किए गए।			
(29)	<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b> 02 समाज कल्याण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 8,73.60	2,55.58	2,55.56	(-0.02)
	पुनर्वि० (-)6,18.02			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6,18.02 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—			
	➤ आगनबाड़ी के रिक्त पदों का न भरा जाना तथा			
	➤ पोषाहार के क्रय किए जाने हेतु निविदा का जारी नहीं किया जाना।			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(30)	03 निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान मूल	2,50.20	2,50.20	2,41.42 (-)8.78
(31)	04 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार मूल	4,63.32	3,85.63	3,85.64 (+)0.01
	पुनर्वि०	(-)77.69		
दिनांक 31 मार्च 2013 को अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों के अन्तर्गत बचत ₹ 77.69 लाख के अभ्यर्पण आगनबाड़ी कर्मियों के रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।				
(32)	08 वृद्धावस्था/किसान पेंशन मूल	6,79.80	6,79.80	5,00.43 (-)1,79.37
(33)	09 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृतिम अंग/श्रवण यंत्र अनुदान मूल	4.00	4.00	1.75 (-)2.25
(34)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	4,58.20	4,58.20	3,40.73 (-)1,17.47
(35)	2401 फसल कृषि कर्म 00 102 खाद्यान्नों की फसलें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	50.00	2,23.87	1,11.12 (-)1,12.75
	पूरक	1,73.87		
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,73.87 लाख की वृद्धि माइक्रोमोड (90 प्रतिशत के 0स0) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(36)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 04 राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण मूल	31.80	31.80	29.68 (-)2.12
(37)	2401 फसल कृषि कर्म 00 800 अन्य योजनाएं 91 जिला योजना मूल	15.00	68.77	44.95 (-)23.82
	पूरक	53.77		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 53.77 लाख की वृद्धि केन्द्रीय विभाग रोजगार परियोजना आधारित कृषि विकास कार्यक्रम हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(38)	2403 पशु पालन 00 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 22 पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना (राज्य सेक्टर योजना) मूल 10.49	10.49	10.49	4.67 (-)5.82
(39)	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 3,72.18	3,72.18	1,84.72	1,84.72 0.00
	पुनर्वि० (-)1,87.46			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,87.46 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।			
(40)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 08 उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना मूल 7.00	7.00	4.21	4.21 0.00
	पुनर्वि० (-)2.79			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.79 लाख के अभ्यर्पण निधि की स्वीकृति न मिलने के कारण किए गए।			
(41)	10 दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना मूल 15.00	15.00	3.46	3.46 0.00
	पुनर्वि० (-)11.54			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 11.54 लाख के अभ्यर्पण शासन से निधि की स्वीकृति न मिलने के कारण किए गए।			
(42)	11 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मूल 1,00.00	1,00.00	43.00	(-)57.00
(43)	13 निर्बल वर्ग आवास योनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति मूल 40.00	40.00	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)40.00			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 40.00 लाख के अभ्यर्पण ऋण पर शासन से सहमति न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(44)	14 मुख्यमन्त्री शिल्प विकास योजना मूल	10.00		
	पुनर्वि०	(-10.00)	0.00	0.00

दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण का कारण पिछले वर्ष की निधि का वर्तमान वर्ष में उपयोग हेतु उपलब्ध होना सूचित किया गया।

(45)	97 आईफेड बाह्य सहायतित योजना मूल	96.56		
	पुनर्वि०	(-50.56)	46.00	0.00

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 50.56 लाख के अभ्यर्पण निधि के अधिक प्रावधान होने के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुई है, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2225 अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनु०जनजातियों का कल्याण 794 जन-जाति उपयोजना के लिए विशेष कन्द्रीय सहायता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-3,00.00)
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	------	------------

(2)	800 अन्य योजनाएं 20 जनजाति सलाहकार परिषद् मूल	13.06	13.06	0.00	(-)13.06
-----	-----------------------------------------------------	-------	-------	------	----------

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी, उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3)	2401 फसल कृषि कर्म 00 796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 23 कृषि रक्षा कार्यक्रम नियंत्रण की योजना मूल	2.00	2.00	0.00	(-)2.00
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	---------

(4)	2801 बिजली 06 ग्रामीण विद्युतीकरण				
-----	--------------------------------------	--	--	--	--

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
03	निजी नलकूप/पम्पसेट में विद्युत संयोजन योजना			
	मूल	2.00	2.00	0.00
				(-).2.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1) **2225 अनुसूचित जातियों, अनु०जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**

02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रकाशन

03 जनजातिय कल्याण निदेशालय

मूल 61.61

62.11 69.08 (+)6.97

पूरक 0.50

वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,491 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.50 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय एवं व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2) **277 शिक्षा**

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल 15,00.00

16,57.90 23,12.62 (+)6,54.72

पूरक 1,57.90

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,57.90 लाख की वृद्धि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) **07 सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान**

मूल 1,70.00

2,60.00 3,52.23 (+)92.23

पूरक 90.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 90.00 लाख की वृद्धि योजना की पूर्णता हेतु सहायक अनुदान प्रदान करने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(4) **800 अन्य व्यय**

21 अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों के शादी हेतु सहायता

पूरक 46.92

46.92 69.32 (+)22.40

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 46.92 लाख के प्रावधान अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों के शादी हेतु सहायता प्रदान किए जाने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत :  
दत्तमत-

- (vii) ₹ 54,27.85 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 24,62.44 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 54,27.85 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 2,42.16 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	92,01.94	65,38.76	26,63.18
2008-09	73,77.12	44,88.71	28,88.41
2009-10	59,77.03	36,64.31	23,12.72
2010-11	89,28.25	45,63.60	43,64.65
2011-12	1,00,37.06	45,67.25	54,69.81

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01 कार्यालय भवन 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना 01 पंचायत भवन का निर्माण मूल	50.00	50.00	45.30 (-)4.70
(2)	4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 201 प्रारम्भिक शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,80.57	40.16	40.16 0.00
	पुनर्वि०	(-)1,40.41		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,40.41 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(3)	03 प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण मूल पूरक पुनर्वि०	0.01 78.89 (-)78.90	0.00	0.00 0.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 78.89 लाख की वृद्धि प्राथमिक विद्यालयों के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 78.90 लाख के अभ्यर्पण निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	202 माध्यमिक शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,50.00	3,50.00	3,33.33	(-)16.67
(5)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 03 राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावास/भवनों का निर्माण मूल	80.00	13.80	13.80	0.00
	पुनर्वि०	(-)66.20			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 66.20 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
(6)	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार मूल	40.00	40.00	36.83	(-)3.17
(7)	02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के पुरुष/महिला भवन निर्माण/सुदृढीकरण मूल	70.00	1.09	1.09	0.00
	पुनर्वि०	(-)68.91			
(8)	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 03 इंजीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी, पौड़ी को सहायक अनुदान मूल	35.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)35.00			
(9)	05 इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) मूल	30.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)30.00			
	उपरोक्त क्रम सं० (7) से (9) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को किए गए अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
(10)	03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेल कूद स्टेडियम 102 खेलकूद स्टेडियम 03 इण्डोर हॉल एवं हॉस्टल का निर्माण मूल	25.50	25.50	3.59	(-)21.91

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(11)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 91 जिला योजना मूल	1,15.00	1,86.27	1,57.55	(-)28.72
	पूरक	71.27			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 71.27 लाख की वृद्धि उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(12)	4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनोगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,60.00	1,60.00	1.23	(-)1,58.77
(13)	4225 अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति 277 शिक्षा 01 केन्द्र पोषित/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	5,40.00	5,40.00	57.90	(-)4,82.10
(14)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अवस्थापना सुविधा मूल	1,00.00	1,00.00	97.28	(-)2.72
(15)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 102 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 04 विधायक निधि मूल	8,52.00	8,52.00	7,10.00	(-)1,42.00
(16)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 02 केन्द्रीय आयोजनोगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	25.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)25.00			

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्षण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	<b>4700</b> मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 नलकूपों का निर्माण			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	91 अनुसूचित जनजातियों के लिए नलकूपों का निर्माण			
	मूल	30.00	30.00	7.60
	पुनर्वि०			(-22.40)
(18)	<b>4702</b> लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	01 ट्राईबल विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्पीकलरों का निर्माण			
	मूल	10,90.00		
	पुनर्वि०		0.00	0.00
				0.00
				(-10,90.00)
	दिनांक 31-03-2013 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 हेतु प्रस्ताव अनुसार केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(19)	<b>4801</b> बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	97 बाह्य सहायतित			
	मूल	1,00.00	1,00.00	42.78
	पुनर्वि०			(-57.22)
(20)	<b>5054</b> सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	01 नए कार्य			
	मूल	30.00		
	पुनर्वि०		0.80	0.50
				(-0.30)
(21)	02 चालू निर्माण कार्य			
	मूल	16,00.00		
	पुनर्वि०		12,49.81	12,50.06
				(+0.25)
(22)	03 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण			
	मूल	1,20.00		
	पुनर्वि०		77.12	77.13
				(+0.01)
				(-42.88)



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(23)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	5,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5,00.00		0.00
	उपरोक्त क्रम सं० (20) से (23) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(24)	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	800 अन्य व्यय			
	03 चालक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण मूल	8.40	2.80	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.60	2.80	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5.60 लाख के अभ्यर्पण प्रशिक्षण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(25)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 जलविद्युत उत्पादन			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	97 बाह्य सहायतित मूल	3,00.00	3,00.00	54.00
				(-)2,46.00
(26)	05 पारेषण एवं वितरण 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	91 यू०पी०सी०एल० को ऋण (जिला योजना) मूल	40.00	40.00	30.00
				(-)10.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुए हो, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय 01 खाद्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 गोदामों का निर्माण मूल	60.00	60.00	0.00
				(-)60.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 नलकूपों का निर्माण			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	03 नलकूपों का निर्माण			
	मूल	20.00		
			35.00	
			0.00	(-35.00)
	पूरक	15.00		
(3)	05 सिंचाई नहरों की नई योजनायें			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ			
	मूल	10,60.00	10,60.00	0.00
				(-10,60.00)
(4)	06 निर्माणाधीन नहरें			
	796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
	03 सिंचाई नहरों का निर्माण			
	मूल	80.00		
			1,22.00	
			0.00	(-1,22.00)
	पूरक	42.00		
(5)	800 अन्य व्यय			
	91 जनजाति क्षेत्रों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण			
	मूल	7.53	7.53	0.00
				(-7.53)
(6)	07 उत्तराखण्ड की लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार			
	800 अन्य व्यय			
	91 अनुसूचित जनजातियों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार			
	मूल	6.00	6.00	0.00
				(-6.00)
(7)	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियन्त्रण			
	796 जनजाति क्षेत्र उप. योजना			
	03 सिविल निर्माण कार्य			
	मूल	1,00.00		
			1,30.00	
			0.00	(-1,30.00)
	पूरक	30.00		
(8)	4801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	01 बायो ऊर्जा			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

190	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
97	बाह्य सहायतित			
	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00
				(-)4,00.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	06 निर्माणाधीन कार्य			
	796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
	91 अनुसूचित जनजातियों के लिए नहरों का निर्माण			
	मूल	2,00.00	2,00.00	2,06.15
				(+)6.15
(2)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	90.00	90.00	1,36.22
				(+)46.22

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

---

# परिशिष्ट

---

## परिशिष्ट- 1

(सन्दर्भ : विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ सं०-xii)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2012-13 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे : -

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			( ₹ हजार में )
1	03	2013- मंत्रिपरिषद्	1,00,00
2	06	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	20
3	16	2230- श्रम तथा रोजगार	2,80
4	18	2425- सहकारिता	7
5	19	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	18,32,35
6	26	3452- पर्यटन	12,00,00
7	30	2403- पशु पालन	71,31
योग			32,06,73

परिशिष्ट - II  
(सन्दर्भ : पृष्ठ सं०- xiii तालिका)

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण ।

क्रम संख्या	अनुदान	बजट	
		राजस्व	पूँजीगत ( ₹ हजार में )
1.	11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	---	---
2.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	---	19,50,00
3.	18-सहकारिता	---	---
4.	20-सिंचाई एवं बाढ़	---	---
5.	22-लोक निर्माण कार्य	---	---
6.	24-परिवहन	---	---
7.	25-खाद्य	---	22,00,00,00
8.	29-औद्योगिक विकास	---	4,50,00
9.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	---	---
	योग	---	22,24,00,00

वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
		अधिक (+)	कम (-)
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
---	1,37	---	(+)1,37
---	22,48,50	---	(+)2,98,50
---	1,74,90	---	(+)1,74,90
6,55,54	62,74,21	(+)6,55,54	(+)62,74,21
4,63	1,04,08,60	(+)4,63	(+)1,04,08,60
---	46	---	(+)46
---	13,67,22,94	---	(-)8,32,77,06
---	---	---	(-)4,50,00
---	1,22,75	---	(+)1,22,75
<b>6,60,17</b>	<b>15,59,53,73</b>	<b>(+)6,60,17</b>	<b>(-)6,64,46,27</b>

## परिशिष्ट -III

(सन्दर्भ : टिप्पणी (vi), अनुदान-20)

उचन्त लेन देन -सिंचाई विभाग -राजस्व प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2012 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2012-13	31 मार्च 2013 को अन्त शेष (नामे + जमा - वसूली)
2701- मध्यम सिंचाई						
उचन्त स्टाक	(+)83,00.12	(+)7,26.20	--	(+)7,26.20	6,55.54	(+)83,70.78
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)9.03	--	--	--	--	(-)9.03
कार्यशाला उचन्त	(+)4,36.51	--	--	--	--	(+)4,36.51
योग	(+)87,27.60	(+)7,26.20	--	(+)7,26.20	6,55.54	(+)87,98.26
2702-लघु सिंचाई	--	--	--	--		--
उचन्त स्टाक	--	--	--	--		--
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	--	--	--	--		--
कार्यशाला उचन्त	--	--	--	--		--
योग	--	--	--	--		--



## परिशिष्ट -IV

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xii), अनुदान-20)

उचन्त लेन देन -सिंचाई - पूंजी प्रभाग

शीर्ष	1 अप्रैल 2012 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2012-13	(लाख ₹ में)
						31 मार्च 2013 को अन्त शेष (नामे + जमा) - वसूली
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	(+)2,72,42.43	(+)42,35.62	--	(+)42,35.62	43,81.65	(+)2,70,96.40
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)60,18.75	(+)1,11.39	--	(+)1,11.39	--	(+)61,30.14
योग	(+)3,32,61.18	(+)43,47.01	--	(+)43,47.01	43,81.65	(+)3,32,26.54

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	(-)7.82	--	--	--	--	(-)7.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	--	--	--	--	--	--
योग	(-)7.82	--	--	--	--	(-)7.82

4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टाक	(-)1,21,52.61	(+)17,33.86	--	(+)17,33.86	18,92.56	(-)1,23,11.31
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)13.66	--	--	--	--	(-)13.66
कार्यशाला उचन्त	--	--	--	--	--	--
योग	(-)1,21,66.27	(+)17,33.86	--	(+)17,33.86	18,92.56	(-)1,23,24.97

## परिशिष्ट -V

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xiii), अनुदान-22)

उच्चत लेन देन -लोक निर्माण विभाग

शीर्ष	(लाख ₹ में)					
	1 अप्रैल 2012 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2012-13	31 मार्च 2013 को अन्त शेष (नामे + जमा) - वसूली
5054-सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय						
उच्चत स्टाक	(+)2,09,46.99	(+)54,22.85	--	(+)54,22.85	59,55.33	(+)2,04,14.51
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)2,01,21.19	(+)52,55.92	--	(+)52,55.92	44,53.27	(+)2,09,23.84
योग	(+) 4,10,68.18	(+) 1,06,78.77	--	(+) 1,06,78.77	1,04,08.60	(+) 4,13,38.35

